Par. S. 17. I. 10. 51
285

अंक १
संख्या १०

शुक्रवार
३० मई, १९५१

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ४९७—५४२]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [[पृष्ठ भाग ५४२—५६०]

(मूल्य ४ आने)

लोक सभा

दस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुरसत्तार, श्री (कलनां—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित — अनुसूचित जातियां)
कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)
कांबले, श्री देवरोआ नामदेव रोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित —)
काचि रोयर, श्री डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण फश्चिम)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)
काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)
गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)
गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम्)(मु)
[गु]प्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
[ग]ुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
[ग]ुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
[ग]ुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
[ग]ोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)
[ग]ोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)
[ग]ोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
[ग]ोहैन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम—जन जाति क्षेत्र)
[ग]ौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
[गौ]ंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)
[गौ]ंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

[घ]ोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
[घ]ोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

[च]क्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)
[चट]र्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
[चट]र्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
[चट]र्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
[च]ट्टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
[चन्]डुक, श्री बी० एल० (बेतूल)
[चत]ुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
[चन्]दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
[चन्]द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
[चाक]ो, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
[चा]डक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
[चाव]ड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)
[चौ]धरिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
[चेट्]टयार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटव वीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेन्कनाल—पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

चंदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फ़रनगर—उत्तर)

जेन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना. पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फ़रनगर—दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरिंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दबान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री वेली राम (बारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा —पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीशजीराव, (दिक्षण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदा-बाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेह-सना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्षमण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूरुणन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रजमी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल० (खम्मम)
राव, श्री राघासमं शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सौरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसन्द (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ़्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जल जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, ३० मई, १९५२

सदन की बैठक साढ़े आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्षपद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जापान को नमक

*२९४. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जापान भारत से नमक का आयात करता है ?

(ख) यदि करता है, तो सन् १९५१-५२ में भारत से जापान को नमक की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सन् १९५१-५२ में ६२४९० टन का निर्यात किया गया था ।

डा० राम सुभग सिंह : इस वर्ष जापान को नमक की कितनी मात्रा के निर्यात किये जाने की आशा है ?

श्री करमरकर : लगभग पिछले साल जितनी ही ।

सेठ गोविन्द दास : अब नमक का इस देश में कुछ आयात तो नहीं होता है, और नमक की जितनी यहां जरूरत है, उतना यहां पैदा हो जाता है और काम चल जाता है ?

श्री करमरकर : जी नहीं, नमक का यहां पर आयात नहीं होता । हमारा नमक का पहले प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट (उत्पादन आवश्यकता) २६ लाख टन थी । जब कि नमक यहां २७ लाख टन पैदा किया गया और आने वाले वर्ष में २८ लाख टन पैदा होगा, इसलिये हमारे यहां के लिये तो नमक काफी पैदा हो रहा है और हम अपना नमक बाहर भेज सकते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या यह नमक सरकार से सरकार वाले आधार पर भेजा गया था या निजी व्यापारी के आधार पर ?

श्री करमरकर : निजी आधार पर, किन्तु यदि मैं ग़लती पर होऊं तो ग़लती ठीक कर दी जाये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत के भीतरी भागों म अब भी नमक उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न का सम्बन्ध जापान को किये गये निर्यात से है । यदि माननीय सदस्य आन्तरिक खपत के विषय में कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तो वह उसकी पूर्व सूचना दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: कुछ दिन पहले इस सदन में इन प्रश्नों पर विचार किया गया था ।

श्री जसानी: किन किन बन्दरगाहों से नमक का निर्यात हुआ था ?

श्री करमरकर: जापान के लिये अधिकांश निर्यात सौराष्ट्र बन्दरगाह से किया गया था । अनुमानतः जापानी लोग सौराष्ट्र के नमक को विशेषतः पसन्द करते मालूम पड़ते हैं ।

मोटा और मध्यम प्रकार का कपड़ा (विक्रय)

*२९७. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने मिलों को यह अनुमति देने का निश्चय किया है कि वह भेजे जाने के लिये तैयार किये गये कपड़े में से ८० प्रति शत मोटा और मध्यम प्रकार का कपड़ा ख़रीददारों को उन की इच्छानुसार बेच सकते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): जी हां, श्रीमान् । मिलों को अभी तो अप्रैल और मई १९५२ में तैयार किये गये कपड़े के विषय में यह रियायत दी गयी है ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या अगले महीने में मोटे और मध्यम प्रकार के कपड़े के दाम कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: कपड़े के दाम सम्बन्धित व्यक्तियों से परामर्श करके वस्त्र आयुक्त द्वारा समय समय पर निश्चित किये जाते हैं । मैं समझता हूं कि जून या आगे के लिये दाम निश्चित करते समय वस्त्र आयुक्त जो प्रक्रिया अपनायेंगे, उसे सटकर पर्षद द्वारा बनाया गया सूत्र कहा जा सकता है । और उस की एक प्रश्न के उत्तर में व्याख्या करना कुछ कठिन है । पर यह असंदिग्ध बात है कि पुनरीक्षा करते समय तक उत्पन्न हुई सभी संगत बातों को ध्यान में रख कर दामों का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपेक्षतया अधिक अवधि तक चलने वाली वस्त्र नीति को अपना कर कपड़े के मूल्य की बार बार पुनरीक्षण प्रथा को समाप्त कर देना चाहती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि इस देश में दशा ऐसी रहे कि सरकार भविष्य की कल्पना कर सके और भावी स्थिति का ठीक ठीक आकलन कर सके, तो हम संभवतः सुझायी गयी नीति अपना लेंगे, पर आज जैसी स्थिति है, उसे देख मुझे भय है कि सरकार इस विषय में कुछ निश्चित उत्तर दे कर अपने आप को वचनबद्ध नहीं कर सकती ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या मंत्री महोदय हमें हाथ के बने मोटे कपड़े की मांग की स्थिति बता सकेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हाथ के बने कपड़े से वस्त्र आयुक्त का जो वस्त्र नियंत्रण का संचालन करता है; कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उस से राज्य सरकारों का सम्बन्ध है । हाथ के बने कपड़े के बारे में सूचना हम एकत्र कर रहे हैं । हमें ज्ञात है कि आजकल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है; पर मैं कुछ निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ।

पंडित सी० एन० मालवीय: क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मिलों को बेचे जाने वाले ८० फ़ीसदी कपड़े के बेच देने का जो अख्तियार है, उसे क्या वह मुकामी (स्थानीय) व्यापारियों को छोड़

कर बाहर भी बेच सकते हैं और क्या सरकार उन पर इसके लिये कोई पाबन्दी लगा सकती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: स्थिति यह है कि अब तक जो नियंत्रण चल रहा था, वह राज्य सरकारों से परामर्श कर के निश्चित किया गया था । राज्यों ने मिलों से माल उठाने के लिये व्यक्तियों को नाम-निर्देशित किया, और उत्पादन का अधिकांश भाग इसके लिये निश्चित कर दिया गया । अब बात यह हो गयी है कि राज्यों द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों ने वर्ष के आरम्भ से अपना माल नहीं उठाया है और राज्यों से अपने नाम निर्देशित व्यक्तियों को माल उठाने के लिये समझाने को कहा गया है । यदि वह इसे नहीं उठाते हैं, तो स्वभावतः हमें मिलों को अपनी सुविधानुसार माल बेच देने की अनुमति देनी होगी ।

पंडित सी० एन० मालवीय: क्या माननीय मंत्री के इल्म (ध्यान) में यह बात आयी है कि भोपाल में वहां के कपड़ा व्यापारी ऐक्स मिल दाम पर कपड़ा लेने को तैयार हैं, इस पर भी वहां के जो सेल एजेण्टस हैं, वह कपड़ा बाहर भेजते हैं, तो क्या इस सिल-सिले में कोई रिप्रेज़ेन्टेशन (अभ्यावेदन) मिला है ।

अध्यक्ष महोदय: वह राज्य सरकार की बात है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी: क्या माननीय मंत्री ने यह विचार किया है कि कपड़े के अन्तर्राज्य आने जाने पर लगी रोक को हटा लेने से कहां तक अपेक्षतया अच्छा वितरण हो सकेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: अभी यही अनुमान है कि इस से कपड़े का आना जाना अपेक्षतया ठीक होने लगेगा, पर हमारा निर्णय बहुत ही प्रयोगात्मक है, और इन प्रतिबन्धों के हटने से व्यापार पर होने वाली प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में मेरी स्थिति भी शायद वही है, जो मेरे माननीय मित्र की है ।

डा० जयसूर्य: क्या राज्यों के नाम-निर्देशित व्यक्तियों ने मोटा कपड़ा लेने से इनकार कर दिया है, और यदि कर दिया है, तो क्यों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह तथ्य है कि राज्यों के नामनिर्देशित व्यक्तियों ने अपना मोटे और मध्यम प्रकार के कपड़े का अभ्यंश नहीं उठाया है । इस के कारण पहले किसी दिन पूछे गये एक प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में बताये गये थे । हम कुछ कारणों का अनुमान ही कर सकते थे । वह इसे क्यों नहीं उठायेंगे, इस का निश्चित कारण बहुत कुछ अटकल पर और देश के विशिष्ट भागों की विशिष्ट दशा के ज्ञान पर छोड़ना होगा ।

भारत के विदेशस्थित नियोग

*२९८. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **प्रधान मंत्री** उन देशों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे, जहां पर हमारे नियोगों के प्रमुख अधिकारियों के स्थान आजकल रिक्त हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): चैकोस्लोवाकिया, मिस्र, इटली, पुर्तगाल, दक्षिण अफ़्रीका और सोवियट संघ रूस ।

श्री एस० सी० सामन्त: विदेश स्थित कितने नियोगों के प्रमुख अधिकारी साथ-साथ ही दूसरे देशों में भी हमारे मान्य प्रतिनिधि बनाये गये है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे भय है कि मैं ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकूंगा। उदाहरण के लिये स्विटज़रलैंड स्थित हमारे मंत्री आस्ट्रिया और वैटिकान के लिये भी

हमारे मंत्री हैं । मिस्र स्थित हमारे मंत्री कुछ अन्य अरब देशों में भी हमारे विश्वासित मंत्री हैं । इस प्रकार के और भी कई मामले हैं, पर मैं उन की संख्या नहीं बता पाऊंगा ।

श्री ए० सी० सामन्त: इस प्रबन्ध द्वारा कितनी बचत की गयी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं आंकड़े कैसे बता सकता हूं ? यह प्रबन्ध तो शुरू से ही, निःसंदेह बचत की दृष्टि से, पर सुविधा की दृष्टि से भी किये गये थे ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में कुछ नये नियोग स्थापित किये गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा अनुमान है कि एक दो ज़रूर स्थापित किये गये होंगे ।

श्री नम्बियार: क्या ज़ैकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ रूस में हम ने बचत की दृष्टि से राजदूत नहीं भेजे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने पांच जगहें बतायी हैं । उन में से एक दक्षिण अफ़्रीका है, जहां स्पष्ट ही राजनीतिक कारणों से विगत सात वर्षों से हमारा प्रतिनिधि नहीं रहा है । फिर पुर्तगाल की बात है, वहां पर भी हम न केवल बचत के कारण वरन् दूसरे कारणों से भी अपना प्रतिनिधि नहीं भेजना चाहते हैं । शेष का कारण बहुत कुछ वह बीच की अवधि है जिस में एक राजदूत वापस आता है, और दूसरा बाद में उसके स्थान पर जाता है । इस बीच नियोगों का कार्य चलता रहता है । वहां एक कार्यवाहक राजदूत होता है । ऐसी बात नहीं कि नियोगों का काम न हो रहा हो । जब नियोग का प्रमुख अधिकारी चला आता है और जब तक दूसरा नया प्रधान पहुंचे, कोई दूसरा व्यक्ति प्रभारी रहता है ।

श्री गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या राजदूतों की नियुक्ति के लिये कुछ योग्यता निश्चित की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार ने कोई योग्यता तो निश्चित नहीं की है, क्योंकि वांछित योग्यतायें न्यूनतम योग्यतायें नहीं हैं, बल्कि यदि मैं कहूं कि सम्भव हो तो अधिकतम निश्चित होनी चाहिये ।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीयों के प्रति दक्षिण अफ़्रीका सरकार के रवैये की दृष्टि में, क्या हम दक्षिण अफ़्रीका के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध जारी रखना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: यह जारी रखने का प्रश्न नहीं है—वह तो है ही नहीं ।

श्री शिवनंजप्पा: मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के उच्चतर पदों पर कितने भारतीय काम कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वस्तुतः इस प्रश्न का प्रस्तुत प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में काम करने वाले भारतीयों की संख्या के बारे में सदन पटल पर चार्ट रखे गये हैं और बार बार इस का उत्तर दिया गया है ।

चाय बागान

*२९९. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में चाय बागानों की संख्या और सन् १९४७ से ले कर प्रति वर्ष प्रति राज्य में हुई वार्षिक उपज ;

(ख) उन बागानों में विनियोजित कुल पूंजी और विशेषतः विदेशी पूंजी ;

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५१ को उन बागानों में लगे हुये मजदूरों की संख्या तथा

(घ) उन बागानों के नाम और उन की संख्या जिन में पूर्णसज्जित फ़ैक्टरियां हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं, एक में सन् १९४७ से १९५१ तक के समय में भारत के विभिन्न राज्यों में चाय बाग़ानों की संख्या दी गयी है, और दूसरे में सन् १९४७ से १९५० तक विभिन्न राज्यों में चाय की वार्षिक उपज बतायी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

सन् १९५१ में सारे भारत में चाय की कुल उपज ६२,२७,३०,००० पौंड आकलित की जा रही है ।

(ख) चाय बागान उद्योग में विनियोजित कुल पूंजी लगभग ६० करोड़ रुपये है, जिस में विदेशियों की पूंजी लगभग ४५ करोड़ रुपये होगी ।

(ग) लगभग १२.५ लाख, जो सन् १९५० में नियुक्त की गई तदर्थ चाय समिति के प्रतिवेदन में बतायी गयी है। ३१ दिसम्बर, १९५१ को कार्य रत व्यक्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है ।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, विवरण से मुझे पता चलता है कि चाय बागानों की संख्या बढ़ गई है। मैं जान सकता हूं कि क्या क्षेत्रफल भी बढ़ गया है ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, मुझे भी यही समझना चाहिये, यद्यपि ठीक ठीक आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या आजकल क्षेत्रफल बढ़ाने पर कोई रोक है ?

श्री करमरकर: मेरा अनुमान है कि मेरे मित्र को ज्ञात है कि हमें अपने चाय सम्बन्धी क्षेत्रफल को अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते के अनुसार सीमित रखना पड़ता है । ३१ मार्च, १९५१ को उस समय अनुमतियोग्य सहमत क्षेत्रफल ८,०६,७२८ एकड़ है, और सन् १९५०-५५ में समझौते के अधीन चाय की खेती में इस अनुमतियोग्य क्षेत्रफल पर एक प्रतिशत प्रति वर्ष विस्तार को अधिकृत ठहराया गया है । सन् १९५१ में क्षेत्रफल वस्तुतः ७,७६,८९८ एकड़ था, जो अनुमत क्षेत्रफल से कुछ कम है ।

श्री एस० सी० सामन्त: विवरण में यह बताया गया है कि आसाम, हिमाचल प्रदेश और मद्रास में चाय बागानों की संख्या तो बढ़ गयी है, पर उपज में कमी आ गयी है। क्या मैं कारण जान सकता हूं ?

श्री करमरकर: यह संभव है—अनेक कारणों से बहुधा उपज में अन्तर पड़ता रहता है, पर यदि माननीय सदस्य किसी क्षेत्र विशेष के लिये अलग प्रश्न रखें, तो मैं पता लगा कर स्थिति उन को बता सकता हूं ।

श्री हेम राज: क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में चाय की उपज में आये दिन कमी हो रही है, और उस कमी का क्या कारण है ?

श्री करमरकर: चाय बागानों की संख्या सन् १९४७ के ८८७ से सन् १९५१ में ९१८ हो गयी है। यह आंकड़े तो बागानों की संख्या में हुई वृद्धि को ही बतलाते हैं ।

श्री तुषार चटर्जी: मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया ने सन् १९५१ के प्रतिवेदन में चाय उद्योग में लगी विदेशी पूंजी ५१.६२ करोड़ बतायी है, और यदि यह तथ्य है, तो मैं जान सकता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिवेदन और माननीय मंत्री के प्रस्तुत विवरण में अन्तर क्यों है ?

श्री करमरकर: कारण यह है कि रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया के इस आकलन में, जो लगभग ५२.०२ करोड़ है, भुगतायी गयी पूंजी नहीं बतलायी गयी है, बल्कि शुद्ध आधार पर विनियोजित कुल पूंजी का मूल्य बताया गया है अर्थात् शुद्ध पूंजी के विषय में प्रति अंश का मूल्य कुल भुगतायी गयी पूंजी में रक्षित-राशि जोड़ कर और इसे अंशों की संख्या से भाग दे कर निकाला गया है। इसलिये जैसा मैं ने अपने उत्तर में पहले कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी संख्या और आगणन विदेशी स्वार्थों द्वारा विनियोजित पूंजी से कुछ भिन्न है।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हूं कि क्या उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पुनरीक्षित कराने का कोई प्रयत्न किया गया है, और यदि किया गया है, तो क्या फल हुआ ?

श्री करमरकर: वस्तुतः सम्बन्धित देश प्रायः मिलते रहते हैं, और चाय उत्पन्न करने वाले देशों के हित में ही एक सहमत मात्रा निश्चित की जाती है।

विस्थापित व्यक्तियों का प्रशिक्षण

*३००. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) पूर्वी बंगाल से आये हुये कितने विस्थापित व्यक्तियों को ३१ मार्च, १९५२ तक व्यवसायिक धंधों में प्रशिक्षित किया गया है;

(ख) सन् १९५२-५३ में कितने प्रशिक्षित किये जायेंगे और इस पर कितना व्यय किया जायेगा; तथा

(ग) उन में से कितने श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षित केन्द्रों में प्रशिक्षित किये गये थे या किये जायेंगे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) ७,५२८।

(ख) १३,८४७ विस्थापित व्यक्ति; ४४ लाख रुपये।

(ग) २,३८१ विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं और १,६७७ को इस वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षिति करने का विचार है।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या पुनर्वास मंत्रालय उन निजी कारखानों और कर्मशालाओं को सहायता देता है, जहां विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन: हम प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां देते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये पुनर्वास मंत्रालय द्वारा सहायताप्राप्त संस्थाओं के अतिरिक्त कोई अन्य प्रबन्ध भी किया गया है, और यदि किया गया है, तो कहां ?

श्री ए० पी० जैन: प्रशिक्षण तीन प्रकार की संस्थाओं में दिया जाता है: भारत-सरकार द्वारा सहायताप्राप्त संस्थायें, राज्य सरकारों द्वारा सहायताप्राप्त संस्थायें और फिर औद्योगिक संस्थापन तथा प्रविधिक संस्थायें। डी० जी० आर० ई० द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या निराश्रित महिलाओं के प्रशिक्षण के लिये कोई अखिल-भारतीय संस्थायें हैं ?

श्री ए० पी० जैन: जी हां, है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: कितनी ?

श्री ए० पी० जैन: ३१ मार्च, १९५२ तक व्यवसायिक धन्धों में प्रशिक्षित किये गये ४९५९ विस्थापित व्यक्तियों में से २८७० महिलायें थीं। सन् १९५२-५३ में प्रशिक्षित करने के लिये छांटे जाने वाले ६,१३७ विस्थापित व्यक्तियों में ३,०३० महिलाओं को लेने का विचार है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री मेरा प्रश्न सुन नहीं पाये।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि उन का प्रश्न केवल महिलाओं के लिये विशेष संस्थाओं के बारे में ही था।

श्री ए० पी० जैन: जी हां, केवल महिलाओं के प्रशिक्षण के लिये भी संस्थायें हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: संख्या क्या है ?

श्री ए० पी० जैन: बहुत बड़ी संख्या है—मैं ठीक संख्या बता नहीं सकूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: पूरे भारत में . . .

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री के० डी० मालवीय: क्या यह प्रशिक्षण केन्द्र अ-विस्थापित व्यक्तियों के लिये भी हैं ?

श्री ए० पी० जैन: अ-विस्थापित व्यक्तियों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

पेच

*३०१. **श्री ए० सी० गुहा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में पेचों की वार्षिक आवश्यकता;

(ख) भारत में कितने तैयार किये जाते हैं;

(ग) भारत में कितने कारखाने हैं, और वह किन राज्यों में स्थित हैं; तथा

(घ) क्या यह उद्योग संरक्षित है, और यदि है, तो संरक्षण का स्वरूप ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग)। विवरण सदन-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७**।]

(घ) लकड़ी के पेच और मशीनों के पेच दोनों ही के उद्योगों को आयात पर मूल्यानुसार ३० प्रतिशत शुल्क का संरक्षण मिला हुआ है।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हूं कि स्थानीय उत्पादनों का उचित विक्रय मूल्य क्या है, और विदेशी माल की यहां आ कर लागत क्या है ?

श्री करमरकर: मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री ए० सी० गुहा: क्या उद्योग को दिया गया संरक्षण विदेशी प्रतियोगिता से निपटने के लिये पर्याप्त है ?

श्री करमरकर: जी हां, सरकार के विचार से।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या मंत्रि-मंडल के पुनः संगठन के फलस्वरूप पेचों की मांग में कोई भारी कमी आ गयी है ?

विष्टुपुर ले जाये गये विस्थापित व्यक्ति

*३०२. **श्री ए० सी० गुहा:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या जून, १९५१ में (या इसके आसपास) एक कैम्प (काशीपुर) से हटा कर ९४ परिवार विष्टुपुर गांव, थाना राना-घाट, जिला नदिया, में एक ऐसी बस्ती में बसाये जाने के लिये ले जाये गय थे, जिस के बारे में विस्थापित व्यक्तियों को यह वचन दिया गया था कि वह राणाघाट की नगर-पालिका के अन्तर्गत एक शहरी-क्षेत्र होगा;

(ख) क्या यह सच है कि वह क्षेत्र (विष्णुपुर) नगरपालिका-क्षेत्र से कुछ मील दूर था और वह दलदल और जंगलों से भरी जगह थी और वहां पर उन के रहने का कोई प्रबन्ध न था ;

(ग) क्या यह सच है कि कई विस्थापित व्यक्ति भूख या बीमारी से मर गये ;

(घ) क्या यह सच है कि बाद में सभी विस्थापित व्यक्ति उस जगह से हटाये गये ; तथा

(ङ) यदि सच है, तो इस के लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी०): (क) से (ङ)। सूचना एकत्र की जा रही है, और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

बस्ती रामचन्द्रपुर

*३०३. **श्री ए० सी० गुहा**: (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये बस्ती रामचंद्रपुर (ज़िला २४ परगना, पश्चिमी बंगाल) कब बसाई गयी थी ?

(ख) वहां भेजे गये परिवारों की संख्या क्या है ?

(ग) भूमि कैसे ग्रहण की गयी थी और कितने दामों पर ?

(घ) तब से कितने विस्थापित परिवार उस बस्ती को छोड़ कर चले गये हैं और क्यों ?

(ङ) यदि बस्ती असफल रही है, तो क्या सरकार ने असफलता के कारणों की जांच की है और क्या किसी सरकारी या अ-सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

(च) उस योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) इस बस्ती के लिये ले जाये जाने का काम २९ मई, १९५१ को आरम्भ हुआ था।

(ख) १०९२ परिवार।

(ग) भूमि ज़मीदारों को १२५ रुपये प्रति बीघा सलामी और वार्षिक लगान दे कर विस्थापित व्यक्तियों द्वारा स्वयं ली गयी थी।

(घ) और (ङ) आज तक ७२६ परिवार बस्ती को छोड़ कर चले गये हैं। इस निर्गमन के कारणों और बस्ती की आंशिक असफलता की एक पूरी पूरी जांच पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा की जा रही है। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा है।

(च) १०,६९,२७० रुपये।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने जांच की है कि ज़मीदारों ने यह ज़मीन कितने दामों पर और किस वर्ष खरीदी थी ?

श्री ए० पी० जैन: सरकार ने ऐसी कोई जांच नहीं की; पर मैं समझता हूं कि ज़मीन बाज़ार भाव पर खरीदी गयी है।

श्री ए० सी० गुहा: मूल ज़मीदारों ने दो तीन वर्ष पहले यह ज़मीन किस भाव पर ख़रीदी थी ?

श्री ए० पी० जैन: मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि सरकार ने ऐसी कोई जांच नहीं की है, पर ज़मीन इस समय बाज़ार भाव पर ली गयी है।

श्री ए० सी० गुहा: पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा की गयी जांच कब आरम्भ हुई और कब इस के पूरी होने की आशा है ?

श्री ए० पी० जैन : यह सब बातें बंगाल सरकार के ऊपर हैं। यह जानने की आशा मुझ से नहीं होनी चाहिये कि जांच कब आरम्भ हुई थी और इस के कब पूरी होने की संभावना है ?

कोलार सुवर्ण खान दुर्घटना

*३०७. **डा० एम० एम० दास**: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) १९ अप्रैल, १९५२ को कोलार सुवर्ण क्षेत्र की चैम्पियन रीफ़ माइन्स में हुई दुर्घटना के कारण ;

(ख) दुर्घटना में हताहत व्यक्तियों की कुल संख्या ;

(ग) दुर्घटना में ग्रस्त कर्मचारियों की श्रेणियां ;

(घ) दुर्घटना होने और व्यक्तियों के निकाले जाने का कार्य के आरम्भ होने के बीच का मध्य काल; तथा

(ङ) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को देने के लिये प्रस्तावित क्षतिपूर्ति ।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) एक चट्टान का भयंकर रूप से फट जाना।

(ख) २० मर गये और ९ घायल हुये।

(ग) हत व्यक्तियों में १४ कामकर और ६ मिस्त्री थे।

(घ) लगभग तीन घंटे । यह उस समय चट्टानों के निरन्तर फटते रहने के कारण उद्धार-कार्य के असुरक्षित हो जाने से लगे।

(ङ) क्षतिपूर्ति कामकर क्षतिपूर्ति अधिनियम १९२३, के उपबन्धों के अनुसार दी गयी थी, जिसका प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा इस दुर्घटना का वास्तविक कारण जानने के लिये कोई पड़ताल की गयी है ?

श्री वी० वी० गिरि: पड़ताल की जा रही है और प्रतिवेदन के आने पर मैं उसे सदन पटल पर रख दूंगा।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि जो पड़ताल हो रही है, वह सरकारी है या ग़ैर-सरकारी ?

श्री वी० वी० गिरि: मेरे विचार से यह एक सरकारी जांच है ।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि वह पूर्वोपाय, जो सामान्यतः ऐसी खानों में किये जाते हैं, इस दुर्घटना के समय विद्यमान नहीं पाये गये थे ?

श्री वी० वी० गिरि: श्रीमान्, ऐसी बात नहीं है। सभी पूर्वोपाय किये जाते हैं और ध्यान से किये जाते हैं, और ऐसे उपायों की खोज की जाती है, जिस से यह दुर्घटनायें कम हो जायें।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि यह दुर्घटनायें निरन्तर हो रही हैं। यह सब से गहरी सुवर्ण खान है, और रियायत पाने वाले लोग सुरक्षित गहराई से भी आगे बढ़ गये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि वह निरन्तर नहीं हो रही हैं। मुझे यक़ीन है कि यह दुर्घटनायें बढ़ने के स्थान पर घट ही रही हैं और हम बहुत शीघ्र ही इस विषय की पड़ताल करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह संसार में सब से

गहरी खान है और यह दुर्घटनायें इस कारण होती ह कि....

श्री वी० वी० गिरि: वह अपना अभिमत दुहरा रहे हैं। नियुक्त होने वाली समिति इस पर ध्यान देगी।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: ऐसी समितियां पहले भी नियुक्त की गयीं हैं और कितनी ही बार प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या मज़दूर संघों के अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कार्यवाही की जाती है ?

श्री वी० वी० गिरि: विचाराधीन समिति की नियुक्ति करते समय इस बात पर विचार किया जायेगा।

सीमा चिन्हांकन (व्यय)

*३०८. **डा० एम० एम० दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल और आसाम के बीच की सीमा के चिन्हांकन में अब तक किया गया व्यय, और यह पाकिस्तान और भारत के बीच किस प्रकार बांटा जाता है ; तथा

(ख) सीमांकन कार्य के शुरू होने के बाद पाकिस्तान द्वारा सीमा क्षेत्रों के ज़बरदस्ती अधिकृत किये गये स्थानों की संख्या ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) भारत सरकार द्वारा ३१ मार्च, १९५२ तक किया गया कुल व्यय ८,५३,५८६–१२–० था। पाकिस्तान और भारत द्वारा सभी संयुक्त व्यय समान रूप में उठाया जाता है, पर बंगाल सीमा पर खम्भे बनाने के लिये प्रत्येक देश के लिये नियत क्षेत्र में खम्भे बनाने और कर्मचारियों के व्यय सम्बन्धित सरकार द्वारा उठाये जाते हैं।

(ख) आठ।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं वह लगभग तिथि जान सकता हूं, जब इन सीमाओं का चिन्हांकन पूरा हो जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र: यह कहना बहुत कठिन है। कुछ सीमा विषयक झगड़े हैं, और उन के तय होने में समय लगेगा।

डा० एम० एम० दास: प्रयुक्त किये गये सीमा चिन्ह क्या हैं—क्या वह ईंट-पत्थर के बने खम्भे हैं, या इस्पात के लट्ठे।

श्री सतीश चन्द्र: मेरे विचार से वह ईंट पत्थर के बने खंभे हैं।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा उन क्षेत्रों को भारत में वापस लेने के लिये क्या पग उठाये गये हैं, जो पाकिस्तान द्वारा ज़बरदस्ती अधिकृत कर लिये गये थे ?

श्री सतीश चन्द्र: यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के लिये एक समझौता किया गया था। इसमें से तीन विवाद बंगाल से सम्बन्धित हैं और पांच आसाम से। एक निर्णय किया गया था कि ११ अगस्त, १९५१ वाली स्थिति पर फिर वापस पहुंचा जाये और सशस्त्र सेनायें अपनी पुरानी चौकियों तक लौट जायें।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि यह विशिष्ट तिथि क्यों निश्चित की गयी थी। उस के पहले पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भाग—क्या वह भारतीय सीमा में थे, या वे क्षेत्र मूलतः पाकिस्तान के थे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): इन सारे सीमा-क्षेत्रों पर झगड़ा है। जब तक एक समुचित सीमा निश्चित न हो जाये, तर्क चलते ही रहते हैं। प्रत्येक पक्ष यही

कहता है कि सीमा क्षेत्र का वह विशिष्ट टुकड़ा उस का है । इसलिये ठीक उपाय यही है कि सीमा अन्तिम रूप से निश्चित कर दी जाये, तब सीमा क्षेत्र के विषय में सन्देह की गुंजाइश नहीं रहेगी । इस समय जब कि विभिन्न स्थानों पर सीमा निश्चित हो रही है, तो वह इसी नतीजे पर पहुंचे हैं ; अस्तु, हम सन् १९५१ की एक निश्चित तिथि को विद्यमान स्थिति को मान लेंगे और सेना हटा ली जायगी । सीमा निश्चित होते समय के यह अस्थायी निर्णय हैं ।

श्रीमती खोंगमन : क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत सारी ज़मीन जो मूलतः खासी राज्यों की थी, अब पाकिस्तान में है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या आसाम और पूर्वी पाकिस्तान के गोलपाड़ा सीमा पर के झगड़ों का अन्तिम रूप से निर्णय हो रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : गोलपाड़ा सीमा के बारे में बग्गे न्यायाधिकरण का निर्णय भारत और पाकिस्तान द्वारा मान लिया गया है । फिर भी, उस निर्णय के अनसार सीमा के वास्तविक चिन्हांकन के प्रश्न पर मतभेद हो गये हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या हम यह समझें कि बग्गे न्यायाधिकरण के निर्णय से सीमा का चिन्हांकन निश्चित रूप से तय नहीं हुआ ?

श्री सतीश चन्द्र : सिद्धान्ततः यह तय हो गया है, पर अब भी सीमा के वास्तविक चिन्हांकन और उस निर्णय के निर्वचन के बारे में झगड़ा है ।

डा० एम० एम० दास : क्या प्रधान-मंत्री के उत्तर के बारे में हम यह समझें कि नियत तिथि के पहले यह विवादग्रस्त क्षेत्र निरन्तर इधर या उधर होते रहे थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ठीक ठीक नहीं समझा कि माननीय सदस्य का इस कथन से कि प्रत्येक विवादग्रस्त क्षेत्र निरन्तर इधर या उधर होता रहा है, क्या अभिप्राय है । कभी कभी कुछ छोटे छोटे क्षेत्र इधर या उधर बदलते रहे हैं ।

राज्य व्यापार समिति का प्रतिवेदन

*३०९. **डा० पी० एस० देशमुख :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार समिति की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ख) प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ?

(ग) क्या समिति के विचार को अन्तिम रूप देने के लिये कुछ समयावधि निश्चित की गयी है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) समिति की मुख्य सिफ़ारिश संक्षेपतः यह है कि राज्य की वर्तमान व्यापारिक कार्यवाहियां नामतः खाद्यान्न, कृषिसार, इस्पात और कोयला, विद्यमान सरकारी विभागों से ले कर एक निगम को सौंप दी जायें । समिति ने यह भी सिफ़ारिश की थी कि यह निगम पूर्वी अफ्रीका से कपास के आयात और छोटे रेशे की कपास और गृह उद्योग के माल के निर्यात को भी अपने हाथ में ले ले । इन सिफारिशों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

(ख) ३ अगस्त, १९५० ।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान् । प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफ़ारिशों द्वारा उठायी गयी समस्याओं पर सरकार की

व्यापार तथा उद्योग विषयक नीति के प्रकाश में विचार करना होगा । प्रतिवेदन पर और सभी संगत काग़जों के साथ तभी विचार किया जायेगा जब प्रतिवेदन में उल्लिखित विशिष्ट व्यापार के विषय में नीति का निश्चय किया जायेगा

डा० पी० एस० देशमुख: क्या यह सच है कि भारत की सीमा के अधिकांश पड़ौसी देश राज्य व्यापार को अधिकाधिक अपना रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं माननीय सदस्य से यह सूचना सहर्ष ग्रहण करता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने पटसन के माल के व्यापार के बारे में कुछ सिफ़ारिश की थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी हां, समिति ने स्वयं व्यापार द्वारा केंद्रीकृत क्रय की सिफ़ारिश की थी । पर चूंकि अब देश में पटसन और पटसन के माल दोनों का अपनियंत्रण कर दिया गया है अतः स्थिति में थोड़ा सा अन्तर आ गया है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या यह सच है कि सरकार ने व्यवहारतः ऐसे निदेश निकाले थे कि जूट के माल का व्यापार सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और बाद में उन निदेशों को वापस ले लिया गया था, और यदि यह तथ्य है, तो क्यों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

मोटर गाड़ियों का निर्माण

*३१०. **डा० पी० एस० देशमुख**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन मोटर निर्माताओं के नाम क्या हैं, जिन्होंने भारत में सन् १९५० और १९५१ में मोटर कारें बनाई हैं ?

(ख) मोटरगाड़ियां बनाने के लिये इस समय भारत में निर्मित होने वाले हिस्सों की संख्या क्या है ?

(ग) क्या कोई ऐसा भी समवाय है, जो पूरी कार निर्मित करता हो ?

(घ) यदि है, तो उक्त समवाय या समवायों के नाम क्या हैं और वार्षिक उत्पादन कितना है, तथा भारत में प्रत्येक प्रकार की मोटरगाड़ी कितनी अश्व शक्ति वाली होने पर किस दाम में बिकती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८**]

(ख) ८३ ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

डा० पी० एस० देशमुख: प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दी गयी सूचना केवल उन्हीं सार्थों के नाम बताती है, जो मोटर-कारों के हिस्सों को जोड़ती हैं, इससे ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती है कि क्या ऐसा भी कोई सार्थ है, जो उन को वस्तुतः बनाता हो

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): स्थिति यह है । यदि मेरे माननीय मित्र विवरण को पढ़ें तो वह देखेंगे कि उस में निर्माण कार्यक्रम वाले ऐसे सार्थों के नाम दिये गये हैं, जिन्होंने सन् १९५० और १९५१ में कारों के हिस्सों को जोड़ा था । यहां पर उन सार्थों में भेद रखा गया है, जो केवल हिस्सों को जोड़ने वाले हैं तथा जिन का कोई निर्माण कार्यक्रम है और कुछ हिस्सों का निर्माण करते हैं । पर वह मुख्यतः आयात किये गये हिस्सों

को जोड़ते हैं । और विवरण में जो पांच नाम उल्लिखित हैं, उन के सामने एक निर्माण कार्यक्रम है । जैसा मेरे माननीय साथी ने उत्तर में बताया है, ऐसे कोई निर्माता नहीं हैं, जो भारत में मोटर कार तैयार करने के लिये आवश्यक सभी हिस्सों का निर्माण करते हों ।

डा० पी० एस० देशमुख : किस वर्ष से यह आशा है कि इन में से कोई सार्थ पूरी मोटर कार का निर्माण करने लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि उन सामान्य निराशाओं को ध्यान में रखा जाये जो ऐसी आशाओं के आड़े आती हैं, तो आशा यह है कि सन् १९५६ तक निर्माण-कार्यक्रम वाले सार्थ मोटर कार के ७५ प्रति शत हिस्सों का निर्माण कर सकेंगे ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या यह सच है कि इन में से अधिकांश सार्थ ठीक उसी प्रतिरूप (माडेल) और उसी प्रकार की कारें बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसी दूसरे देशों में बनाई जाती हैं, या ऐसी मोटरकारें बनाने का प्रस्ताव है या ऐसा कुछ प्रयत्न किया जा रहा है, जो भारतीय दशाओं के अनुकल हों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रश्न के पूर्वार्द्ध का उतर स्वीकारात्मक है । उत्तरार्द्ध के बारे में मैं नहीं समझता कि इस देश में ऐसे प्रविधिविज्ञ हैं, जो भारतीय दशाओं के अनुकूल मोटरकार का डिजाइन बना सकें । हमें दूसरे देशों में बनी कारों के डिजाइन को भारतीय दशाओं के उपयुक्त संयोजित भर करना होगा ।

डा० पी० एस० देशमुख: इन सार्थों को कार्यारम्भ करने और हिस्सों के बनाने की अनुमति देने के पहले क्या ऐसी कोई शर्त रखी गई थी कि उन को किसी विशिष्ट तिथि तक पूरी मोटर कार बनानी होगी, और यदि रखी गई थी तो क्या उन के द्वारा उन शर्तों का पालन किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: निर्माण कार्यक्रम वाले हिस्से जोड़ने वालों सार्थों के विषय में शर्तें साधारणतः सरकार और निर्माताओं के बीच के सम्बन्धों को बनाये रखने से सम्बन्ध रखती है । इन सार्थों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम में यह मान लिया गया है कि सन् १९५६ तक उन को ७५ प्रतिशत हिस्से बनाने चाहियें । मैं समझता हूं कि इस से आगे और कुछ मांग करना सरकार के लिये अनुचित होगा और सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा उस को स्वीकार कर लिया जाना भी अनुचित होगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या केवल थोड़े से ही हिस्सों को बाहर से आयात किया जाता है, या अब भी बहुत से हिस्सों का आयात होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे कहना चाहिये कि अधिकांश का ।

डा० जयसूर्य: क्या यह सच है कि इन सार्थों ने, जो मुख्यतः हिस्से जोड़ने वाले और निर्माता नाममात्र को हैं, संरक्षण दिये जाने की मांग की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह सच है ।

सूती धागा (निर्यात)

*३११. **डा० पी० एस० देशमुख** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९ और १९५० में भारत से बाहर निर्यात किये गये सूती धागे की मात्रा कितनी है ?

(ख) क्या सन् १९५२–५३ में निर्यात किये जाने के लिये सूती धागे की मात्रा निश्चित कर दी गयी है ?

(ग) यदि कर दी गयी है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

	पौंड
१९४९	३२,६९०,८९६
१९५०	३२,७०५,४२७

(ख) और (ग) उन देशों को छोड़ कर, जिन के साथ सूत के संभरण के लिये भारत के उभयपक्षीय व्यापार समझौते हैं, सूती धागे के निर्यात की अनुमति नहीं है। तदनुसार सूत के इतने निर्यात की अनुमति है :—

पाकिस्तान—१ जनवरी, १९५२ से ३० जून, १९५२ तक ७५,०० गांठें।

आस्ट्रेलिया—१ जनवरी, १९५२ से ३० जून, १९५२ तक ५,००० गांठें।

मुझे बता देना चाहिये कि अब यह दूसरे देशों को भेजी जा रही हैं, क्योंकि आस्ट्रेलिया को इन की आवश्यकता नहीं है।

ब्रह्मा—१ जनवरी, १९५२ से ३१ दिसम्बर, १९५२ तक २,००० गांठें। और सन् १९५५ तक प्रति वर्ष यही मात्रा।

लंका—१ जनवरी, १९५२ से ३१ दिसम्बर १९५२ तक ३५०० गांठें।

इस के अतिरिक्त मिलों को अपने संचित स्कंध को निकालने में समर्थ बनाने के लिये २।३० और २।६० (दोनों समेत) के बीच के और २।८० और इस के ऊपर की कपास को छोड़ विदेशी कपास से तैयार किये गये सूत की ६००० गांठों के जून, १९५२ तक मुक्त रूप में निर्यात की अनुज्ञप्तियां भी दी जा रही हैं।

डा० पी० एस० देशमुख: जहां तक इस सूत का सम्बन्ध है, खड्डी उद्योगों की मांग की क्या स्थिति है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि मैं साधारण बात कहूं तो मुझे कहना चाहिये कि आज की स्थिति ऐसी है कि खड्डी उद्योग को सूत की जरा भी जरूरत नहीं है। उस के पास पर्याप्त संभरण है।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या सरकार ने खड्डी उद्योग की मांग की कमी के कारणों की जांच की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रति दिन हम मिलों और आढ़तियों के पास जा कर वस्तुओं के संचय के कारणों का और खड्डी (हथकरघा) उद्योग की स्थिति का परीक्षण करते रहते हैं। यह मंत्रालय के जीवन में कोई अकेली या एकमात्र घटना नहीं है, जो मेरे सामने आ रही है।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या सरकार ने कभी यह जांच की है कि जुलाहों की बेरोजगारी और दुखों का कारण.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह सुझाव और तर्क दोनों ही हैं, और इसमें किसी सूचना के दिये जाने की इच्छा नहीं की गयी है।

काली मिर्च और वस्त्र (निर्यात-शुल्क)

*३१२. **श्री पी० टी० चाको** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारतीय व्यापार मंडल, बम्बई की समिति ने सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि काली मिर्च और वस्त्र पर से इन पदार्थों के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये निर्यात शुल्क घटा दिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि किया है, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है; तथा

(ग) क्या सरकार ने काली मिर्च के दाम में तेजी से होने वाली कमी को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने काली मिर्च और वस्त्र पर से निर्यात शुल्क घटाना आवश्यक नहीं समझा ।

(ग) प्रत्यक्ष ही ऐसी कोई बात नहीं, जो सरकार इस विषय में कर सकती हो ।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भारतीय काली मिर्च की विदेश में फिर वैसी ही बिक्री होने के लिये जो समाचार हैं कि अब कम होती जा रही है, कोई कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर: केवल इस के लिये प्रार्थना की जा सकती है । ऐसी कोई कार्यवाही नहीं है, जो सरकार कर सके । यदि विदेशी मांग कम है, तो हम कुछ नहीं कर सकते ।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने निर्यात होने वाली काली मिर्च की किस्म को ठीक रखने के लिये एक प्रकार का नियंत्रण प्राधिकार नियुक्त करने के बारे में कुछ कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर: काली मिर्च की क़िस्म के बुरे होने की हमें कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री पी० टी० चाको उठे—

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य याद रखें कि उन को कार्यवाही करने के लिये सुझाव नहीं देना है, वह केवल सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि क्या दूसरे देशों में नियुक्त हमारे व्यापार आयुक्त भारतीय पदार्थों की बिक्री को फिर से बढ़ाने के लिये कुछ नहीं कर सकते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): स्थिति यह है कि काली मिर्च हमारे निर्यात की उन प्रमुख वस्तुओं में से एक है, जिन में हमें इस कारण रुचि है कि यह विदेशी विनिमय प्राप्त कराती है । बाज़ार की अस्थिरता उसी प्रकार मंत्रालय के मन में चिन्ता पैदा करती है, जिस प्रकार व्यापार के । और यहां मैं अपने माननीय साथी द्वारा दिये गये उत्तर को संशोधित करना चाहूंगा । क़िस्म प्रायः बदलती रही है और इसीलिये निर्यात बाज़ार में कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है । पर सरकार यथासंभव सब कुछ कर रही है । निश्चय ही अपने व्यापार आयुक्तों से मांग की इस कमी और इस के कारणों का पता लगाने के लिये कहा गया है । पर मैं नहीं कह सकता कि इसी से अधिक सरकार और क्या कर सकती है ।

श्री पी० टी० चाको: क्या सरकार को ज्ञात है कि काली मिर्च के दाम गिरने से काली मिर्च उत्पादकों को भारी परेशानी हो गयी है और काली मिर्च उगाने वालों की अधिकांश संख्या छोटे छोटे किसानों की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हमें ज्ञात है कि व्यापार में आयी कोई भी अस्थिरता उन लोगों की परेशानी का कारण होती है, जो उस व्यापार में लगे होते हैं या जो उसका उत्पादन करते हैं, पर वस्तुतः इस अस्थिरता का कारण सरकार नहीं होती है । मेरा विचार है कि यदि मेरे माननीय मित्र काली मिर्च के आज के मूल्यों पर ध्यान दें, तो उन को पता चलेगा कि बाज़ार हाल ही में तेज़ हो गया है ।

श्री ए० एम० टामस: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि काली मिर्च पर आजकल निर्यात शुल्क की दर क्या है ?

श्री करमरकर: निर्यात शुल्क ३० प्रति शत है ।

वस्त्र (आयात)

*३१३. **श्री पी० टी० चाको:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी वस्त्र का आयात बिलकुल बन्द कर दिया गया है, और यदि नहीं कर दिया गया है तो सन् १९५१-५२ में वस्त्र आदि का कितना आयात हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): जी नहीं श्रीमान् । एक विवरण, जिस में सन् १९५१-५२ में आयात हुये ऐसे माल का मूल्य दिया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९**]

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि यह किस आधार पर राज्यों को बांटा जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं नहीं समझता कि ऐसा आवंटन होता है । मैं ग़लत होऊं, तो इसे सुधार लिया जाये । यदि मेरे माननीय मित्र ठीक ठीक उत्तर चाहते हैं, तो मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

सोवियेत संघ रूस और पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार

*३१४. **डा० एम० एम० दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में भारत तथा पूर्व-यूरोपीय देशों और सोवियेत संघ रूस के साथ द्वये व्यापार (आयात और निर्यात पृथक् पृथक्) की रुपयों में कुल मात्रा ;

(ख) आयात और निर्यात की मुख्य मदें और आयातित और निर्यातित मात्राओं के मूल्य; तथा

(ग) क्या व्यापार को व्यापार समझौतों द्वारा नियमित किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख) । अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०**]

(ग) हंगरी और पोलैण्ड के साथ व्यापार का विनियमन करने के लिये परस्पर पत्रों का विनिमय हुआ था, और उन को प्रकाशित कर दिया गया है । जैकोस्लोवाकिया के साथ नया समझौता करने के लिये व्यापार वार्त्ता की जा रही है, क्योंकि उसके साथ हुआ पिछला व्यापार समझौता मार्च, १९५१ में समाप्त हो चुका है ।

डा० एम० एम० दास: विवरण में दिये गये देशों के आयात-निर्यात के कुल मूल्य अलग अलग लिये जाने पर एक दूसरे से सन्तुलित नहीं होते हैं । उदाहरण के लिये रूस को हमारा निर्यात छः करोड़ सढ़सठ लाख रुपये का है, जब कि रूस से हमारा आयात एक करोड़ अड़तीस लाख रुपये का है । मैं जानना चाहूंगा कि शेष धन भारत को किस प्रकार चुकाया जाता है ?

श्री करमरकर: सामान्य रीति से । वस्तुतः मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि पक्ष या विपक्ष का कोई भुगतान नगदी में नहीं चुकाया जाता है । यह उन के हिसाब में ठीक कर लिया जाता है । उदाहरण के लिये रूस के साथ हम ने एक प्रबन्ध किया है कि हम एक अंग्रेज़ी बक को रुपया देते हैं, और उन को इस के द्वारा यह रुपया प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार इसका प्रबन्ध किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि भारत को लगभग पांच करोड़ रुपयेकिस प्रकार मिलते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : अन्यत्र अतिरेक द्वारा ।

डा० एम० एम० दास: मैं समझता था कि रूस सुलभ मुद्रा क्षेत्र या दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र में नहीं आता है ।

श्री सी० डी० देशमुख: इसे सुलभ-मुद्रा-क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया था ।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या इन रूसी गुट के देशों के साथ व्यापार-समझौते एक एक से किये जा रहे हैं या सब देशों से एक साथ मिला कर ।

श्री करमरकर: स्वभावत: प्रत्येक देश से व्यक्तिगत रूप में ।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि इस देश को साम्यवाद का निर्यात करने के मूल्य रूस को किस प्रकार चुकाये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर न दें ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हूं कि क्या इन में से किसी देश की कोई विशेष व्यापार एजेंसी यहां है ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, मेरे विचार से है । अपने दूतावासों द्वारा वह यह सब काम करते रहते हैं और कुछेक की अपनी व्यापार एजेंसियां भी हैं ।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या निजी लोगों द्वारा सोवियेत रूस के साथ इन दोनों देशों के बीच व्यापार करने की कुछ विशेष सुविधायें दी जाती हैं और क्या सरकार द्वारा विनिमय-सम्बन्धी कोई सुविधा दी जाती है ?

श्री करमरकर: जैसा माननीय सदस्य को विदत है, हमारा देश बिलकुल स्वतन्त्र है, और हम निजी व्यापारियों को भी यथा संभव सभी सहायता देते हैं ।

श्री वैलायुधन: श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय: वह इस का वही अर्थ लगायें, जो इस से अभिप्रेत है ।

बीड़ी श्रम

***३१५. श्री के० सी० सोधिया:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) देश में बीड़ी व्यवसाय में लगे हुये मनुष्यों की लगभग संख्या इन शीर्षों के अन्तर्गत:

(१) निर्माता, (२) दलाल और (३) कामकर ; तथा

(ख) क्या श्रम कल्याण के लिये गत चार वर्षों में अधिनियमित भिन्न भिन्न अधिनियमों में से किसी के उपबन्ध बीड़ी श्रम पर लागू किये गये हैं और यदि नहीं किये गये तो क्यों नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) । राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना भेजने के लिये कहा गया है, जो प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

फिर भी मैं कुछ सूचना, जो संगत है और इस सदन के माननीय सदस्यों के लिये उपयोगी होगी, दे सकता हूं । बीड़ी उद्योग को न्यूनतम मजूरी अधिनियम में लिया गया है । बाल सेवायोजन अधिनियम, १९३९ भी जो १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों के सेवायोजन का निषेध करता है, बीड़ी कारखानों पर लागू होता है । बीड़ी बनाने वाले संस्थापन, जो बिजली से नहीं चलते. २० या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने पर फ़ैक्टरी अधिनियम द्वारा शासित होते हैं । कुछ राज्य-सरकारें २० से कम कामकरों को सेवायुक्त करने वाली फ़ैक्टरियों का दूकान तथा व्यापारिक संस्थापन अधिनियम द्वारा नियमन करती हैं । प्राय: सभी राज्य सरकारों

ने, जो इस उद्योग से प्रथमतः सम्बन्धित हैं, इस उद्योग की कार्य दशा का नियमन करने के लिये या तो नगरपालिका अधिनियम या अनियंत्रित फ़ैक्टरी अधिनियम जैसे विशेष विधान बना कर वैधानिक उपाय किये हैं ।

श्री के० सी० सोधिया: क्या भारत सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों से इन विभिन्न अधिनियमों के लागू किये जाने के बारे में सामयिक प्रतिवेदनों की मांग करती है ?

श्री वी० वी० गिरि: हम ने राज्य-सरकारों से पूरी पूरी सूचना भेजने को कहा है, और इस के प्राप्त होते ही हम इसे सदन पटल पर रख देंगे ।

श्री नामधारी: मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार देश के इस व्यापार को, जो एक ऐसी बुराई है, जो देश के युवकों के स्वास्थ्य युद्धकालीन स्तर तक गिरा देती है, निरुत्साहित करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय: वह इस प्रश्न का उत्तर न दें ।

श्री बी० शिवा राव: मैं पूछ सकता हूं कि क्या बीड़ी श्रम की कोई पेशे सम्बन्धी बीमारी, जिस से इस के मजदूरों को भी कामकर क्षतिपूर्ति अधिनियम के लाभ प्राप्त हो सकें, सूचीबद्ध की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि: मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री वेंकटारमन्: क्या सरकार को ज्ञात है कि मालिक लोग ठेकेदारों को लगा कर फ़ैक्टरी अधिनियम का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, और यदि ज्ञात है, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री वी० वी० गिरि: सरकार निश्चय ही कोई उपाय करेगी, पर इस विषय में मेरे मित्र मजदूर नेताओं का भी यह कर्तव्य है कि वह विभिन्न अधिनियमों के बीड़ी मजदूरों पर भी यथोचित रूप से लागू किये जाने पर ध्यान रखें ।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य की दृष्टि में कि बीड़ी उद्योग अब मरणासन्न अवस्था में है, क्या भारत सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं नहीं समझता कि यह सूचना सही है, पर मैं इसे माननीय सदस्य से ग्रहण किये लेता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि मद्रास में १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी काम पर लगाया जा रहा है और झूठी आयु बतायी जा रही है ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं मानता हूं कि राज्य सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि अधिनियम के उपबन्ध समुचित रूप से लागू हों ।

कनाडा के साथ व्यापार

***३१६. श्री एम० आर० कृष्ण:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कनाडा के साथ इस देश के कुछ व्यापार सम्बन्ध हैं ?

(ख) यदि हैं, तो कनाडा को किन पदार्थों का निर्यात होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]**

पोत निर्माण

*३१७. **श्री एम० आर० कृष्ण:** क्या **निर्माण, उत्पादन तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में युद्ध-पोत बनाने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

श्री एम० आर० कृष्ण: भारत में युद्ध पोत तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

श्री के० सी० रैड्डी: मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि कितनी जल्दी हम युद्ध पोत बनाने लगेंगे। समूचा विषय अभी योजना स्थिति में ही है। मुझे खेद है कि मैं सार्वजनिक हित की दृष्टि में और अग्रेतर सूचना देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री नम्बियार: इस तथ्य की दृष्टि में कि भारत के पास बड़े-बड़े पोत नहीं हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या व्यापारिक कामों के लिये अपेक्षित पोतों को वरीयता दी जायेगी ?

श्री के० सी० रैड्डी: जी हां, हम केवल व्यापारिक पोत ही बना रहे हैं। नौसेना सम्बन्धी युद्ध पोत बनाने का प्रश्न बाद में उठाया जायेगा।

व्यापार संतुलन

*३१८. **श्री बर्मन:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल-दिसम्बर, १९५१ में व्यापार सतुलन की क्या स्थिति थी ?

(ख) किस सीमा तक यह आयात और निर्यात पर चुकाये गये जहाजी भाड़ों द्वारा प्रभावित हुई है ?

(ग) भारतीय और अभारतीय जहाजी कम्पनियों के बीच यह जहाजी भाड़ा किस प्रकार बांटा जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) अप्रैल-दिसम्बर, १९५१ के समय में व्यापार सन्तुलन की स्थिति इस प्रकार थी:

(करोड़ रुपयो में)

आयात	निर्यात और पुनर्निर्यात	सन्तुलन
६९५.३९	५६३.३९	१३२.००

(ख) तथा (ग)। सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। मुझे भय है कि इसे एकत्र करने के लिये व्यय किया गया समय और प्रयत्न संभावित परिणामों के सममात्रिक नहीं होगा।

श्री बर्मन: क्या सरकार गत दो तीन वर्षों में भारतीय जहाजों के टन भार में हुई वृद्धि का कुछ अन्दाज दे सकेगी ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री बर्मन: मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय जहाजी कम्पनियों को दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार में दोनों ओर की यात्रा के लिय पर्याप्त बोझ मिल जाता है ? क्या सरकार भारतीय जहाजी कम्पनियों का काफ़ी बोझ मिलने की ओर ध्यान रखेगी ?

श्री करमरकर: मेरे विचार से यह प्रश्न उपयुक्त मंत्रालय से उपयुक्त पूर्व-सूचना दे कर पूछे जायें।

श्री बर्मन: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि दूसरे देशों से आने वाले माल यानी भारत में आयातित माल का बीमा भारतीय कम्पनियों में किया जाये ?

श्री करमरकर: मैं समझता हूं कि सरकार भारतीय नौपरिवहन के हित में यथासंभव सभी कार्यवाही कर रही है । मुझे भय है कि मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिये समर्थ नहीं हूं.....

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर देने का प्रयत्न भी न करें । मैं बताये देता हूं कि यह प्रश्न बहुत विस्तृत है और बहुत से विवरण अपेक्षित हैं । साथ ही यह प्रस्तुत प्रश्न से भी उत्पन्न नहीं होता है ।

धोतियां और साड़ियां (मूल्य)

***३१९. श्री बर्मन:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि धोतियों और साड़ियों के नियंत्रित मूल्य निश्चित करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

(ख) इन बातों में मोटी, बीच की, महीन और बहुत महीन धोतियों और साड़ियों के विषय में सन् १९३९ की तुलना म सन् १९५२ में कैसे अन्तर आ गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) धोतियों और साड़ियों के नियंत्रित मूल्य निश्चित करने में ध्यान में रखी जाने वाली बातें यह हैं:

(१) कपास का मूल्य ।

(२) निर्माण-व्यय ।

(३) परिमार्जन (प्रौसेसिंग) व्यय ।

(ख) चूंकि १९३९ में कपड़े के ऊपर नियंत्रण नहीं था, इन बातों की लागत का सन् १९३९ और सन् १९५२ के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना सम्भव नहीं है ।

श्री बर्मन: मैं जान सकता हूं कि क्या इस देश में आयातित कपास मिल मालिकों को समानीकृत मूल्यों पर अर्थात् सभी मिलों को समान मूल्य पर दी जाती है या मिल मालिक अपनी कपास बाहरी देशों से अपने मूल्य पर खरीदते हैं और इसे लागत में जोड़ देते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: एकत्रीकृत मूल्य नहीं है । मिल मालिकों को निश्चय ही वही दाम चुकाने होते हैं, जो मांगे जायें ।

श्री बर्मन: यदि दूसरे देशों से खरीद के दामों में भारी अन्तर हो और वह प्रत्येक मिल के सम्बन्ध में अलग अलग हो, तो क्या सरकार लागत निश्चित करते समय इस का ध्यान रखती है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । मैं समझता हूं कि यह कार्य करने के लिये सुझाव है या आत्मकल्पित प्रश्न है ।

श्री बर्मन: मैं इस बात को जानने के लिये यह सूचना सरकार से प्राप्त कर रहा था कि क्या भारतीय मिलों में तैयार होने वाले कपड़े की लागत उस दशा में, जब कि भिन्न भिन्न मिल मालिकों द्वारा भिन्न भिन्न समय तथा भिन्न स्थिति में खरीदी गई कपास के दामों में अन्तर हो, एक समन्याय्य आधार पर निर्धारित की जाती है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: स्थिति बड़ी ही जटिल है । विदेशी कपास केवल महीन और बहुत महीन कपड़े के लिये ही काम में आती है । स्वभावतः जब महीन और बहुत महीन कपड़े के दाम निश्चित किये जाते हैं, तो विदेशी कपास के दाम ध्यान में रखे जाते हैं। मिलों द्वारा भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न दामों पर की गयी खरीद के बारे में एक समस्या सी खड़ी हो जाती है । वस्त्र आयुक्त ने मिल व्यवसाय को साधारणतः यह सुझाया था कि वह दामों के निश्चित करने के बारे में एक भारीकृत मध्यमान वाली योजना स्वीकार कर लें । परामर्शदात्री समिति की

पिछली बैठक में मिल मालिकों ने तथा-कथित तटकर-पर्षद् सूत्र को अधिक पसन्द किया, जिस का मैं ने एक दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में उल्लेख किया था। यह प्रश्न कि भारीकृत मध्यमान प्रणाली को अपनाया जाये या तटकर-पर्षद् सूत्र के अनुसार चला जाये, स्वयं मिल मालिकों द्वारा निश्चित किया जाना है। इस विषय में हम साधारणतः बहुसंख्यकों के मत को ध्यान में रखते हैं।

श्री के० जी० देशमुख: मैं जान सकता हूं कि दाम निश्चित करते समय कितना प्रतिशतक मिल मालिकों को दिया जाता है और कितना एजेंटों को ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: तटकर-पर्षद् सूत्र कुल राशि पर ६ प्रतिशत की गुंजाइश के आधार पर बनाया गया है, जहां तक व्यापार को दी गयी गुंजाइश का सम्बन्ध है, यह कपड़े पर १४ प्रति शत और सूत पर १२ १/२ प्रति शत है।

श्री आर० के० चौधरी: क्या सरकार ने बचत के आधार पर मिल मालिकों के लिये कोई ऐसे निदेश निकाले थे कि धोतियों और साड़ियों की लम्बाई क्रमशः ४ १/२ और ५ गज तक सीमित रहे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: निःसन्देह धोतियों और साड़ियों के विषय में बड़े कड़े प्रमाप रखे गये हैं, न केवल काम में लाये जाने वाले सूत के प्रकार के बारे में बल्कि विपा (रीड) और निराल (पिक्स) और ताने बाने (वार्पस और वैफ्ट्स) के काम में आने वाले सूत के नम्बरों के बारे में भी। निदेश इतने जटिल हैं कि एक पखवारे तक अध्ययन करने पर भी मैं उन को पूर्णतः समझ नहीं सका। मेरे माननीय मित्र विश्वास रखें कि भारत सरकार यह देखने के लिये कि मिल उत्पादन प्रमापों का पालन करें, सभी पूर्वोपाय कर रही है।

श्री गुरुपादस्वामी: मैं जान सकता हूं कि धोतियों के दाम साड़ियों के दामों की तुलना में कैसे हैं ?

अध्यक्ष महोदय: यदि वह गंभीरता से प्रश्न कर रहे हैं, तो वह गजों की बात कहना चाहते हैं।

श्री गुरुपादस्वामी: मैं गम्भीर ही हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगले प्रश्न को लेंगे।

संसद् सदस्यों के लिये फ्लैट्स

*३२१. **सरदार लाल सिंह:** क्या **निर्माण, उत्पादन तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के लिये बनाये गये फ्लैटों की लागत तथा प्रत्येक प्रकार के फ्लैटों की कुल संख्या तथा प्रत्येक प्रकार को फ्लैट में निवास स्थान;

(ख) फ्लैट की कुरसी के क्षेत्रफल की प्रति वर्ग फ़ुट लागत ;

(ग) नार्थ एवेन्यू के क, ख और ग प्रकार के एक फ्लैट की लागत ;

(घ) प्रत्येक प्रकार के फ्लैट में दिये गये फ़रनीचर की मात्रा और उस की लागत ; तथा

(ङ) फ्लैट और फ़रनीचर दोनों के ही लिये प्रति मास किराया किस प्रकार जोड़ा गया है ?

निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२।**]

डा० पी० एस० देशमुख : उत्तर का सारांश बता दिया जाये ।

सरदार लाल सिंह : क्या सरकार को ज्ञात है कि फ़ीरोजशाह रोड, क्वीन्सवे और विंडसर प्लेस के बंगलों में नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में उपलब्ध निवास स्थान से दुगुना निवास स्थान है, फिर भी किराये अपेक्षतया बहुत कम हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह: मैं नहीं कह सकूंगा कि निवास-स्थान ठीक दुगुना ही है: पर यह सच है कि बंगलों में निवास स्थान फ्लैटों की अपेक्षा अधिक है । निर्माण की अपेक्षतया कम लागत के कारण किराया भी कम है ।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से इन प्रश्नों पर माननीय मंत्री से निजी रूप में बातचीत की जा सकती है । यह सदन में पूछे जाने के योग्य इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

सरदार लाल सिंह : क्या सरकार इन सारे फ्लैटों के समूहीकरण करने की वांछनीयता पर विचार करेगी और...

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । हमें इतने ब्यौरों में नहीं जाना चाहिये । यह तो प्रायः तर्क की बात है कि इसे कैसे ठीक किया जाये । माननीय सदस्य इन विषयों को संसद की गृह-समिति में भी उठा सकते हैं । वह उचित प्रक्रिया होगी ।

उड़ीसा से भर्ती किये गये चाय बागान श्रमिक

*३२२. **श्री संगण्णा**: (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों के उन श्रमिकों की संख्या क्या है, जो गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष उड़ीसा के कोरापुत और फुलबनी जिलों में चाय जिला श्रम संघ, भारत (टी डिस्ट्रिक्ट लेबर एसोसिएशन, इंडिया) द्वारा भरती कर के बाहर भेजे गये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि यह श्रमिक भूमिहीन हैं और उन को आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपने पूर्वजों की घर ज़मीन छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा है ?

(ग) क्या सुरक्षायें और पूर्वोपाय कर लिये गये हैं और चाय जिला श्रम संघ की बस्तियों में इन श्रमिकों की साधारण भलाई और भरण-पोषण के लिये चाय जिला श्रम संघ और इन श्रमिकों के बीच किस प्रकार का समझौता चल रहा है ?

(घ) क्या ऐसी कोई प्रत्याभूति है कि आज के बड़े चढ़े निर्वाह व्ययों के अनुसार इन श्रमिकों को समुचित मजूरी नियमित रूप से दी जाये ?

(ङ) क्या चाय जिला श्रम संघ की बस्तियों में काम करने वाले इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का भी कुछ उपबन्ध है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के भरती सम्बन्धी अलग आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं । एक विवरण, जिस में गत पांच वर्षों में चाय जिला श्रम संघ द्वारा उड़ीसा राज्य से की गयी भर्ती दी गयी है, सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) सरकार के पास उन परिस्थितियों की ठीक ठीक सूचना नहीं है जिन के अधीन श्रमिक आसाम के चाय बाग़ानों में काम करने को तैयार हो जाते हैं । उन में से अधिकांश भूमिहीन श्रमिक होने चाहिये, यद्यपि कुछेक के पास थोड़ी बहुत जमीन होगी, जो उन के भरण पोषण के लिये पर्याप्त नहीं होगी ।

(ग) चाय जिला प्रवासी श्रम अधिनियम, १९३२, जिस के अधीन भरती की जाती है, सहाय-प्राप्त प्रवासियों के एक बार नौकरी की जगह पर पहुंच जाने के बाद उन सहाय-प्राप्त प्रवासियों के कल्याण कार्य का कोई नियमन नहीं करता है। फिर भी अधिनियम के अधीन मालिक लोग इस के लिये बाध्य हैं कि भरती के पहले प्रत्येक सहाय-प्राप्त प्रवासी को आसाम के चाय बाग़ानों के जीवन और काम के विषय में सूचना विवरण दें। यह सूचना विवरण मालिकों और श्रमिकों के बीच समझौते का काम करता है और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में यह उपबन्ध है कि मिथ्या या अपर्याप्त सूचना का दिया जाना दंडनीय होगा। यातायात के तथा रास्ते के पर्याप्त प्रबन्धों का करना संविहित रूप से वांछित है। बाग़ानों में कल्याण सम्बन्धी उपायों का अब बागान श्रम अधिनियम, १९५१ द्वारा नियमन किया जायेगा, जो शीघ्र ही लागू हो जायेगा।

(घ) आसाम के बागान श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी की दरें राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अधीन निश्चित की गयी हैं। मालिकों के लिये यह अत्यावश्यक है कि मजूरियां उन दरों या उन से अधिक दरों पर दें।

(ङ) बागान श्रम अधिनियम, १९५१ की धारा १४ के अनुसार प्रत्येक मालिक के लिये यह अत्यावश्यक है कि यदि किसी बागान में बागान मजदूरों के छः से बारह वर्ष तक के बच्चों की संख्या २५ से अधिक हो, तो उन के लिये शिक्षा सुविधाओं का प्रबन्ध करें। इस के अलावा भी अधिक विकसित चाय बागानों के पास अपना कम से कम एक प्रायमरी स्कूल है, जिस का व्यय न्याय उद्योग द्वारा या सरकार द्वारा या दोनों के द्वारा संयुक्त रूप में दिया जाता है। आसाम सरकार आसाम प्राइमरी शिक्षा अधिनियम, १९४७ को धीरे धीरे बागानों पर भी लागू करने का विचार कर रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य विकास आयुक्त सम्मेलन

*२९५. **श्री बी० आर० भगत :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में मई, १९५२ के आरम्भ में राज्य विकास आयुक्त सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हुआ था, तो वाद विषय और उस का क्षेत्र क्या था ; तथा

(ग) क्या कोई निश्चय किया गया था ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) सामूहिक योजनाओं की समस्याओं को एकोन्मुख रूप से समझने के लिये, एकसम और तुरन्त प्रक्रिया स्थापित करने और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को इटावा, नीलोखेडी और फ़रीदाबाद में होने वाले कार्य के साथ व्यक्तिगत रूप से परिचित कराने के लिये एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन की बैठकों में विभिन्न कार्य-क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाले विषयों पर जैसे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, देहाती कलाकौशल और उद्योग आदि, पर चर्चा हुई थी और साथ ही प्रशासन और वित्त सम्बन्धी प्रक्रिया विषयक बातों पर भी चर्चा हुई थी।

(ग) मुख्य निश्चय यही हुआ था कि सामूहिक योजना का कार्य १ अक्तूबर, १९५२ से प्रारम्भ कर दिया जाये, जिस से कि वह रबी की फ़सल से काफ़ी पहले चालू हो जाये।

श्री सुधीर घोष (वाशिंगटन के लिये प्रस्थान)

*२९६. **श्री बी० आर० भगत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री सुधीर घोष, प्रशासकी, फ़रीदाबाद सामूहिक योजना अमरीकी-विदेश सम्बन्ध समिति के सदस्यों के समक्ष उपस्थित होने के लिये वाशिंगटन गये हैं ;

(ख) यदि गये हैं, तो किस सिलसिले में ; तथा

(ग) क्या वह वहां निजी रूप से गये हैं या भारत सरकार के प्रवक्ता के रूप में ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग) । श्री सुधीर घोष ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है, और वह व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राज्य अमरीका गये हैं । उन की यात्रा किसी भी प्रकार से भारत सरकार द्वारा पोषित नहीं है ।

इस प्रकार की एक प्रेस विज्ञप्ति १८ अप्रैल, १९५२ को निकाल दी गयी थी ।

कपास (निर्यात)

*३०४. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मई १९५१ से मई १९५२ तक के समय में भारत से निर्यातित कपास की गांठों की संख्या ; तथा

(ख) इस समय में किन किन देशों को कपास का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : १ मई, १९५१ से ३० अप्रैल, १९५२ तक १,१०,०२५ गांठें ।

(ख) इंगलैंड, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, नीदरलैंड्स, बेलजियम, फ्रांस, स्विटजरलैंड, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिमी जर्मनी कनाडा ।

विस्थापित व्यक्तियों को छोटे मोटे ऋण

*३०५. **श्री बाल्मीकी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों को छोटे मोटे ऋण देने की योजना समाप्त कर दी गयी है ; तथा

(ख) यदि यह सच है तो क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

छोटे ऋण (राशि)

*३०६. **श्री बाल्मीकी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने का कृपा करेंगे कि सन् १९५१ और १९५२ में छोटे ऋणों के रूप में विस्थापित व्यक्तियों को दी गयी रक़म कितनी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : पत्री वर्ष १९५१ और १९५२ के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । सन् १९५१-५२ में राज्य सरकारों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को ऋणों के रूप में ३.८२ करोड़ रुपये की रक़म दी गयी थी । सन् १९५२-५३ के आयव्ययक उपबन्ध ३.३६ करोड़ रुपये के हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का पट्टा

*३२०. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार विस्थापित व्यक्तियों को पट्टे पर उठाये गये प्लाटों की ज़मीन के मूल्य पर ३ प्रति शत वसूल कर रही है, जब कि सुधार प्रन्यास जनता को पट्टों पर उठाये गये प्लाटों के लिये २॥ प्रति शत ही वसूल कर रहा है ?

(ख) यदि यह सच है, तो विस्थापित व्यक्तियों के विरुद्ध यह भेद-भाव किये जाने का क्या कारण है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हीं ।

(ख) पट्टे की ज़मीन को टकीने पर ही जांचना अनुचित होगा । पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये पट्टों की शर्तें सब मिला कर उन के अपेक्षतया अधिक हित में हैं । पुनर्वास मंत्रालय और सुधार प्रन्यास द्वारा रखी गयी शर्तों के तुलनात्मक विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४**]

बिहार की सामूहिक विकास योजना

*३२३. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बिहार की सामूहिक विकास योजना को स्वीकार कर लिया है ?

(ख) यदि कर लिया है, तो वहां कितने केन्द्र खुलने हैं ?

(ग) केन्द्र कब कार्यारम्भ करेंगे ?

(घ) क्या उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये कोई संस्था नियुक्त की गयी है ?

(ङ) योजना का आकलित व्यय कितना है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) चार योजनायें और एक विकास केन्द्र ।

(ग) काम के अक्तूबर के शुरू में आरम्भ हो जाने की आशा है, जिस से कि वह रबी की फ़सल से काफ़ी पहले आरम्भ हो जाये ।

(घ) राज्य सरकार उपयुक्त संस्था नियुक्त करदेगी ।

(ङ) तीन वर्षों तक ६५ लाख रुपये प्रति योजना ।

सोवियेत प्रेस में समाचार

*३२४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इज़वेस्तिया" के २० जून, १९५१ के अंक में और "दी त्रुद" के ३० जनवरी, १९५२ के अंक में भारत के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; तथा

(ख) यदि किया गया है तो भारत सरकार द्वारा इस विषय में की जाने वाली कार्यवाही ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) इन विषयों पर सरकार द्वारा सही तथ्य समय समय पर बता दिये जाते हैं । हमारे अभ्यावेदन के फलस्वरूप सोवियेत सरकार ने भी कुछ कार्यवाही की है ।

कोरिया युद्ध का व्यय

*३२६. **पंडित ए० आर० शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोरिया युद्ध के कारण जन शक्ति और पदार्थों के सम्बन्ध में इस देश को क्या व्यय करना पड़ा है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : ६० इंडियन फ़ील्ड एम्बुलेंस के संधारण में नवम्बर, १९५० से लगभग ४२,००० रुपये मासिक व्यय किया गया है । यह एम्बुलेंस कोरिया के संयुक्त कमान को सौंप दी गयी थी । जूट के बोरों और दवाओं के निःशुल्क दिये जाने में ८,१४,६६७

रुपये का एक अनावर्त्तक व्यय भी किया गया है। एकक में से इतने हताहत हुये हैं :

(१) सहसा मृत्यु—एक।

(२) युद्ध में हताहत (असंघातिक)—एक।

(३) भारत को भेजे गये दूसरे मामले—सत्रह।

राज्य व्यापार समिति का प्रतिवेदन

*३२७. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) निर्यातयोग्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली सहकारी संस्थाओं और दूसरी ऐसी ही संस्थाओं के विकास के बारे में राज्य व्यापार समिति की सिफ़ारिशें ;

(ख) सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) मैं माननीय संदस्य का ध्यान समिति के प्रतिवेदन के पैरा १०३ और उस की सिफ़ारिशों के सारांश की मद ४० की ओर आकर्षित करूंगा।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान आज प्रातः कुछ समय पूर्व तारांकित प्रश्न संख्या ३०९ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

लोहे की नालीदार चादरें

*३२८. **श्री बेली राम दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत में लोहे की नालीदार चादरों का कुल उत्पादन कितना हुआ था ;

(ख) इन वर्षों में आसाम को लोहे की नालीदार चादरों की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत संघ में केवल आसाम और बंगाल वासी ही अपने रहने के मकान लोहे की नालीदार चादरों से बनाते हैं ;

(घ) क्या आसाम सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया था कि जनता की अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिये लोहे की नालीदार चादरों की अपेक्षतया अधिक मात्रा नियत की जाये ; तथा

(ङ) क्या सरकार आसाम राज्य को लोहे की नालीदार चादरों की अपेक्षतया अधिक मात्रा आवंटित करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) सन् १९५०-५१ में ८०,६८१ टन और सन् १९५१-५२ में ६९,१९० टन।

(ख) सन् १९५०-५१ में १४,३२८ टन और सन् १९५१-५२ में १,८३३ टन।

(ग) यदि 'केवल' शब्द पर ज़ोर दिया जा रहा है, तो जहां तक मुझे ज्ञात है, नहीं।

(घ) जी हां श्रीमान्।

(ङ) संभरण की साधारणस्थिति और दूसरे राज्यों की मांग का ध्यान रखते हुये अपेक्षतया अधिक आवंटन के निवेदनों पर विचार किया जायेगा।

अपहृत लड़कियां

*३२९. **श्री आर० एस० तिवारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) अपहृत की गयी उन अमुस्लिम लड़कियों की संख्या, जो अभी पाकिस्तान से भारत वापस लानी हैं ;

(ख) अपहृत की गयी उन अमुस्लिम लड़कियों की संख्या, जो वापस लायी जा चुकी हैं ; और

(ग) शष लड़कियों को वापस लाने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) यह संभव नहीं है कि उन अपहृत अमुस्लिम स्त्रियों की कुल संख्या बतायी जा सके जो अभी पाकिस्तान से वापस लानी हैं। अनुभव यह कहता है कि वापस लाने के बहुत से मामले किसी भी वापस लाने वाली संस्था के यहां पंजीबद्ध नहीं हुये हैं। फिर भी अभी बहुत बड़ी संख्या पाकिस्तान से वापस लानी है।

(ख) ३० अप्रैल, १९५२ तक पाकिस्तान से ८०६८ अपहृत अमुस्लिम स्त्रियां वापस लायी गयीं हैं।

(ग) पाकिस्तान के साथ हुए समझौते के अनुसार अपहृत स्त्रियों को खोजने का दायित्व उस देश की सरकार पर है, जहां ऐसी अपहृत स्त्रियां रहती हुई बतायी जाती हैं। पाकिस्तान सरकार ने हमें यक़ीन दिलाया है कि वह पाकिस्तान स्थित सभी अपहृत स्त्रियों को खोजने के प्रयत्न जारी रखेगी।

सिंगापुर में मौलाना अकबर खान की गिरफ्तारी

*३३०. **श्री पी० टी० चाको**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) वह परिस्थितियां जिन के कारण सिंगापुर में मौलाना अकबर खान को गिरफ्तार किया गया और नज़रबन्द रखा गया ;

(ख) क्या सिंगापुर पुलिस ने उन के साथ बुरा बर्त्ताव किया था ;

(ग) क्या भारत सरकार ने मलाया सरकार को विरोध पत्र भेजने के अलावा और कुछ कार्यवाही की है ; तथा

(घ) क्या सरकार ने उपनिवेशों के राज्य सचिव से ऐसा एक आश्वासन प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि भारतीय पारपत्र ले कर यात्रा करने वाले भारतीय प्रजाजनों के साथ उपनिवेश-सीमा-क्षेत्रों में इस प्रकार के अपमानजनक बर्त्ताव नहीं किये जायेंगे ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख)। मौलाना मोहम्मद अक़बर खान २३ अप्रैल, के सवेरे एक प्रवेश-आज्ञापत्र ले कर सिंगापुर पहुंचे। यह पारपत्र मलाया में २५ अप्रैल तक उन के ठहरने के लिये वैध था। वह भारत सरकार के प्रतिनिधि के कार्यालय में २३ अप्रैल को प्रातः गये और उन से उत्प्रवासन पदाधिकारी के पास जाने के लिये कहा गया। वह दोपहर को वहां गये और उन से २-३० म० प० उत्प्रवासन-पदाधिकारी के कार्यालय में पुनः आने को कहा गया। वह लगभग १२-३० म० प० पर अपने होटल में वापस लौट आये, जहां उन को सादी पोशाक में एक पुलिस पदाधिकारी मिला, जिस ने उन से पुलिस थाने तक साथ चलने को कहा। थोड़ी देर बाद ही सिंगापुर गुप्तचर विभाग के श्री अमहद खान ने पुलिस थाने पर आ कर मौलाना को यह सूचना दी कि उत्प्रवास-विनियमों का उल्लंघन करने के कारण उन को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार को पता चला है कि मौलाना के इस आज्ञा के प्राप्त करने के, कि वह भारतीय प्रतिनिधि से बात कर लें, निवेदन को भी नहीं माना गया और उन को खाना खाने तक की अनुमति नहीं दी गयी, बल्कि अपने सभी क़ाग़ज़ पत्रों के साथ उन को पकड़ कर पुलिस थाने की हवालात में डाल दिया गया।

कुछ घंटे बाद ही यह सूचना कि मौलाना को आपातिक नियमनों के अधीन गिरफ्तार कर के नज़रबन्द कर दिया गया है, हमारे प्रतिनिधि को मिली। उन के आपत्ति करने पर मौलाना को प्रतिनिधि के कार्यालय में ले जाया गया और उसी दिन लगभग ६-३७ प० म० उन को छोड़ दिया गया।

(ग) तथा (घ)। भारत सरकार ने सिंगापुर स्थित अपने प्रतिनिधि को निदेश दिया था कि वह मलाया सरकार के पास भारतीय पारपत्र सहित यात्रा करने वाले भारतीय प्रजाजनों के साथ किये जाने वाले बर्ताव के विरुद्ध कड़ा विरोध-पत्र भेजे। यह मामला इंगलैंड सरकार के दिल्ली स्थित प्रधान प्रदेष्टा के ध्यान में भी लाया गया था। अब सिंगापुर सरकार मौलाना मोहम्मद अकबर खान की गिरफ्तारी के लिये अपना खेद प्रकट कर चुकी है। इस बात की दृष्टि में अब इस मामले को आगे बढ़ाने का विचार नहीं है।

छोटे पैमाने के उद्योग

*३३१. **श्रीमती जयश्री**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन बातों की जांच करने के लिये क्या छोटे पैमाने के उद्योगों का कोई परिमापन किया गया है:

(१) देश में आज कल प्रचलित छोटे पैमाने के उद्योगों में विनियोजित कुल पूंजी, तथा

(२) आजकल ऐसे उद्योगों में लगे हुये कामकरों की कुल संख्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): यद्यपि कुछ राज्य-सरकारों ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया है, परन्तु सभी राज्य सरकारों के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका है कि वह पूंजी के कुल विनियोजन और सेवायुक्त कामकरों की संख्या के विषय में कोई परिमापन कर सकतीं। मुझे खेद है कि इस कारण मैं माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असमर्थ हूं।

मणिपुर में पुनर्वास

*३३२. **श्री एल० जे० सिंह**: (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मणिपुर राज्य के लिये नियत विस्थापित व्यक्तियों का अभ्यंश और मणिपुर में उन के पुनर्वास के लिये आवंटित रक़म कितनी है ?

(ख) उन में से कितने फिर से बसा दिये गये हैं ?

(ग) पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन कार्य में क्या प्रगति हुई है।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (ग)। सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

टायरों का विक्रय

*३३३. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **निर्माण, उत्पादन तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा हाल में टायरों के विक्रय के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव किया गया था ;

(ख) यदि किया गया था, तो किस को बेचने का प्रस्ताव किया गया था ;

(ग) मूल्य-कथन क्या थे ; तथा

(घ) सौदा रोक क्यों दिया गया ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (घ)। उच्चतम मूल्य-कथन पत्र हमारी प्रत्याशाओं तक का न होने के

कारण अस्वीकृत कर दिया गया है और नये मूल्य-कथन पत्र मांगे गये हैं।

(ग) खुले मूल्य-कथन पत्र मांगे जाने के फलस्वरूप यह मूल्य-कथन प्राप्त हुये थे;

(१) ८.६१ लाख रुपये।

(२) ७.४९ लाख रुपये।

(३) ४.०६ लाख रुपये।

चाय पर निर्यात शुल्क

४३. श्री के० सी० सोधिया : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले चार वर्षों में 'चाय' शीर्ष के अन्तर्गत एकत्र किये गये उपकर और निर्यात शुल्क की राशि क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : केन्द्रीय चाय परिषद अधिनियम, १९३९ के अधीन सन् १९४८, १०४९, १९५० और १९५१ के ३० सितम्बर को समाप्त होने वाले १२ महीनों में एकत्र किया गया चाय-उपकर क्रमशः ५०.२४ लाख रुपये, ६०.१८ लाख रुपये, ७३.९१ लाख रुपये और ९२.६० लाख रुपये है। सन् १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ के वित्तीय वर्षों में चाय पर एकत्र किया गया निर्यात शुल्क क्रमशः १०.८३ करोड़ रुपये, १०.९८ करोड़ रुपये, १०.४७ करोड़ रुपये और ९.०९ करोड़ रुपये है।

डी० डी० टी० फ़ैक्टरी

४४. डा० राम सुभेग सिंह: क्या **निर्माण, उत्पादन तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या डी० डी० टी० फ़ैक्टरी स्थापित करने के सरकारी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; तथा

(ख) यदि दे दिया गया है, तो उस फ़ैक्टरी के कहां स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

उत्पादन, मंत्री (श्री के० सी० रैड्डी): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में।

मणिपुर में योजना-कार्य

४५. श्री एल० जे० सिंह: (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मणिपुर राज्य में पंचवर्षीय योजना के अधीन क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) क्या योजना कार्य पर दृष्टि रखने के लिये एक समिति बनायी गयी है ?

(ग) यदि बनायी गयी है तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

(घ) मणिपुर में योजना-कार्य के लिये किये गये आवंटन की रक़म कितनी है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) योजना आयोग द्वारा मणिपुर राज्य के लिये १०५ करोड़ रुपयों की लागत की एक विकास योजना स्वीकृत की गई है।

(ख) इस कार्य के लिये कोई समिति नहीं बनायी गयी है। विकास योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास भेजे जाने के पहले राज्य परामर्शदात्री परिषद् ने स्वीकृत कर दी थीं।

(ग) परामर्शदात्री परिषद के यह सदस्य हैं:

(१) श्री एस० समरेन्द्र सिंह

(२) श्री एम० चन्द्र सिंह

(३) श्री एन० इबोमचा सिंह

(४) श्री इन्द्रमणि सिंह

(५) श्री ए० गौरविधु सिंह

(६) श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन

(७) श्री तेबा किलांग ; तथा

(८) श्री थीसन लुखम ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के वर्तमान आय व्ययक में मणिपुर राज्य की विकास योजनाओं के लिये १८.५६ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है ।

राज्यों को सूत और कपड़े का संभरण

४६. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को दिये गये मोटे, बीच के और महीन सूत और कपड़े की गांठों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : प्रत्येक राज्य को सूत और कपड़े की संभरण मात्रा बतलाने वाले विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

सूत के आंकड़ उन के नम्बरों के अनुसार दिये गये हैं । किन्तु इन वर्षों में कपड़े के आंकड़े श्रेणी के अनुसार नहीं रखे गये थे ।

सीमा-चिन्हांकन

४७. **श्री बी० के० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के बीच सीमाओं के चिन्हांकन के कार्य में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) सीमाओं के चिन्हांकन के समय को कौन से क्षत्रों के सम्बन्ध में विवाद बाक़ी है और जिन के निपटाने की आवश्यकता है ; तथा

(ग) किन किन स्थानों पर रैडक्लिफ़ पंचाट या बग्गे न्यायाधिकरण के फ़ैसले के अर्थ-निर्णय के सम्बन्ध में मतभेद हो गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पश्चिमी बंगाल—पूर्वी बंगाल : —

(१) लगभग ८३० मील लम्बी इस सीमा के विभिन्न खंडों में कुल मिला कर लगभग ३८२ मीलों का चिन्हांकन हो चुका है । मुर्शिदाबाद (पश्चिमी बंगाल) और राजशाही (पूर्वी बंगाल) के बीच के लगभग ७० मील लम्बे भूमि खंड के बारे में, जो बग्गे न्यायाधिकरण में विवाद संख्या १ था, सीमा का वैमानिक परिमापन और गंगा नदी का उद-चित्रण कार्य पूरे हो चुके हैं। मटबंगा का अधिकार, जो बग्गे न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद संख्या २ का विषय था, संयुक्त रूप से निश्चित कर लिया गया है । अवशिष्ट सीमा का चिन्हांकन पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के भूमि-लेख्य निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है ।

(२) **आसाम—पूर्वी बंगाल**:—सीमा का वैमानिक परिमापन पूरा हो चुका है । एक खंड का नामतः गोलपाड़ा (आसाम) और रंगपुर (पूर्वी बंगाल) के जिलों के बीच भूमि चिन्हांकन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, पर वह अभी पूरा नहीं हो सका है क्योंकि पूर्वी बंगाल सरकार ने चिन्हांकन की प्रणाली के बारे में मतभेद होने के कारण अपने परिमापन कर्मचारियों को वापस बुला लिया था ।

(३) **त्रिपुरा-पूर्वी बंगाल** :—सम्बद्ध लेख्यों के प्रारम्भिक विनिमय के बारे में समझौता हो गया है । इस सीमा का चिन्हांकन अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल—पूर्वी बंगाल की सीमा पर, जिन का अब तक संयुक्त कर्मचारी वर्ग द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है, इन क्षेत्रों के बारे में विवाद उठ

खड़े हुये हैं :—

(१) जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) और दीनाजपुर (पूर्वी बंगाल) के जिला के बीच की सीमा रेखा के साथ कूच बिहार का टुकड़ा। लगभग दो वर्ग मील।

(२) पुलिस थाना बोंगसन, गायघाट, स्वरूप नगर और २४ परगना (पश्चिमी बंगाल) जिले के बदुरिया तथा पुलिस थाना महेशपुर, सरसा, जिला जैसोर के झिकारगचा और कालाराव और खुलना (पूर्वी बंगाल) जिले के सतखीरा पुलिस थानों के बीच के सीमा के कुछ हिस्से। लगभग ३ वर्ग मील।

(ग) १ **पश्चिमी-बंगाल—पूर्वी बंगाल :**—विवाद संख्या १ में बग्गे न्यायाधिकरण के निर्णयों [मुर्शिदाबाद (पश्चिमी बंगाल) और राजशाही (पूर्वी बंगाल) के बीच की सीमा] के बारे में इन भूमिखंडों के वास्तविक चिन्हांकन को ले कर मतभेद खड़े हो गये हैं :

(१) पुलिस थाना कालियाचक (पश्चिमी बंगाल) और पुलिस थाना शिवगंज (पूर्वी बंगाल) के बीच की सीमा।

(२) मुर्शिदाबाद (पश्चिमी बंगाल) और राजशाही (पूर्वी बंगाल) जिलों के बीच में राजशाही शहर के सामने के द्वीप की सीमा।

२. **आसाम पूर्वी बंगाल :**— बग्गे न्यायाधिकरण के निर्णय संख्या ३ (पथरिया पहाड़ी के संरक्षित जंगल में पथरकंडी और बारलेखा थानों के बीच की सीमा) और निर्णय संख्या ४ (कुषियारा नदी का मार्ग) भारत और पाकिस्तान दोनों ही द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं। फिर भी, उन निर्णयों के अनुसार सीमा के वास्तविक चिन्हांकन के बारे में मतभेद खड़े हो गये हैं।

मिट्टी का तेल

४८. **डा० पी० एस० देशमुख :** (क) क्या **निर्माण, उत्पादन तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत में आयातित मिट्टी के तेल की मात्रा क्या है ?

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक में भारत में उत्पादित मिट्टी के तेल की मात्रा क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रैड्डी) : (क) सन् १९५०-५१ में मिट्टी के तेल के २२७,१८५,८८७ गैलन आयात, किये गये थे और अप्रैल, १९५१ से जनवरी १९५२ तक २२१,३३६,५३९ गैलन आयात किये गये थे। फरवरी और मार्च १९५२ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं :

(ख) स्थानीय उत्पादन नाममात्र ही है।

पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के मध्य प्रव्रजन

४९. **डा० पी० एस० देशमुख :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३० सितम्बर, १९५० से ले कर ३१ मार्च, १९५२ तक पूर्वी बंगाल से भारत में आये हिन्दुओं की संख्या ;

(ख) इसी काल में भारत को छोड़ कर पूर्वी बंगाल जाने वाले मुसलमानों की संख्या ;

(ग) कथित समय में पूर्वी बंगाल से भारत वापस आने वाले हिन्दुओं की संख्या ; तथा

(घ) इसी काल में पूर्वी बगाल से भारत वापस आने वाले मुसलमानों की संख्या ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पूर्वी बंगाल से भारत में या भारत से पूर्वी बंगाल में प्रव्रजन करने वालों की संख्या

तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी दोनों ही दिशाओं को जाने वाले रेल-यात्रियों को संख्या उपलब्ध है, जिन में प्रव्रजन करने वाले और साधारण यात्री दोनों ही तथा कभी कभी बहुत से कर अपवंचक भी सम्मिलित हैं ।

पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के मध्य हुये यातायात के आंकड़े अधिकांशतः रेल यात्रा के हैं, जो प्रायः इस प्रकार हैं :

(क) २७,९६,०००

(ख) १४,३१,०००

(ग) ३१,२१,०००

(घ) १४,७०,०००

नारियल और उस के उत्पाद (आयात)

५०. श्री पी० टी० चाको : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन देशों के नाम, जिन को भारत से नारियल और उस के उत्पादों को आयात करने की अनुमति है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पदार्थों के आयात से भारतीय बाजार में भारतीय नारियल उत्पादकों को हानि पहुंचाने वाली प्रतिस्पर्द्धा पैदा हो रही है ;

(ग) गरी के रूप में इन पदार्थों की वार्षिक खपत भारत में क्या है ;

(घ) सन् १९५१–५२ में गरी के रूप में आयातित मात्रा ;

(ङ) भारत में प्रति वर्ष गरी के रूप में उत्पादित मात्रा ; तथा

(च) सन् १९५१-५२ में भारत में साबुन के कारखानों द्वारा प्रयुक्त नारियल के तेल की मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरमर) : (क) सभी देश, क्योंकि सुलभ और दुर्लभ मुद्रा वाले दोनों प्रकार के देशों के लिये नारियल और नारियल के उत्पाद खुली साधारण अनुज्ञापत्र में आते हैं

(ख) जी नहीं ।

(ग) २७७,००० टन (मोटे हिसाब से)

(घ) अप्रैल १९५१ से फ़रवरी, १९५२ तक २५,३५३ टन ।

(ङ) २३४,००० (मोटे हिसाब से) ।

(च) ६०,००० टन (लगभग) ।

अंक १

संख्या १

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(First Session)

संसदीय वाद विवाद

∞

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:•:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग १—१४]

(मूल्य ९ आने)

312 P.S.D.

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरुदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन् नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [(जिला जालौन व जिला इटावा (पश्चिम) व जिला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (जिला पीलीभीत व जिला बरली (पूर्व)

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ जिला आगरा (पश्चिम)

अंचित राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालापाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा —पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी—महासू)

अयंगार, श्री एम० ए० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिंगलपुट)

अलबा, श्री जोशिम (कनारा)

आ

आगम दास जी, श्री (विलासपुर-दुर्ग-रायपुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

आजाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (विलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी-रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

इयुन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया-उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला-जबलपुर दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री, शिवदयाल (जिला बांदा व जिला फ़तहपुर)

ए

एबनज़िर, डा० एस० एल० (विकाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० मदराई—रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर-उत्तर-रक्षित-अनसूचित-जातियां)

कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गौड)

कमल सिंह, श्री (शाहाबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमारकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर-चूरू)

कास्लीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा-झालावाड़)

कांबले, श्री देवरोआ नामदेवरोआ (नान्देड़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कचि रॉयर, श्री एम० डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर-उत्तर-व ज़िला फ़ैजाबाद दक्षिण पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री बिल्लिपुतूर)

काले, श्रीमती अनसुय्याबाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच-पूर्व)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रताप गढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई-दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (जिला मथुरा-पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवगंगार, श्री एन० (बंगलौर उत्तर)

केसकर, डा० बी० बी० (ज़िला सुल्तानपुर-दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बाकुंडा)

कौशिक, श्री पन्नालाल आर० (टोंक)

ख

खडकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)

खुदाबख्स, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)

खोंडामन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

ग-जारी

गांधी, श्री मानिकलाल मगन लाल (पंच महल व बड़ोदा पूर्व)

गांधी, श्री फिरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़-पश्चिम व ज़िला राय बरेली-पूर्व)

गांधी, श्री बी० बी० (बम्बई नगर-उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहरी विष्णु (पूना मध्य)

गाम, श्री मल्लूडोरा (विशाखापटनम्-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरधारी, मोझ, श्री (कालाहांडी-बोलनगिर-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरी, श्री बी० बी० (पथपठनम्)

गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी-पूर्व)

गुरुवाद स्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

गुलाम, क़ादिर श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)

गोपीराम, श्री (मंडी-महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)

गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर दक्षिण)

गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित-आसाम जन जाति क्षेत्र)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेंल (पैरिया-कुलम)

गौंडर, श्री के० पैरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर

चट्टोपाध्याय, श्री हरिन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)

चांडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा मध्य)

चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुबल्लूर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चाको, श्री पी० टी० (मीनाचल)

चाड़क, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

चावदा, श्री अकबर (बनासकोठा)

चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशी लिंग (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री बी० बी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गोहाटी)

चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)

चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहां-पुर-उत्तर व खीरी-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदीव कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री रामराज (संवाल परगना व हज़ारीबाग़)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

ज-जारी

जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई उपनगर)

जयसर्य, डा० एन० एम० (मेडक)

जसानी, श्री चतुर्भज वी० (भंडारा)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधो पुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (देनकनाल-पश्चिम कटक-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर, (जाजपुर-क्योंझर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़रुख़ाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजीत प्रसाद (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व जिला मुज़फ्फरनगर-उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनोर-दक्षिण)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच-पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि दक्षिण)

जोशी श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

झ

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर उत्तर)

झा आज़ाद, श्री भागवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहबाद-पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्रीबैकुण्ठम)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी पिल्ले रामचन्द्र, श्री (बेलोर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार-रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री बेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर-उत्तर व ज़िला फ़रुखाबाद-दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर-झाड़ग्राम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेल्कीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर-उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर-पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फ़र-नगर-दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दारंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दामी, श्री फूलसिंह जी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांम उत्तर)

दास, श्री नयन तारा (मुर्गेर सदर व बसुई-रक्षित अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)

दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बी० (जाजपुर—क्योंझर)

दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री बेलीराम (बारपटा)

दास, श्री राम धनी (गया पूर्व – रक्षित-अनसूचित जातियां

दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)

दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल-पश्चिम कटक)

दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा-पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा-पूर्व)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर)

दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती-उत्तर)

देव, हिज़ हाइनस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)

देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)

देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)

दशमुख, श्री चितामणि द्वारका नाथ (कोलाबा)

देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)

द्विवदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी-दक्षिण)

धुसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती मध्य व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)

नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)

नरसिंहम, श्री सी० आर० (कृष्णगिरी)

नरसिंहम, श्री एस० बी० एल० (गुटूंर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर) रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नानादास श्री, (आंगोल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नामधारी, श्री आत्मा सिंह (फ़ाजिल्का—सिरसा)

नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंडी)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्कर)

नायर, श्री बी० पी० (चिरायांकिल)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर-उत्तर व खेरी-पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)

नेहरु, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी-पश्चिम)

नेहरु, श्री जवाहर लाल (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवीदत्त (ज़िला अलमोड़ा-उत्तर पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैजाबाद उत्तर पश्चिम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वैकंटराव पीयूजी राव (दक्षिण सतार)

पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल-व ज़िला अलमोड़ा-दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली उत्तर)

पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)

पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाड़े (अहमदा-बाद-उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)

पारिख, श्री रसिक लाल यू० (जालावाड़)

पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेहसाना पूर्व)

पजारी

पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (एलप्पी)

पोकर साहब, जनाब बी० (मलघुरम)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां)

प्रसाद, श्री हरिशंकर (जिला गोरखपुर-उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डीलाल (झज्जर रिवाड़ी)

बदन सिंह, चौधरी (जिला बदायुं-पश्चिम)

बनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)

बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)

बहादुर सिंह, श्री फ़िरोज़पुर-लुधियाना-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया-पूर्व)

बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन, श्री एस० सी० (इरोड-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राहमण्यम, श्री एस० (मदुराई)

बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंद-शहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर पूर्व)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)

बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)

बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर-उत्तर लखीमपुर)

बुकआ, श्री देवकान्त (नोगांव)

बुवराधसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)

बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर दक्षिण)

बोस, श्री पी० सी० (मानभूम-उत्तर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)

बह्यो-चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां रक्षित-अनुसूचित-जन-जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)

भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल-पूर्व व ज़िला मुरादाबाद-उत्तर-पूर्व)

भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)

भवनजी ए० खोमजी, श्री (कच्छ-पश्चिम)

भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालोर)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)

भार्गव, पण्डित ठाकुरदास (गैड़गांव)

भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (थदत माल)

भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)

भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

भ–जारी

भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्ण-राव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बाकुंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन तारन)

मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरूचिरपल्ली)

मल्लय्या, श्री श्रीनिवास य० (दक्षिणी कनाड़ा-उत्तर)

मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)

मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व जिला जौनपुर पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)

महता, श्री अनूपलाल (भागलपुर व पूर्निया)

महता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

हता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)

महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)

महाता, श्री मजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़-रक्षित्-अनसूचित जन-जातियां)

महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिणव धालभम-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

मातन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर-दक्षिण)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना-दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा-पूर्व व ज़िला बस्ती-पश्चिम)

मालवीय, श्री मीतीलाल (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सूरज प्रसाद (ज़िला देवरिया-दक्षिण)

मिश्र, श्री पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विज्नश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर-रक्षित- अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूष्णन्, श्री एम० (वैल्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिककुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया-पूर्व)

म–जारी

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूर)

मैनन, श्री के० ए० दामोद (कोज़िकौडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैत्थू, प्रो० सी० जी० (कोटय्यम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शौलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कीटा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा-उत्तरपूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्ला खां (सिहौर)

रणजोत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडौल-सिद्धि-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़जुर (ज़िला मुरादबाद-मध्य)

राउत, श्री मौला (सारन व चम्पारन-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रधवय्या, श्री पिशुपति वैंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर-रक्षित- अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शौलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हजारीबाग)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)

रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)

रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)

राम दास, श्री (होशियारपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद-पश्चिम)

राम सुगत सिंह, डा० (शाहबाद-दक्षिण)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)

रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व–रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राय, श्री पतिराम (बड़ी रहाट-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राय, श्री विश्व नाथ (ज़िला देवरिया-पश्चिम)

राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)

राव, श्री कोड़ सुब्बा (एलुरु-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)

राव, दीवान रायवेन्द्र (उस्मीनाबाद)

राव, श्री पेडयाल राघव (वरंगल)

राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)

राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा-दक्षिण)

राव, श्री केनेट्टी मोहन (राजामंड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)

राव, डा० बी० रामा (काकिनाडा)

राव, श्री टी० बी० बिट्टल (खम्मभ)

राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)

रिचर्डसन, बिशप जान (नाम निर्देशित-अण्डमान निकोबार-द्वीप)

रिशांग किशिंग, श्री (बाहय मणिपुर-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रूप नारायण श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री बाई० ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)

रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीम नगर)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फैजाबाद-उत्तर पश्चिम)

लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)

लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बरनी-मध्यपूव व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम)

लालसिंह, सरदार (फिरोज़पुर-लुधियाना)

लाम्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां-रक्षित-अनुसूचित-जातियाँ)

लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा-पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)

वर्मा, श्री बलाकी राम (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चित व ज़िला फरुखाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर-दक्षिण-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन उत्तर)

वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया-पूर्व)

वल्लातराम, श्री के० एम० (पुडुकोटे)

वाधमारे, श्री नारायण राव (परमणी)

विजय लक्ष्मी, पंडि,त श्रीमती (ज़िला लखनऊ-मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)

विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

वैकंटारमन, श्री आर० (तजोर)

वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास मूघरदास (अहमदाबाद-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैष्ण, श्री हनुमन्त राव गणेशराव (अम्बड़)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पाडन्, श्री एम० (शंकरनाचिनार कोविल)

शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा-पश्चिम)

शर्मा, श्री राधाचरण मुरैना-भिंड)

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द (ज़िला मेरट-दक्षिण)

श—जारी

शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा-पूर्व)

शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़-पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)

शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)

शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)

शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)

शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमती (ज़िला गढ़वाल-पश्चिम व ज़िला बिजनौर- उत्तर)

शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ-उत्तर पूर्व)

शाह, श्री चिमनलाल चाकू भाई (गोहित जाड़-सौरठ)

शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)

शिवा, डा० एम० बी० गंगाधर (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़-फुलबनी-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

सखोर, श्री टी० सी० (मंडारा -रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)

सत्यनाथन, श्री एन० (बर्णपुरी)

सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द, श्री (ज़िला बरेली-दक्षिण)

सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ्फरपुर मध्य)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलूक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा रक्षित अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)

सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला गाज़ीपुर पश्चिम)

सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)

सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)

सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्व)

सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस पूर्व)

सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा-रायगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगजा-रायगढ़)

सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर-दक्षिण)

सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन-चिकमगालूर)

सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)

सिन्हा, श्री अवबेश्वर प्रताप)मुज़फ्फरपुर पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारी बाग़ पूर्व)

सिन्हा, श्री एस० (पाटली पुत्र)

सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व)

सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची)

सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)

स–जारी

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)

सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)

सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर-पूर्व)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया–पश्चिम)

सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुज़फ्फरपुर उत्तर-पश्चिम)

सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)

सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व ज़िला मुजफ़्फ़रनगर उत्तर–रक्षित अनुसूचित जातियां)

सुब्रहमण्यम, श्री कांडाला (विज़ियानगरम)

सुब्रहमण्यम्, श्री टेकूर (बैल्लारी)

सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)

सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड-रक्षित-अनूसुचित जातियां)

सैन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)

सैन, श्रीं फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)

सैन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर दक्षिण)

सेबल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमौर)

सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)

सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)

सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)

सोमना, श्री एन० (कुर्ग)

सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)

सोरेन, श्री पाल जुझार पूर्णिया व सन्थाल परगना-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)

स्वामीनाधन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा)

हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)

हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां

हेम राज, श्री (कांगड़ा)

हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा-उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री अनन्त शयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन

श्री हरि विनायक पाटसकर

श्री ऐन० सी० चटर्जी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कौल बैरिस्टर-एट-ला

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन

श्री एस० एल० शकधर

श्री एन० सी० नन्दी

श्री डी० एन० मजूमदार

श्री सी० वी० नारयण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री असीम कृष्ण दत्त

श्री गोविंदराव धर्मजी वर्तक

प्रो० सी० पी० मैथ्यु

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री—मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद

संचरण मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर

रक्षा मंत्री—श्री ऐन० गोपालस्वामी अय्यंगार

वित्त मंत्री—श्री सी० डी० देशमुख

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री—श्री के० एन० काटजू

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री रफी अहमद किदवई

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिश्वास

रेल तथा यातायात मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

श्रम मंत्री—श्री वी० वी० गिरि

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रीगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिन्हा

पुनर्वास मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

वित्त राज्य-मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

उप-मंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री—श्री एस० एन० बुरागोहिन

लोक सभा

शुक्रवार, ३० मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९–१५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

त्रिपुरा के अगरतल्ला में तनाव

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री बीरेन दत्त से इस स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना मिली है :

> "त्रिपुरा राज्य के अगरतल्ला में दो मास के लिये धारा १४४ लगाये जाने के अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिये, जिस से राज्य की जनता में भारी तनाव और भय पैदा हो गया है।"

क्या माननीय सदस्य का मतलब है कि आदेश पिछले दो महीनों से लागू है या अब अगले दो महीनों के लिये लागू किया गया है ?

श्री बीरेन दत्त : (त्रिपुरा—पश्चिम) : अभी लागू किया गया है ऐसा तार हमें कल मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या तार में तिथि दी गयी है ? मुझे तिथि बता दें जिस से मैं इस की अनुमति योग्यता पर विचार कर सकूं।

श्री बीरेन दत्त : जी हां, २९ मई से दो महीने तक के लिये । कल से यह अगले दो महीनों के लिये लागू किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यही बात निश्चित करनी थी कि क्या पुराने आदेश की आयु बढ़ा दी गई है या नया आदेश लागू किया गया है ?

श्री बीरेन दत्त : यह नया आदेश है ।

अध्यक्ष महोदय : आदेश परसों शाम को लागू किया गया और माननीय सदस्य को कल रात पता चला। दो अन्य भारी आपत्तियों के कारण मैं अत्यावश्यकता के आधार पर इस का निर्णय नहीं कर सकता । पहले तो यह अत्यन्त अस्पष्ट है, क्योंकि यह 'भारी तनाव और भय' का निर्देश करता है, जो कोई सुनिश्चित विषय नहीं है। फिर यह एक पिछले विनिर्देश के अन्तर्गत आ जाता है जिस का एक अंश यह है :

> "यह आदेश दण्ड प्रणाली संहिता द्वारा दी गई शक्ति के अधीन धारा १४४ के अन्तर्गत दिया गया है ।

[अध्यक्ष महोदय]

अतः यह प्रस्ताव यथोचित नहीं हो सकता ।"

चूंकि दंड प्रणाली संहिता में पीड़ित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय तक निर्देश किये जाने का उपबन्ध है, इसलिये २५ वर्ष से यह प्रक्रिया चली आ रही है कि धारा १४४ के अन्तर्गत दिये गये आदेशों के सम्बन्ध में कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया जाता है । मैं नहीं समझता कि मैं इसे कैसे बदल दूं । [**एक माननीय सदस्य :** हम एक नये संविधान को मान रहे हैं ।] इसलिये तो शायद और भी प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : भावी पथ निर्देशन के लिये मैं पूछ सकता हूं कि क्या स्थानीय सरकार का कोई समादेश, जिस की अपील न हो सके, यहां चर्चा का विषय बन सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कपोल कल्पित प्रश्नों पर माननीय सदस्य अपने कानूनी परामर्शदाताओं से पूछें । मैं नहीं समझता कि दंड प्रणाली संहिता के उपबन्ध कुछ राज्यों के समादेशों पर लगें और कुछ पर न लगें । वे तो सभी पर लगते हैं ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : श्रीमान् । इस पर एक अल्पसूचना प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये । **(अंतर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हां, वह उपाय काम में लाया जा सकता है ।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : मैं जान सकता हूं कि सदन को विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन कब प्राप्त होगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन प्राप्त हो जान पर । **(अन्तर्बाधा)** शांति, शांति । समिति की किसी विशिष्ट राजनीतिक दल में रुचि नहीं है, उस का कार्य तो सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है । उस का आधार राजनीतिक दल बन्दी नहीं है बल्कि उस का सम्बन्ध तो इस सदन के प्रत्येक सदस्य की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार से है । कुछ समय लगेगा, पर इन प्रश्नों का सदैव के लिये निश्चय हो जाना चाहिये । मेरा अनुरोध है कि विरोधी दल के सदस्य इसे दलीय प्रश्नों के रूप में न देखें ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : (कलकत्ता — दक्षिण-पूर्व) : यह तो सरकारी बैंचों से कहना चाहिये । **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । समिति के सभापति माननीय गृह मंत्री सुप्रसिद्ध वकील और संसद् वेत्ता हैं, पर मैं ने सोचा कि विरोधी दल के सदस्य नये हैं, इसी से मैं ने उन का ही निर्देश किया था ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

(१) विनियोग लेखे (डाक तथा तार) और (२) लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : संविधान के अनुच्छेद १५१ के अधीन मैं विनियोग लेखे (डाक तथा तार) १९४९-५० और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५१ की एक एक हस्ताक्षरित प्रति सदन पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ४ एन० ओ० (६)**]

सामान्य आयव्ययक–साधारण चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब सामान्य आयव्ययक पर चर्चा होगी । नियम १८४ (३) के अधीन मैं भाषणों की समयावधि प्रत्येक सदस्य के लिये साधारणतः १५ मिनट और वित्त

मंत्री के लिये एक घंटा या आवश्यक हो तो अधिक भी निश्चित करता हूं ।

इस अवस्था में सदन पूरे आयव्ययक या उस के किसी विशेष पहलू पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगा । आशा है कि माननीय सदस्य १५ मिनट का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे और आवश्यक या असंबद्ध छोटी मोटी बातों को न उठायेंगे ।

मुझे दोनों ही प्रकार के सुझाव मिले थे— पहला यह कि भाषणों का समय १० मिनट कर दिया जाये और दूसरा यह कि इसे २०-३० मिनट तक बढ़ा दिया जाये । मैं ने बीच का रास्ता अपनाया है । यदि किसी दल का कोई सदस्य अधिक समय ले लेता है, तो मैं उस समय को उस दल के हिसाब में से घटा लूंगा, अर्थात् उस दल के कम सदस्यों को अवसर मिल सकेगा । हम ने आरम्भ में ही चार दिन निश्चित कर दिये हैं, और उन के बढ़ाये जाने की किसी को कोई आशा नहीं होनी चाहिये । पहिले की भांति अब दिन नहीं बढ़ाये जायेंगे । आशा है, सदस्यगण अपने निश्चित समय में सभी महत्वपूर्ण बातें कह देंगे ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता— दक्षिण-पूर्व) : श्रीमान् आपने विरोधी दल और सरकार के बीच समय कैसे बांटा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो अध्यक्ष का काम है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : हमें ज्ञात होना चाहिये

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । यदि वह इस पर आग्रह करेंगे, तो मैं सदस्यों की संख्या के अनुसार ही समय दूंगा, और इस से उन को ही घाटा रहेगा । पर मैं वैसा नहीं कर रहा हूं और इस न्यायोचित वितरण से विरोधी दल को कुछ अधिक अवसर मिल जायेगा ।

श्री बी० शिवा राव ।

श्री एन० सी० चेटर्जी (हुगली) : माननीय सदस्य के भाषण प्रारम्भ करने के पहले मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली की स्थिति और एक माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के विषय में अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर माननीय गृह मंत्री कब दे रहे हैं ? हमें आशा थी कि माननीय गृह मंत्री कुछ बतायेंगे ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : वे सोमवार को पूछे जा सकेंगे ।

श्री बी० शिवा राव : (दक्षिन कनड़ा— दक्षिण) : श्रीमान्, मैं सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव रख कर अपने समय का उपयोग करूंगा । मैं इस आयव्ययक को एक सच्चा और साहसपूर्ण आयव्ययक मानता हूं । हमारे रक्षित धन के दिन प्रति दिन कम होते जाने की और सुदूर पूर्व या यूरोप में सर्वत्र अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बहुत आशाजनक न होने की इन अनिश्चित परिस्थितियों में वित्त मंत्री खूब सावधान रहे हैं और करों में छूट देने से इन्कार कर के उन्हों ने अपने सत्साहस का ही परिचय दिया है, जिस के लिये वह सारे सदन के आदर और मान के अधिकारी हैं ।

अब मैं वित्त मंत्री जी से दो बातों पर विचार करने को कहूंगा । पिछले वर्ष अस्थाय संसद् में अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा के समय जब मैंने यह सुझाव दिया था कि चौर्यानयन पर कड़ा नियंत्रण रखा जाये, तो मेरे माननीय मित्र श्री महावीर त्यागी ने कहा था कि इसे यदि बन्द नहीं तो कम से कम रोकने के लिये वह पूरा प्रयत्न करेंगे । पर कुछ नहीं हो सका है । फ्रांसीसी और पुर्तगाली प्रदेशों में से बड़े पैमाने पर चौर्यानयन होने से हमें लग भग दो तीन करोड़ रुपये का घाटा होता है । गोआ चोरी छिपे माल ले जाने वालों और मद्यनिषेध विरोधियों के लिये स्वर्ग है । बम्बई में मद्यनिषेध के बाद से वहां विस्की और शराब का आयात दस बारह गुना बढ़ गया है । इसलिये इस बारे में सस्ती

[श्री बी० शिवा राव]

होनी चाहिये । इस से न केवल सरकार की आय बढ़ेगी, बल्कि प्रधान मंत्री को अपने देश में स्थित इन विदेशी बस्तियों की कठिन समस्या के निपटाने में भी सहायता मिलेगी । जब तक यह चौर्यानयन चलता रहेगा, वह फ्रांसीसी और पुर्तगाल बस्तियां बनी रहेंगी, क्योंकि बहुत से स्थानीय लोग भी इसी लालच से उन का समर्थन करते रहेंगे ।

दूसरी बात आंक समिति और लोक लेखा समिति के काम के विषय में है, जिन की उन्हों-ने इस आयव्ययक वक्तव्य में प्रशंसा की है । गत दो वर्षों से आंक समिति के एक सदस्य के रूप में मैं समझता हूं कि मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि संसद्-सचिव और उन के कर्मचारी वर्ग की योग्यता और हार्दिक सहयोग तथा सहायता से समिति के कार्य में बहुत सुविधा हुई थी । पर लोक-सभा का कार्य बढ़ता जायेगा, इसलिये मैं वित्त मंत्री के विचारार्थ यह सुझाव देता हूं कि इन दोनों समितियों के कार्य को अधिक प्रभावशाली और क्रियात्मक दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिये इन के लिये अलग से पूरे समय कार्य करने वाले कर्मचारीवर्ग की व्यवस्था की जाये ।

श्रीमान्, अब मैं औद्योगिक गृह-व्यवस्था को लेता हूं, जिस में मैं गत चार वर्षों से उत्साह लेता रहा हूं । आखिरकार वित्त मंत्री के लिये इस दिशा में कुछ थोड़ा सा आरम्भ करना संभव हो गया है । मुझे आशा है कि कुछ समय में यह कार्य राष्ट्रीय अनुपात में बढ़ जायेगा । बहुत दिनों तक इस कार्य से सम्बन्धित रहने के कारण मुझे यकीन है कि औद्योगिक श्रम की खराबियां, त्रुटियां और अकार्य-क्षमता जैसी, अनेकों समस्याओं का इस से समाधान हो सकेगा । 'उत्पादन' मंत्रालय के अलग हो जाने के बाद सरदार स्वर्ण सिंह के मंत्रालय को शायद "निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय" के नाम से पुकारा जायेगा । मैं चाहता हूं कि इसे "गृह व्यवस्था मंत्रालय" कहा जाये, क्यों कि इस से सभी जान जायेंगे कि सरकार इस समस्या के सुलझाने को कितना महत्व देती है ।

गृह व्यवस्था पर विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के कुछ अंश हाल में पत्रों में प्रकाशित हुए थे । आशा है, उस प्रतिवेदन, की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध कर दी जायेंगी । मैं सुझाव दूंगा कि गृह निर्माण की लागत कम रखने पर और स्थानीय इमारती सामान की उपयोगिता पर अनुसन्धान कार्य करने पर सरकार खूब ध्यान दे ।

फिर मैं गन्दी बस्तियों के विरुद्ध श्री गोपालन के प्रिय शब्दों में 'युद्ध छेड़ने' की महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने के लिये माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा । कानपुर की गन्दी बस्तियों के बारे में प्रधान मंत्री की आलोचना पर वहां की नगरपालिका ने कार्यारम्भ कर दिया है । पर इस देश की नगरपालिका या तो नितान्त दुर्बल है या ध्यान नहीं देती है । वह इन के मालिकों के निहित स्वार्थों से झगड़ा मोल नहीं ले सकती । मैं सुझाव दूंगा कि इसे राष्ट्रीय पैमाने पर सुलझाने के लिये केन्द्रीय गृह व्यवस्था मंत्री ही पहल करें ।

संसद् द्वारा किसी श्रम विधि के पारित किये जाते ही श्रम मंत्रालय उस के तुरन्त लागू करने और उस में एक रूपता रखने के के लिये राज्य सरकारों के पास आदर्श नियम बना कर भेज देता है । उसी प्रकार विधि मंत्रालय से परामर्श कर के गृह व्यवस्था मंत्रालय सारे देश में गन्दी बस्तियों के निवारणार्थ एक आदर्श विधेयक पारित सभी राज्य सरकारों को भेज दे, अन्यथा राष्ट्रीय पैमाने पर यह समस्या नहीं निपटाई जा सकेगी । यह गन्दी बस्तियां मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हैं और इन के मालिकों ने गरीबों का खून शोषण किया है । हां, इन के साफ किये जाने पर

गृहहीन होने वाले लोगों के लिये कुछ प्रबन्ध करना होगा ।

अब मैं बहु प्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं से सम्बन्धित योजना आयोग को लूंगा, जिस के प्रतिवेदन के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । मैं इस सुअवसर पर अपने एक पिछले सुझाव को दुहराऊंगा कि व्यक्तियों के दो ब्यूरो (कार्यालय)—एक केन्द्रीय तथा दूसरा राज्य-स्तर पर—बनाये जायें जिस से, योजना आयोग या सामुदायिक योजनाओं के काम के लिये अपेक्षित प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति प्राप्त हो सकें । बहुत से इंजीनियर, डाक्टर, लोक स्वास्थ्य कर्मचारी और कृषि मंत्रालय के कर्मचारी जो हाल में ही सेवा निवृत हो चुके हैं या होने वाले हैं । अवैतनिक रूप से या थोड़ा वेतन ले कर विभिन्न योजनाओं की सफलता के लिये अपेक्षित प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर सकते हैं । बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहूंगा कि स्थानीय प्रतिभा को अवसर देने में कसर नहीं रखी जायेगी। यदि स्थानीय लोग न मिलें तो मैं विदेशी विशेषज्ञों के बुलाये जाने के विरोध में नहीं हूं । देश के खनिज संसाधनों के भूगर्भीय परिमापन कार्य में उन की सहायता ली जा सकती है पर जहां तक जल-विद्युत और बांध-निर्माण का सम्बन्ध है हमें दुख है कि कई कारणों से इस के राष्ट्रीय पहलू पर जोर नहीं दिया गया है । गत वर्ष मैंने प्राकृतिक संसाधन मंत्री को सुझाव दिया था कि केन्द्र में भारतीय परामर्शदाताओं का एक पर्षद् बनाया जाये जो न केवल मंत्री जी को परामर्श ही दे बल्कि बड़ी बड़ी योजनाओं के काम को देख यह पता लगाये कि क्या काम ठीक और प्राक्कलनों के अनुसार ही हो रहा है ।

फिर मैं आशा करूंगा कि "अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति" का प्रतिवेदन शीघ्र प्रकाशित किया जायगा और नये खाद्य मंत्री अपनी योजनाओं की रूप रेखा तैयार कर के सदन को शीघ्र ही पूरे पूरे वाद विवाद का अवसर देंगे । इस समय मैं एक बात कहूंगा, वह यह कि आयात किये हुए या स्थानीय खाद्य सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित करते समय मछली जैसी महत्वपूर्ण खाद्य वस्तु पर जिससे डेनमार्क जैसे छोटे से देश को १५ से १८ प्रतिशत तक राष्ट्रीय आय होती है कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है । आशा है खाद्यान्नों के साथ इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जायेगा और योजना-आयोग ने भी इस पर ध्यान दिया होगा ?

रक्षा के विषय में मुझे आशा है कि दक्षिणी कमान द्वारा रायलसीमा में किये गये प्रशंसनीय कार्य के प्रति सदन अपना आभार प्रदर्शित करेगा । वित्त मंत्री जी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए रक्षा व्ययों के कमी करने के बारे में दिये गये असमयोचित सुझाव पर ध्यान नहीं देंगे । फिर भी कुछ दिशाओं में बचत की गुंजायश है और रक्षा बचत के लिए नियुक्त की गई विभागीय समिति के प्रतिवेदन की मैं धैर्य से प्रतीक्षा करूंगा । मैं एक बात और कहूंगा। इस वर्ष भू-सेना पर १४९ करोड़, नौ सेना पर ११ करोड़, और वायु सेना पर २३ करोड़ रुपये व्यय होंगे । यह ढांचा सहसा तो बदल नहीं सकता पर इन व्ययों में अपेक्षतया अधिक संतुलन की आवश्यकता है, विशेषत: नौ सेना के विषय में। हमारा समुद्र तट बहुत लम्बा है और किनारे के निवासी सदा से समुद्र प्रेमी रहे हैं । मैं सुझाव दूंगा कि नौ प्रशिक्षण स्कूलों की एक शृंखला सी बना दी जाये जिस से व्यापारिक और सैनिक नौ-परिवहन के लिये बहुत से प्रशिक्षित व्यक्ति सुलभ हो सकें ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं नहीं समझता कि मैं आयव्ययक पर अपने सभी महत्वपूर्ण विचारों को सामने रख भी पाऊंगा। उस दिन के मेरे एक शब्द पर भारी

[श्री ए० के० गोपालन]

आपत्ति की गई है और मैं वैसे शब्द आज न कहने का प्रयत्न करूंगा फिर भी आंकड़ों से मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि मैं जो कुछ कहता हू ठीक कहता हूं ।

इस आयव्ययक को सच्चा और साहसपूर्ण कहा गया है । ठीक है थोड़े से लोगों के हितों की रक्षा और देश के बहुसंख्यकों की उपेक्षा करने में यह साहसपूर्ण ही है। सरकार की वही पुरानी नीति और सिद्धान्त इस में भी हैं । और जब रायलसीमा ही नहीं सारे देश में अकाल फैल रहा है और कारखानों से लोग निकाले जा रहे हैं यह कहना कि 'खाद्य-सहायता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता' साहसपूर्ण ही है । फिर कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना सन् १९३९ के स्तर तक पहुंचा देगी अभी भोजन और नौकरी मांगने पर हम नहीं दे सकेंगे । इस विषय में गोरवाला समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है :

> "न केवल भारत सरकार अपितु कोई भी सरकार इस आधार पर नहीं चल सकेगी कि बहुत से काम शुरू करना थोड़े काम पूरे करने से अच्छा है । बुनियादी चीज़ें रोटी कपड़ा और मकान है आर्थिक बुराइयों को दूर कर के तत्काल नया आर्थिक ढांचा बनाना होगा . . . । आज कल एक सरकार को बहुत से कार्य करने होते हैं परन्तु उन में बुनियादी चीज़ें नहीं भुला देनी चाहियें नहीं तो उन की असफलता पर सब कुछ असफल हो जायेगा ।"

वो यह सरकार का मूल कर्तव्य है महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो सरकार लोगों को रोटी नहीं दे सकती . . . (**अन्तर्बाधा**) दस वर्ष कांग्रेस आन्दोलन में भाग लेने के कारण मुझे महात्मा गांधी को उद्धृत करने का अधिकार है । हम आप लोगों की देश भक्ति में अविश्वास नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सम्बोधित नहीं कर रहे हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : श्रीमान् मैं उन लोगों को सुझाव दे रहा था । उन से मेरा कहना है कि मतभेद होने पर भी हमें एक दूसरे को समझना चाहिये एक दूसरे की देशभक्ति में सन्देह नहीं करना चाहिये । हम कांग्रेस के किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते हम सरकार की नीति की आलोचना करते हैं। मैं कह रहा था कि जो सरकार लोगों को भोजन न दे सके उसे वहां बैठने का अधिकार नहीं है। (**साधु साधु**) चाहे साम्यवादी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या मिली-जुली सरकार हो सब पर यही एक बात लागू होती है ।

यदि देश के अर्थ संकट को देख कर आय-व्ययक बनाया गया होता तो वह ऐसा नहीं होता । यदि कभी युद्ध हो तो हमें निःसन्देह देश और उस के हितों की रक्षा करनी होगी, तब देश की रक्षा विषयक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर आयव्ययक बनाना होगा पर जब चारों ओर भुखमरी है और पशु मर रहे हैं तो तत्काल सहायता दी जानी चाहिये हम योजनाओं के विरोधी नहीं हैं और उन के देश के हित में होने के कारण हम निश्चय ही उन का समर्थन करेंगे । पर योजना या आयव्ययक के आंकड़े कुछ भी हों जहां तक रक्षा व्यय का सम्बन्ध है धन और पदार्थ या मशीनें नहीं बल्कि जनता का सहयोग हमारा आधार है । यदि जनता सरकार को सहयोग न दे तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो सकेगा । देखना यह है कि क्या इस आय-व्ययक को जनता का विश्वास प्राप्त है । तभी हमें सन्तोष होगा क्योंकि जनता के सभी वर्गों का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने वाले आयव्ययक को ही लोक-प्रिय आयव्ययक कहा जा सकता है ।

(श्री एम० ए० आयंगर अध्यक्ष-पद पर आसीन थे)

मैं आयव्ययक के विस्तार में नहीं जाऊंगा अपितु इस की कुछ मुख्य बातें लूंगा । मैं मानता हूं कि नये कर नहीं लगाये हैं पर खाद्य सहायता न देना क्या गरीबों पर कर लगाना नहीं है ? चार आदमियों वाले परिवार को अब १२ रुपये मासिक अधिक देने होंगे । यह कर नहीं तो क्या है ? दूसरे मंत्री जी कहते हैं कि यह मंदी लोगों के लिये वरदान सदृश आयी है पर क्लर्क मज़दूर किसान और साधारण आदमी का ९० प्रतिशत व्यय तो खाद्यान्नों पर होता है और दूसरी चीज़ें वह खरीद ही नहीं पाता है । उल्टे मैं देखाता हूं कि कई प्रदेशों में चमड़ा, वस्त्र और विशेषतः खड्डी आदि उद्योगों में बेकारी बढ़ रही है । मलाबार में अकेले त्रावन-कोर-कोचीन में ५,५८,००० लोग बेकार हो गये हैं । वहां हथ करघे और खड्डी में ५-५ लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। देश के विभिन्न मज़दूर संघों से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन से यह पता चलता है कि अकेले हथ करघा मजदूर नहीं बल्कि विभिन्न उद्योगों में विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्ति इस से प्रभावित हुए हैं । यह इस प्रकार है :

बंगाल	१५,५९२
बंबई	६३,४७४
बिहार	१,४००
कुर्ग	३९
मद्रास	३०,७५०
मध्य भारत	३७ ७००
मध्य प्रदेश	१,०००
मैसूर	२,०००
केरल	५,५८,४००
त्रिपुरा	२,०००
राजस्थान	२,३००

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं सूचनार्थ जानना चाहूंगा कि इस अधिकृत सूचना का स्रोत क्या है ?

श्री ए० के० गोपालन : हमारी बात सही नही मानी जाती थी इसलिये हम ने पत्र तथा तार भेज पंजीबद्ध प्रान्तीय और स्थानीय मज़दूर संघों से यह आंकड़े प्राप्त किये हैं । सब स्थानों से सूचनायें अभी नहीं आई हैं । यह इन संघों द्वारा प्रकाशित वृतान्तों पर आधारित हैं । मालावार के विषय में मैं नारियल-जटा और हथ करघा उद्योगों के वृतान्त माननीय वित्त मन्त्री के समक्ष रख दूंगा । इन आंकड़ों की पुस्तिकायें और स्मृति-पत्र माननीय प्रधान मंत्री और अन्य मन्त्रियों के पास पहले ही भेजे जा चुके हैं । इन्हीं के आधार पर मैं यह आंकड़े दे रहा हूं ।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि भाव यदि क्रम से गिरें तो डरने की कोई बात नहीं पर खतरा तभी है जब इस से उत्पादन कम हो और बेकारी बढ़ जाये । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा अप्रैल १९५२ में प्रकाशित मासिक आंकड़े कुछ एक उद्योगों में जनवरी १९५१ और जनवरी १९५२ के बीच उत्पादन में कमी को प्रकट करते हैं :

	जनवरी, १९५१	जनवरी, १९५२
कोयला	११८·८	२३०·२
सीमेंट	२०७·२	२१८·७
ऊनी सामान	८०·३	९९·६
चीनी	१२०·८	१०५·३

इसी प्रकार सिगरेट, कागज़, चमड़ा, सोडा, सीमेंट, कांच आदि का भी उत्पादन कम हो गया है । उधर हथ करघा आदि उद्योगों में बेकारी फैल रही है । मालावार के कारखाने बन्द होने जा रहे हैं । प्रसिद्ध कांग्रेसी सेमुएल आरेन की कपड़ा मिल के बन्द हो जाने से ६०० आदमी बेकार हो गये हैं । इसलिये और कुछ न कह मैं यही कहता हूं कि मंत्री जी की बात ठीक नहीं है।

फिर निर्माण कार्यों और सामाजिक सेवाओं तथा विशेषतः शिक्षा के लिये बहुत थोड़ी राशि दी गई है । आयव्ययक को

[श्री ए० के० गोपालन]

सार यह है : कुल आय ४०४·९८ करोड़ सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से आय २५१·९० करोड़ निगम आदि करों से कुल आय १०४·१६ करोड़ रेलवे तथा डाक तार से आय ८·८१ करोड़। कुल आय लगभग ४०१·०० करोड़। रक्षा २०० करोड़ ५० प्रतिशत साधारण प्रशासन ५० करोड़ १२ १/२ प्रतिशत शिक्षा ६ १/२ करोड़ १ प्रतिशत, वैज्ञानिक अनुसन्धान सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रम आदि सब १·६ प्रतिशत उद्योग वाणिज्य और कृषि १४ करोड़ ३ १/२ प्रतिशत राज्यों को साहाय्य और जन जाति-कल्याण ३० करोड़ ७ १/२ प्रतिशत विस्थापित व्यक्ति १० करोड़ २ १/२ प्रतिशत खाद्य तथा गृहनिर्माण सहायता २५ करोड़ ६ प्रतिशत सार्वजिनक निर्माण कार्य २० करोड़ ५ प्रतिशत और ब्याज ३६ करोड़ ९ प्रतिशत।

तो उत्पादकों को और रेल डाक या सरकार के छोटे छोटे कर्मचारियों को क्या सुविधा दी गई है? शिक्षा के लिये कुल १ प्रतिशत दिया गया है। आयव्ययक में गम्भीर आर्थिक संकट पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

यदि समय हुआ तो मैं पंच वर्षीय योजना से यह दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि उस में देश के औद्योगिक विकास के लिये कितनी अपर्याप्त राशि दी गई है। किसी भी देश में औद्योगीकरण के बिना बेकारी दूर नहीं हो सकती और इस के लिये केवल १४९३ करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया गया है। इस का विश्लेषण इस प्रकार है : कृषि तथा ग्राम्य विकास १९१·६९ करोड़ १२·८ प्रतिशत, सिंचाई ४५०·३६ करोड़ ३०·२ प्रतिशत, यातायात तथा संचरण ३८८·१२ करोड़ २६·१ प्रतिशत उद्योग १०० करोड़ ६·७ प्रतिशत सेवायें २५४·२२ करोड़ १७ प्रतिशत, पुनर्वास ७९ करोड़, ५·३ प्रतिशत, विविध २८·५४ करोड़ १·९ प्रतिशत :

वित्त मंत्री ने उस दिन राज्य परिषद् में कहा था कि खाद्य सहायता न देने से बचा हुआ धन 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' पर व्यय किया जायेगा पर अब तक इस में ९० करोड़ व्यय हो चुके हैं और उपज सन् १९५१ से ४० लाख टन कम हुई है। तो मेरा कहना है कि अधिक अन्न तब तक नहीं पैदा हो सकता जब तक किसान अपनी जमीन को अपना न समझें और वह उन से न छीनी जाये। मालावार में ही लाखों एकड़ सरकार की या ज़मींदारों की जमीन बेकार पड़ी है। पुत्तली में एक ज़मींदार के निःसंतान मर जाने से उस की २,००० एकड़ जमीन सरकार को मिल गई थी हम ने सरकार को प्रार्थना पत्र दिया और मौसम न निकल जाये इसलिये सरकार को सूचित करके उसे जोत लिया ; पर हुआ यह कि २५० किसान जेल में डाल दिये गये। इसलिये जब तक सरकार साहसपूर्ण कार्यवाही करके किसान के दिल में यह भरोसा न जमा दे कि जमीन उसी की है, अधिक उपज नहीं हो सकती और जनता का सहयोग पाये बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती।

चीन के इन आंकड़ों से पता चलेगा कि वहां दो वर्षों में ही उत्पादन बाहरी देशों से सहायता मिले बिना ही ४ से ६ गुना तक बढ़ गया है :

लोहे और इस्पात का उत्पादन

	१९४९	१९५१
ढलवां लोहा	१०० %	५८४ %
इस्पाती टुकड़े	१०० %	६७५ %
इस्पाती पिंड	१०० %	६५८ %

प्राकृतिक संसाधन :

टंगस्टन उत्पादन	१०० %	४४६ %
टीन धातु की (रेगुलस) उत्पादन (इलेक्ट्रोलिट)	१०० %	६०० %
तांबा उत्पादन	१०० %	४२० %

रसायन उद्योग

अमोनियम सल्फेट		
उत्पादन	१००%	६३५%
कास्टिक सोडा		
उत्पादन	१००%	२४०%
कागज़ मशीनरी :		
कागज़ उत्पादन	१००%	१६६%
मोटर टायर		
उत्पादन . .	१००%	५२१%
बैल्ट उत्पादन १९५०		
की उत्तरार्द्धा .	१००%	४३१%
चीनी . . .	१००%	१५१%
कृषि :		
चावल उत्पादन	१००%	१३१%
गेहूं उत्पादन .	१००%	१२२%
सोयाबीन	१००%	२१४%
कपास	१००%	२५६%
पटसन	१००%	७२३%

श्री सी० डी० देशमुख : सूचनार्थ, क्या माननीय सदस्य के पास वह सम्पूर्ण आंकड़े हैं, जिन पर यह प्रति शत वृद्धियां आधारित ह ?

श्री ए० के० गोपालन : आज तो नहीं मिल सके, दो दिन में दे सकूंगा। (**अन्तर्बाधायें**) माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन को आंकड़े भी दूंगा और किताबें भी और समझाने के लिये समय भी दूंगा।

इस देश में ८९ प्रतिशत व्यक्ति खेतिहर मजदूर किसान हैं। जब तक उन की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती और औद्योगीकरण नहीं होता, हमें बाहरी बाजारों का मुख ताकना होगा। इधर हमारे रक्षा व्ययों में काफी बरबादी होती है। सेना इंजीनियरी सेवा में युद्ध के बाद भी बहुत वृद्धि हुई है। युद्ध से पहले कमांडर वर्क्स इंजीनियर के कार्यालय में एक कमांडर और दो सहायक थे, अब वहां एक कमांडर, एक उपकमांडर एक दो सहायक कमांडर, एक एस० बी० ओ०, एक एस० डब्ल्यू० और एक सी० ए० ओ० होता है। हम रक्षा विषयक बारीक बातें न समझें, पर बड़े अफसरों पर यह भारी व्यय कम किये जा सकते हैं। हमें रूस-चीन से खतरा नहीं है, और दूसरे देशों से भी मैत्री है। रहा पाकिस्तान, सो ४५ रुपये के सिपाही देश की रक्षा नहीं करते हैं। आक्रमण के समय तो संसद् सदस्यों तक को लड़ना मरना होगा। चांगकाईशेक की भारी सेना कुछ नहीं कर सकी थी। जनता का उत्साह आवश्यक है। सो भले ही हम ५० प्रति शत सेना पर व्यय करें, पर सारे देश को संतुष्ट रहना चाहिये—सब को नौकरी, जमीन या काम मिलना चाहिये—अन्यथा अकेली सेना कुछ नहीं कर सकेगी। मेरा सुझाव है कि आयव्ययक में से एक तिहाई सेना पर, एक तिहाई सामजिक सेवाओं पर और एक तिहाई देश के विकास पर व्यय होना चाहिये।

साधारण प्रशासन के बारे में उदाहरण के लिए गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि सभी धन प्रायः ७५ प्रति शत ४-५ अफसरों पर व्यय होता है, जनसाधारण पर नहीं :

	अफसर		संस्थापन	
	संख्या	वेतन रुपये	संख्या	वेतन रुपये
दिल्ली				
पुलिस	३१	१,२६,६००	८,२००	४६,१२,०००
स्पेशल पुलिस हेड क्वार्टर्स	६	७६,६००	१०६	१,३८,०००

हम संसद् सदस्यों को देश के सामने एक आदर्श रखना चाहिये। हम साम्यतः तो १० रुपये दनिक भत्ता

[श्री ए० के० गोपालन]

रहने के लिये एक कमरा और इंटर या यदि आप सहमत हों तो तीसरे दर्जे के किराये से संन्तुष्ट हो जायेंगे । तब हम देश को दिखा देंगे कि कौन देशभक्त है और देश की जनता की सेवा करना चाहता है । दल के रूप में हमारा मतभेद हो, पर जन सेवा के विषय में कोई मतभेद नहीं है । हम भी आप की भांति जनता की भावनाओं को समझते हैं । यदि आप विरोधी दल की बात को समझने की परवाह नहीं करेंगे, तो समय आने पर समझना पड़ेगा । मुझे समय नहीं है, पर मैं माननीय वित्त मंत्री के अवलोकनार्थ कुछ आंकड़े सदन पटल पर रखे देता हूं । यह आय-व्ययक देश के करोड़ों लोगों की आवश्यकतायें पूरी नहीं करता है और निश्चय ही देश के लिये निराशाप्रद है ।

कर्नल जैदी: (जिला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण): क्या विभिन्न दलों के सदस्यों को विभिन्न समय दिया गया है ?

सभापति महोदय : साधारणतः सब को १५ मिनट मिले हैं । श्री गोपालन ने उन को अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये ३० मिनट के स्थान पर ४० मिनट ले लिये ह, अतः १० मिनट उन के दल के समय में से काट लिये जायेंगे । अस्तु इस सब पर पीछे विचार किया जायेगा ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य) : मुझ से पूर्व के वक्ता रूस चीन का ही गुणगान करते रहे पर मैं जनसाधारण की स्थिति को समझने वाले एक साधारण व्यक्ति के रूप में इस आयव्ययक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह आयव्ययक राष्ट्र पिता के उन सिद्धांतों पर आधारित है, जिन को हम ने देश की भलाई के लिये अपना लक्ष्य बना लिया है । सभी मानते हैं कि जनसाधारण की दशा सुधारी जाये, पर उसके लिये बढ़े हुए उत्पादन तथा अत्यावश्यक पदार्थों और खाद्यों के सम्भरण के साथ साथ भारी प्रयत्न और धैर्य की आवश्यकता है । क्या रूस और चीन में भी एक दिन में ही सभी कुछ हो गया था और क्या रूस में लोग दुर्भिक्ष से नहीं मरे थे? तो जनसाधारण की दशा सुधारने के लिये घोर त्याग और अथक परिश्रम करना होगा, वक्तृत्वचातुरी से लोगों को लुभाने से काम नहीं चलेगा । जो लोग गम्भीरता से देश की दशा पर विचार करेंगें वह पंचवर्षीय योजना को ठोस रूप देने वाले इस आयव्ययक का समर्थन ही करेंगे । हम पर दुष्यन्त की भांति प्रतिज्ञा भंग का लांछन लगाया गया है, पर प्रतिज्ञा भंग करने वाले लोग हमें अपनी दृष्टि से देखते हैं । हम ने पंचवर्षीय योजना लोगों के सामने रखी यह प्रतिज्ञा नहीं की कि इस से उन को स्वर्ग मिल जायेगा, बल्कि यही कहा कि मिल जुल कर इस पर काम करने से दशा सुधरेगी, और यदि आप हमें चुनेंगे तो हम इसे कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न करेंगे । हमें भारी विजय मिली । लोग कहते हैं कि हम केवल ४७ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर हम जफरुल्ला और नाजिमुद्दीन जैसे पाकिस्तानी नेताओं के वक्तव्यों के बल पर भारत में पनपने वाले सम्प्रदायवाद या सामन्तवाद के अवशेषों का प्रतिनिधित्व न कर के जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस आयव्ययक में जनता के सामने की गयी प्रतिज्ञा को ही कार्यान्वित करने जा रहे हैं ।.

हमारे सामने बार बार पंडित मोतीलाल जी का उद्धरण रखा गया था, पर जब पंडित जी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध घोर संघर्ष कर रहे थे, मेरे माननीय मित्र उसके पिछलग्गू बने हुए थे ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये । यह आक्षेप कि मैं अंग्रेजों की ओर था बिल्कुल गलत है। (अन्तर्बाधा)

सभापति महोदय : शान्ति शान्ति । मैं इस झगड़े पर तर्क नहीं होने दूंगा। यदि माननीय सदस्य को अवसर मिले तो अपना स्पष्टीकरण दे दें । मैं यह भी कहूंगा कि 'पिछलग्गू' के स्थान पर कुछ और शब्द प्रयुक्त करना चाहिये था ।

श्री जी० एच० देशपांडे : श्रीमान्, मुझे इस असंसदोचित शब्द को वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं ।

तो हम ने कोई प्रतिज्ञा भंग नहीं की है। सन १९३७ में और फिर सन् १९४६ में हम ने चुनाव लड़े । कांग्रेस दुष्यंत ने शकुंतला जनता को कभी धोखा नहीं दिया। उलटे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य सन् १९४६ में कांग्रेस से टिकट मांगने आये थे और टिकट न मिलने पर हमारे घोर विरोधी हो गये हैं । प्रतिज्ञा भंग करने वाली संस्था के पास जाने की उन को क्या जरुरत थी ? उलटे देखा जाये तो सामने बैठे हुए दुष्यन्त ने शकुंतला रूपी अपने मतदान क्षेत्र का अपराध किया है, पर आज की शकुंतला कवि की शकुंतला की भांति दुर्बल नहीं है उसने दुष्यन्त को त्याग दिया है ।

सभापति महोदय : शांन्ति शान्ति । उपमा को व्यक्तिगत आक्षेप तक नहीं ले जाना चाहिये ।

श्री जी० एच० देशपांडे : मैं उन के दल की बात करता हूं उन के दल की स्थानीय बोर्डों के निर्वाचन में करारी हार हुई है और वहां शकुंतला ने दुष्यन्त को त्याग दिया है ।

हमारा बम्बई प्रांत उद्योग प्रधान ान्त है, ... केवल चार प्रति शत जमीन के ही सिंचाई वाली होने के कारण वहां खाद्य-स्थिति बहुत गम्भीर है। खाद्य सहायता तो निश्चित कारणों से हटा ली गयी है, पर मैं माननीय वित्त मंत्री से वहां की विशिष्ठ परिस्थितियों पर ध्यान देने के लिये निवेदन करूंगा और योजना मंत्री जी से बम्बई राज्य में एक दो बड़ी बड़ी सिंचाई योजनायें और आरंभ करने की प्रार्थना करूंगा । अन्त में वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए और जनता के नियोग की याद दिलाते हुए मैं इस आयव्ययक का समर्थन करता हूं ।

कुमारी आंनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : भारत संसद् के इतिहास में पहली बार विरोधी दल काम करने जा रहा है । वैस्ट मिंस्टर में दिये गये महाधिकार पत्र (मैगना कार्टा) से लेकर पांच सौ वर्ष तक और अमरीका में जैफर्सन और लिंकन द्वारा वहां के संसदीयशासन के इतिहास में प्रशंसनीय कार्य किये गये हैं । पर खेद है कि यहां राष्ट्र नेता 'अदभुत साथी' या 'मन भाये गठ जोड़' इत्यादी कह कर विरोधी दल को हंस कर उड़ा देना चाहते हैं, तो मैं उन से कहूंगी कि यह मनभाये गठ जोड़ नहीं है, बल्कि हम लोगों ने दृढ विरोधी दल बनाने के लिये विधिवत गठ जोड़ किया है ।

आयव्ययक को लें, तो अब पांच वर्ष बाद राष्ट्र की सफलताओं पर दृष्टिपात करने का समय आ गया है । हमारी गत पांच वर्ष की वित्त-व्यवस्था उठने गिरने वाली लहरों के समान रही है, जो अन्त में अनियंत्रित आर्थिक दशाओं से टकरा कर चकनाचूर हो कर फ़ेंन रूपी आर्थिक अवक्षयण में लीन हो जाती हैं । वित्त मंत्री जी ने योग्यतापूर्वक तीन करोड़ का अतिरेक दिखाया है, पर कुल मिला कर ७५ करोड़ के घाटे और खाद्यसहायता के हटाये जाने पर भी हमें ध्यान देना है । हमारा देश पश्चिमी पूंजीवादी देशों की व्यापारनीति का सदा शिकार रहा है औ

[कुमारी आंनी मस्करीन]

उन के इशारे पर नाचता रहा है। पांच वर्ष के कठोर प्रशासन के बाद हम आज लाभ की बजाये घाटा उठा रहे हैं और देश को अकालग्रस्त पा रहे हैं और लोग भूखे नंगे चीखते चिल्लाते मृत्यु की ओर बढ़े जा रहे हैं। उन को भोजन देने के कर्तव्य में सरकार की असफ़लताओं का यह एक उदाहरण है। वे ज़मीन पूंजीपतियों से ले कर किसानों को देने में असफ़ल हुए हैं।

फिर खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री के समक्ष आंकड़े रखते हुए त्रावनकोर-कोचीन के कमी वाले क्षेत्र को लेती हूं। वहां अपेक्षित खाद्यान्नों का ४२ प्रतिशत पैदा होता है फिर २२ प्रति शत टेपिओका और मछली १० प्रतिशत फल और इस सब के अलावा ६० प्रति शत अभ्यंश केन्द्र से मिलता है। यह सब १३ प्रतिशत हुआ। फिर अकाल क्यों यह सब प्रशासन की अक्षमता है, परियोजनायें पूरी नहीं हुई हैं या विदेश में चावल का भाव अधिक है आदि कारण कुछ भी नहीं हैं।

एक गंभीर बात और है कि संविधान में समानता, बंधुत्व और न्याय की बात रहते हुए भी सभी बड़ी बड़ी परियोजनायें उत्तर में ही आरंभ की जाती हैं, और करोड़ों रुपये मूल्य के डालर अर्जित करने वाले दक्षिण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। त्रावनकोर-कोचीन के लिये पंचवर्षीय योजना में रखी गयी पीची और पेरनचरनी परियोजनायें तो पहले ही पूरी हो चुकी हैं, हां, नैयर अवश्य नयी है, पर यह अभी कल्पना में ही है। उस से तो चुनाव जीतने में सहारा लिया जा रहा था। मुझे अपने एक प्रश्न के उत्तर में पता चला था कि सन् १९४९ में हथकरघा उद्योग के लिये १९ लाख रुपये और मछली उद्योग के लिये ३५,००० रुपये रखे गये थे, पर वह आज तक नहीं दिये गये। तो क्या हम किसी की पैतृक सम्पत्ति से दान मांगते हैं? संविधान के अनुच्छेद ३११ की आड़ में हमारे राज्य का मंत्रिमंडल आदि भी केन्द्र द्वारा ही चुना जाता है और आयकर रेल आदि महत्वपूर्ण चीज़ें केंद्र में समेट ली जाती हैं और हम से प्रजातंत्री सरकार के अधीन रहने को कहा जाता है। हमारी समान सेवा का समान वेतन न दे कर हमें आर्थिक और राजनैतिक दास बनाया जाता है और इस सबका हम घोर विरोध करेंगे। (**साधु, साधु**)। वह दिन दूर नहीं है, जब उत्तर द्वारा शोषित और नाना संसाधनों से पूर्ण दक्षिणात्व दक्षिण में स्वतंत्र गणराज्य बनाने का बीड़ा उठायेंगे। आन्दोलन कर्त्ता शासक बनने के बाद दाक्षिणात्वों को निकाल फेंक रहे हैं। मुझे आशा है कि विरोधी दल के दक्षिणी नेता हमारे अधिकारों के लिये लड़ेंगे। आप यहां विद्युत शक्ति के लिये भारी भारी योजनायें बना रहे हैं। हमारी भी योजनायें हैं। हमारे भी रेशम और नारियल-जटा के उद्योग हैं। हमारे यहां अधिकांश व्यक्ति नारियल उगाते हैं। जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि दामों का गिरना हमें लाभ पहुंचायेगा, तो लंका में आप की नीति के कारण नारियल आदि पदार्थों के दाम गिर रहे हैं और चावल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं खाद्य मंत्री को दिखाने के लिये राशन में हमें मिलने वाले चावल का नमूना लायी हूं।

११ म० पू०

वह उसे चखें। वित्त मंत्री ने २५७·४ करोड़ रुपये का अन्न विदेश से ला कर देश की अपेक्षा विदेशी पूंजीपतियों की सेवा अधिक की है। मैं माननीय खाद्य मंत्री से कहे देती हूं कि हमारे मत-क्षेत्र के लोगों ने यह चावल आप के पास भिजवाया है। मैं इसे खाने से इन्कार करती हूं और यदि आप इसे बदल कर वह अच्छा चावल, जो आप स्वयं खाते हैं, हमें नहीं देंगे, तो .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया सभापति को संबोधित करें ।

कुमारी आंनी मस्करीन : मुझे और अधिक समय मिलता तो अच्छा था, पर मैं इस के लिये भी आप की बहुत अनुगृहीत हूं ।

श्री अब्दुस्सत्तार (कलना-कटवा) : मैं श्री शिदा राव के शब्दों में इस आयव्ययक को सच्चा और साहसपूर्ण कह कर इस का समर्थन करता हूं । मैं स्वयं जनसाधारण में से हूं और उन के ही द्वारा चुना गया हूं और मैं देखता हूं कि इस में उन के लिये बहुत कुछ है । कहा गया था कि लोगों को ज़मीन चाहिये । पर मेरे यहां लोगों के पास ज़मीन होते हुए भी पानी बिना कुछ नहीं हो सका । यह परियोजनायें लोगों को पानी की आशा दे रही हैं । दस मिनट में कहा बहुत कुछ जा सकता है परन्तु करने में समय लगता है। रूस को भी आज की स्थिति तक पहुंचने में वर्षों लगे हैं । फिर लाखों लोगों को शरण और पुनर्वास देने की ऐसी समस्या किसे सुलझानी पड़ी है ? आन्तरिक सुरक्षा के सामने कपड़ा और भोजन ही सब कुछ नहीं है, हमारे पश्चिमी बंगाल के अभागे नरनारियों में सुरक्षा की भावना लाने और शान्ति बनाये रखने के लिये मैं केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों को बधाई देता हूं । कोई सूरज की भांति क्षण में सारा अंधेरा नहीं मिटा सकता । इस के लिये कड़े और संगठित काम की ज़रूरत है । माना कि प्रजातंत्र के लिये विरोधी दल आवश्यक है, पर इंग्लैण्ड में विरोधी दल लापरवाह रह कर केवल मीन-मेख ही नहीं निकालता है बल्कि रचनात्मक सुझाव भी देता है । पर उस ओर बैठे मेरे मित्र तो देश में अकाल की स्थिति पैदा करना चाहते हैं । समाचारपत्रों में प्रकाशित एक वक्तव्य में पश्चिमी बंगाल के माननीय पुनर्वास मंत्री ने एक प्रसिद्ध विरोधी नता के इस आरोप के उत्तर में कहा है कि सुन्दरबन का अकाल मनुष्यकृत है । पर मैं कह दूं कि यह मनुष्य वहीं हैं, जो उस ओर बैठे हैं ।

यह लोग अन्न समाहार में सरकार की सहायता न कर के बाधायें ही डालते रहे हैं । अतिरेक वाले प्रदेशों में लोगों को यह कह कर भड़काते हैं कि "हम प्राण दे देंगे, किन्तु धान नहीं देंगे" और कमी वाले प्रदेशों में यह कह कर उकसाते हैं "चावल दो या गद्दी छोड़ दो"। और इस प्रकार लोगों को अव्यवस्था और समाज विरोधी कार्यवाहियों के लिये भड़काते हैं !

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमान, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में क्या माननीय सदस्य आय-व्ययक पर बोल रहे हैं ? **(अन्तर्बाधा)**

सभापति महोदय : शांति शांति । बाईं ओर वाले बैठे सदस्य अब तक दाईं ओर वालों पर दोष मढ़ते रहे थे, अब माननीय सदस्य सब दोष दूसरे पक्ष का बता रहे हैं । **(अन्तर्बाधायें)** शांति शांति ।

श्री अब्दुस्सत्तार : मैं कहता हूं कि हमारे नेता सदैव रचनात्मक सुझावों को मानने को प्रस्तुत रहे हैं । अंग्रेज़ कुछ ही समय पहले गये हैं । उन्होंने २०० वर्ष में जो बिगाड़ा है, वह दो चार वर्ष में नहीं बनाया जा सकता विरोधी दल सामने आ कर पंचवर्षीय योजना और नदी घाटी परियोजनाओं में सहयोग दे । यह सब अलादीन के चिराग की भांति पलक मारते नहीं हो सकता इस आयव्ययक ने जनसाधारण के लिये आशायें पैदा कर दी हैं ।

खाद्य सहायता के हटा दिये जाने से राज्य केंद्र से मांग न कर के आत्म निर्भर बनने का प्रयत्न करेंगे और तेज़ी से आन्तरिक समाहार बढ़ायेंगे । मैं इस के लिये भी वित्त मंत्री को बधाई देता हूं । विरोधी

[श्री अब्दुस्सत्तार]

नेता श्री गोपालन ने कहा कि यह अन्य प्रकार से करारोपण ही है, पर यदि ऐसा है तो गिरते हुए मूल्यों से लोगों को राहत मिलेगी। मैं आयव्ययक का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री जाटव-वीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर —रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस संसद् में आयव्ययक (बजट) के उपर अपने कुछ विचार ले कर आप के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमान्, चाहे इस पार्टी के महानुभाव हों, चाहे बहुमत के हों, पार्लियामेंट के अन्दर यदि कोई विरोधी पक्ष सुझाव की बात अपने देश को उस का स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिये रखता है, तो बहुमत सत्ताधारी महानुभावों का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह उस को मज़ाक कह कर, चाहे वह सुझाव अच्छा ही क्यों न हो, टाल दें।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : बहुत ठीक।

श्री जाटव-वीर : श्रीमान्, आज बजट के ऊपर मैं कुछ थोड़े से विचार आप के समक्ष रखता हूं। मैं आप की आज्ञानुसार बताना चाहता हूं कि मैं कृषक लोकपार्टी का सदस्य हूं तथा परिगणित जाति का भी सदस्य हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बजट जो हमारे अर्थ मंत्री ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, मैं जानता हूं कि वास्तव में ज़माने को देखते हुए वह अच्छा है। परन्तु जब मैं उन परिगणित जातियों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करता हूं जिस का सहस्रों वर्षों से लोगों ने शोषण किया है तो मुझे बड़ा दुःख होता है। यदि भारत के विधान में उन के ऊपर दस वर्ष का संरक्षण न लगा होता तो मैं इस संसद् में थोड़ा सा भी इस प्रश्न को न उठाता। लेकिन उन को बराबर लाने के लिये केवल दस वर्ष ही दिये गये हैं तो मैं नहीं समझता कि जैसा बजट बना है उस के अनुकूल दस वर्ष में उन का स्तर कैसे ऊंचा हो जायेगा।

मैं इस बात को लेते हुए अध्यक्ष महोदय भारत के उस पिछड़े हुये समाज की, सताये हुए भइयों की, जो कि इस देश का चौथाई हिस्सा है, उन की थोड़ी सी वास्तविक दशा इस संसद् के सामने रखना चाहता हूं। यदि हमारे शिक्षा विभाग के आनरेबिल मिनिस्टर यहां पर होते तो मैं इन भाइयों की शिक्षा के लिये बतलाता कि परिगणित जाति की शिक्षा कितनी अधोगति को प्राप्त है। क्या संसार में भारतीय संसद् में यह हमारे लिये कलंक की बात नहीं है कि अमुक जाति का सदस्य अशिक्षित हो अंगूठा लगावे। दलित जाति के हमारे कुछ भाई संसद् में आ कर बैठे हैं, सुनें। आप की आज्ञा से मैं यह बताना चाहता हूं कि यह हंसने की बात नहीं है बल्कि भारत की संसद् के लिये ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क के लिये रोने का समय है। यही नहीं, मैं आप को बताना चाहता हूं कि संसार में भारत की एजूकेशन (शिक्षा) सब से पिछड़ी हुई है। हमारे मित्र तथा माननीय मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि हम शिक्षा के लिहाज से सब जातियां को बराबर लाना चाहते हैं। तो क्या मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह मुझे बता सकते हैं कि तमाम स्टेट्स (राज्यों) में शोषितों के लिये फ़ीस माफ कर दी गई है, परिगणित जातियों की फ़ीस माफ़ कर दी गई है, लेकिन क्या दिल्ली में भी उन की फ़ीस माफ़ है? आज दिल्ली के अन्दर तमाम परिगणित जाति को कोई सुविधा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे इस का कोई जवाब नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं स्वयं अपनी आंखों से इस बात को देख रहा हूं। यह बात तो आप की तालीम की रही।

अब दूसरी में उन की सामाजिक दशा पर भी आप का ध्यान दिलाऊंगा । भारत ही नहीं, हमारे संसद् के सदस्य ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग भी हंसेंगे नहीं तो एक बूंद आंसू की जरूर छोड़ देंगे कि आज मानवता के नाते शोषित समाज का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा रहा है । मैं जानता हूं कि हमारे समाज के अन्दर पूज्य बापू, पूज्य महात्मा गांधी, का जो रचनात्मक कार्य शेष रह गया है उस को काग़ज के रूप में तो अवश्य दिखालाया जाता है मगर क्रियात्मक रूप में कुछ नहीं किया जाता है । क्या मैं अपने माननीय गृह कार्य मंत्री से पूछ सकता हूं कि आज इस स्वतंत्र भारत में दलित वर्ग के लोग क्यों अपना विवाह विधिवत् स्वतंत्रता से नहीं कर सकते, पालकी पर चढ़ नहीं सकते हैं किसी सवारी पर नहीं चढ़ सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : वह खत्म हो गया है ।

श्री जाटव-वीर : बिल्कुल असत्य है, नहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप को कुछ कहना है अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाऊंगा । लेकिन मेरे माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह अध्यक्ष से आज्ञा ले कर बोलें । लेकिन यदि इस प्रकार अंतर्बाधायें होती रहीं तो मैं समझता हूं कि इस संसद् की नियमावली की हत्या हो जायेगी ।

मैं आप की आज्ञा से बतलाना चाहता हूं कि आगरा नगर में ऐसी मिसालें हैं, और आगरा ही नहीं, राजस्थान में ऐसी मिसालें हैं । इसी वर्ष का उदाहरण है कि आगरा में केवल चांदनी तानने के ऊपर तीन दिन विवाह रुका रहा । यदि आप मेरी बात सच नहीं मानते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख कर पूछ लीजिये । यहां राजस्थान से जो लोग आये हैं उन से आप पूछ सकते हैं कि अभी राजस्थान में क्या व्यवस्था है । धौलपुर में शिवजी के ऊपर पानी चढ़ाने के ऊपर क्या हुआ ? धौलपुर में विपदपुर गांव है, जहां दलितों को मारा और लूट लिया गया । क्यों वह भी केवल इसलिये कि परिगणित जाति के लोगों ने शिवजी के ऊपर पानी चढ़ा दिया था । अगर यह बात सच है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया ? हमारी उन्नति कैसे हो सकती है ? और दस वर्ष के लिये जिस जाति का संरक्षण है वह जाति दस वर्ष में कैसे ऊपर आ जायेगी ? मैं केवल दस वर्ष के संरक्षण के प्रश्न को ले कर आप के सामने रख रहा हूं । जिस जाति का वर्षों से शोषण हुआ है कान्स्टिट्यूशन (संविधान) के अनुसार यदि आप की यही रफ्तार रही तो इस जाति का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता । प्रत्येक काम, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक देश और प्रत्येक विभाग धन के ऊपर ही चल सकता है । यदि धन इस काम के लिये प्राप्त नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि यह दीन जाति कभी बराबर नहीं आ सकेगी । अस्तु, मैं आप की आज्ञा से आगे चल कर बताना चाहता हूं कि यह दशा तो आप की शिक्षा की है और यह दशा आप के समाज की है । अब थोड़ा सा मैं उन की आर्थिक दशा का अवलोकन आपको कराना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं उन की इस दशा का वर्णन करूं तो आप के रोमांच खड़े हो जायेंगे । यह बुन्देलखण्ड का दृश्य है । हम सन् १९४७ में स्वतंत्र हो गये, लेकिन यह परिगणित जाति आज भी परतंत्र है और बेगार प्रथा उन के ऊपर जारी है । हमारे माननीय राष्ट्रपति के भाषण में सत्ताधारी समुदाय की ओर से कुछ मेम्बरों ने संशोधन दिये थे उनसे हर्ष हुआ । पर मुझे दुःख है कि वह मेम्बर डर गये और बोल न सके । मैं आज उस अभागी परिगणित जाति की ओर से आप के जरिये प्रार्थना करना चाहता

[श्री जाटव-वीर]

हूं कि देखा जाय कि उन की क्या दीन दशा है ।

जैसा कि मैंने आगे कहा, मैं आप के सामने अब उन की आर्थिक अवस्था को रखना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि मैं ने समय ज्यादा ले लिया है लेकिन जब २५-२५ मिनट दिये जाते हैं तो क्या उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो तीन मिनट और नहीं दिये जायेंगे ?

सभापति महोदय: दो मिनट और हैं ।

श्री जाटव-वीर: मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वह जाति जिस को कि अनुसूचित जाति कहा जाता है बहुत ग़रीब है, उसकी आर्थिक अवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, यद्यपि जमींदारी और जागीरदारी प्रथाओं का खात्मा हो चुका है । जो सदस्य हैदराबाद से आये हैं उन के नुमाइन्दे हो कर वह आप को बतलायेंगे कि वहां पर कितने भाग में यह लोग काश्तकार हैं और कितने भाग में खेतिहर मजदूर। मैं आप का ध्यान, राजस्थान, बुन्देलखण्ड विन्ध्य प्रदेश को ले जाता हूं और थोड़ा उत्तर प्रदेश को छोड़ कर पंजाब आदि की ओर ले जाना चाहता हूं । यहां पर चौथाई खेतिहर मजदूर वर्ग के लोग हैं । उन लोगों पर खेती के साधन हैं, लेकिन खेती की उपज में उन का कोई भाग नहीं हैं । क्या सरकार इन के लिये कोई व्यवस्था करेगी ? केवल दस वर्ष का समय है । इस पंचवर्षीय योजना के साथ ही इन के प्रश्न को भी ले कर अपने इस अभागे कुटुम्ब को, जो आप ही का अंग है आगे बढ़ाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता, इन के जीवन के स्तर को क्यों नहीं ऊंचा उठाया जाता ? क्या किसी स्टेट सरकार को हमारी भारत सरकार ने ऐसा आदेश भेजा है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद कृषि का विभाजन किया जाय तो विशेष सुविधायें हरिजन जाति के लोगों को दी जायं जो कि खेतिहर मजदूर हैं ।

यही नहीं मैं अपने आनरेबिल फाइनेन्स मिनिस्टर (माननीय वित्त मंत्री) का ध्यान इस तरफ़ भी दिलाना चाहता हूं कि दस्तकारी के क्षेत्र में भी इन की सहायता की जाय । जब से देश का विभाजन हुआ है और पाकिस्तान बना है तब से यहां के जूते बनाने वाले कारीगरों की दशा बहुत खराब है । इस काम में दो तीन लाख से ज्यादा आदमी काम करते हैं । मैं शू वरकर्स मजदूर यूनियन का चेयरमैन हूं । मैं उन की दशा को जानता हूं । देश के विभाजन के बाद से कच्चा चमड़ा पाकिस्तान को चला जाता है और हमारे यहां जूते के कारीगर, जिन को सन् १९४६ के पहले सब प्रकार की सुविधा थी, आज त्राहि त्राहि कर रहे हैं । उन को मैटीरियल बहुत महंगा मिलता है । मैं कह सकता हूं कि पूंजीपति भारत सरकार के जरिये से औद्योगिक पदार्थ (इंडस्ट्रीयल मैटीरियल) के बड़े बड़े ठेके परमिट ले कर उसे सीधा मंगा लेते हैं और फिर उस को चौगुने और पंचगुने दामों पर देते हैं । मैं अपने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इन को सहायता दी जाय, इन की सहकारिता के रूप में दुकानें खोली जायं ताकि उन को मैटीरियल ठीक दाम पर और सस्ता मिले । मुझे दुःख है कि मेरे पास समय नहीं है । मैं कटौती प्रस्ताव ला कर आगे आप को इस बारे में बतलाऊंगा । मैं कोई सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं । मैं केवल यही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दलित जातियों को केवल दस साल के लिये संरक्षण प्राप्त है और इस को बजट पूरा नहीं करता है ।

इन शब्दों के साथ, सभापति जी, मैं अपने आसन पर बैठता हूं और आशा करता

हूं कि मुझे इस का उचित रूप में उत्तर दिया जायेगा ।

श्री ए० के० बसु (उत्तर बंगाल) : मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान दार्जिलिंग जिले के चाय उद्योग की गम्भीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पिछले वर्ष आधे से अधिक बाग़ों में भारी घाटा हुआ था, ११ उद्योग बन्द हो गये और ३ का उप आयुक्त ने अधिग्रहण कर लिया था । मुझे भय है कि दुनिया भर में सर्वोत्तम चाय पैदा करने वाला यह उद्योग समाप्त हो जायगा । वैसे तो जिन की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो उन उद्योगों का बन्द हो जाना अच्छा ही है, परन्तु कुछ कारणों से इसे संरक्षण देन के लिये इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । बेकार हो जाने वाले मजदूरों को बदले में दूसरी नौकरी देनी होगी क्योंकि आश्रितों समेत एक लाख व्यक्ति इसमें लगे हुये हैं और वहां पर कोई दूसरा उद्योग भी नहीं है । इस सीमा वाले महत्वपूर्ण जिले में वैसे ही बहुत से लोग बेकार हैं और उन सब को बड़ी कठिनाई हो जायेगी । यहां के ८८ चाय-बाग़ानों में से केवल १४ ही ७५० एकड़ से अधिक के हैं और आधे से अधिक १५० से ४५० एकड़ तक के हैं और स्वभावत: आर्थिक दृष्टि से दृढ़ नहीं हैं । चाय के बाग़ानों का कुल क्षेत्र ४५,००० एकड़ से अधिक नहीं, जो आसाम और दोआर्स की तुलना में बहुत कम है । यहां केवल तीन करोड़ पौंड चाय होती है जब कि दोआर्स में, १३९० लाख और आसाम में २८४० लाख पौंड । यहां की झाड़ियों में उतना काम भी नहीं हो पाता है और पत्तियों की चुनाई कम होने से आसाम और दोआर्स के १५ मन प्रति एकड़ की तुलना में यहां कुल पांच मन प्रति एकड़ उपज होती है । इस क्षेत्र में २० प्रतिशत मजदूर फ़ालतू रहते हैं । हर मजदूर को रोज काम नहीं मिलता और औसतन प्रत्येक मजदूर का एक आश्रित होता है । प्रत्येक दस या बारह वर्ष का बालक स्वयमेव बाग़ का मजदूर बन जाता है । इसलिये यहां इस पर निर्भर लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है । प्रबन्धकों को नियंत्रित दर पर चावल नहीं मिलता है और उन को नैपाल और पाकिस्तान से ऊंचे भावों पर चावल आयात करना पड़ता है, फिर भी उनको इन सब को आठ रुपया प्रति मन चावल देना होता है । इसलिये गत वर्ष इन ८८ चाय बाग़ानों को ५० लाख की हानि हुई । वे यह सब भार नहीं उठा सकते और उनके बन्द हो जाने की सम्भावना है ।

सन् १९४२ में सर जैरेमी रेज़मैन द्वारा चाय पर प्रति पौंड दो आना निर्यात शुल्क लगाया गया था, जो सन् १९४७ से बढ़ा कर चार आने कर दिया गया था । अब इसके उठा लेने का समय है । आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि जब दोआर्स और आसाम में क्रमश: १९ और २२ हड़तालें हुईं और १८,५०० और १५,००० जनदिवसों की क्षति हुई, दार्जिलिंग क्षेत्र में सन् १९५१ में कोई श्रमिक हड़ताल नहीं हुई । किंचिनजंगा की शृंखलाओं से घिरा हुआ दार्जिलिंग भारत में सर्वसुन्दर नगर है । जहां पहाड़ी रेलें, सड़कें, सार्वजनिक स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र और क्षय-अस्पताल हैं और जो बंगाल का गर्व रहा है । पर यह सारी समृद्धि चाय-बागानों के ही कारण है । तो क्या इस नगर को उजड़ने दिया जायेगा ?

अब मैं प्राकृतिक संसाधनों के विकास को लूंगा । बहुप्रयोजनीय योजनाओं में खाद्य के एक मद होने के कारण उन के पूरे होते ही खाद्य समस्या समाप्त हो जायेगी, इसलिये खाद्य-सहायता हटा कर प्राकृतिक-संसाधनों के विकास पर जोर देना ठीक ही है । दामोदर घाटी योजना को ही लें । इस की कुल लागत

[श्री ए० के० बसु]

७४.९८ करोड़ रुपये है, जिसमें १२.२१ करोड़ बाढ़-निरोध २५.३८ करोड़ सिंचाई और ३७.३८ करोड़ रुपये जलविद्युत के लिये आवन्टित किये गये हैं। मेरे निजी निरीक्षण के अनुसार मेरा विचार है कि यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही पूरा हुआ है, और यदि वित्त मंत्री प्राक्कलन के अनुसार धन देते रहे, तो १९५५-५६ तक इसे पूरा कर लिया जायगा। सिंचाई के लिये रखे गये २५.३८ करोड़ रुपयों में कलकत्ता के ३० मील उत्तर हुगली में प्रति मास दो लाख टन कोयला ले जाने के लिये दो करोड़ रुपये में बनायी जाने वाली नौपरिवहन नहर भी सम्मिलित है। इस नहर से प्रति मास २,००,००० टन कोयला कलकत्ता पहुंच सकेगा। फिर इस परियोजना से आजकल ठीक प्रकार से न सींची जाने वाली १,८५,००० एकड़ जमीन के अतिरिक्त १,२५,७६२ एकड़ जमीन और सींचे जाने की आशा है, जिस से ३,५०,००० टन चावल प्रति वर्ष अधिक होगा, जो १६ रुपये की नियंत्रित दर से १९.२ करोड़ रुपये का होगा, जिस के सामने २५.३८ करोड़ की लागत कुछ नहीं है। इसलिये नदी घाटी परियोजनाओं में होने वाली सफलता सरकार की सब से बड़ी सफलता होगी। यह पंचवर्षीय योजना अकाल और तंगी होते हुये भी रूस में लागू की गयी स्टालिन की पहली पंचवर्षीय योजना से तुलना किये जाने योग्य है।

श्री वैलायुधन: मुझे पिछली संसद् में इसी आयव्ययक पर अपने विचार प्रकट करने का सुअवसर प्राप्त हो चुका है। उन बातों को बिना दुहराये मैं वित्त मंत्री जी द्वारा उसमें किये गये कुछ परिवर्तनों को ही लूंगा। दूसरे सदन में उन्होंने कहा था कि आयव्ययक का एक सिद्धान्त है, एक कार्यक्रम है और उस की एक योजना है। मेरी समझ से यह सिद्धान्त जनसाधारण—मध्यवर्ग और निम्नवर्ग वालों—का शोषण ही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण की भांति इस आयव्ययक में भी देश की वास्तविक संकट पूर्ण स्थिति को भुला देने का कुटिल प्रयास किया गया है।

सरकार ने मंदी या भाव गिरने का श्रेय अपने ऊपर लिया है, पर पिछले आयव्ययक पर वादविवाद के समय वित्त मंत्री जी इस पर मौन रहे थे और अब कह रहे हैं कि इस ने जनता को लाभ पहुंचाया है। पर अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम कहां गिरे हैं, और निर्धन जनसाधारण को लाभ कहां पहुंचा है? पटसन, कोयला, चीनी आदि के भाव शुल्क लग जाने के कारण गिर गये हैं और वित्त मंत्री जी के कथनानुसार उन्होंने इन उद्योगों को छूट दी है, पर क्या इससे देश में जनसाधारण—मध्यवर्ग या निम्नवर्ग के लोगों को—कुछ लाभ हुआ है? उल्टे वित्त मंत्री जी ने राजनीतिक और आर्थिक संकट को भुला दिया है और उसकी चार साल पुरानी चुनौती के सामने असफल रहे हैं। वह देश को आर्थिक अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। सन् १९४७ में विभाजन के समय देश के पास नक़द रोकड़ २८५ करोड़ रुपया थी और अब यह इस वर्ष के अन्त तक ८३ करोड़ रुपया ही रह जायेगी, बल्कि वित्त मंत्री जी ने तो कांग्रेस की एक बैठक में यहां तक कहा था कि सन् १९५२ के अन्त तक यह ७–८ करोड़ से अधिक नहीं बचेगी।

इस आयव्ययक में पंचवर्षीय योजना अवश्य है, और उस ओर के सदस्यों द्वारा उस की प्रशंसा के पुल बांधे गये हैं, पर जैसा हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है हम भी उस के विरोध में नहीं हैं। पर प्रश्न यह है कि आर्थिक दृष्टि से इस प्रकार असफल सरकार इसे कैसे पूरा करने जा रही है? क्या हमारे पास इसे पूरा करने के लिये

पर्याप्त प्रविधिविज्ञ हैं ? वाणिज्य मंडल द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में बताया गया है कि इन परियोजनाओं के पूरे हो जाने के बाद हमारे पास बहुत सी बिजली शक्ति उपलब्ध हो जायेगी । तो क्या आप के पास इस बिजली के उपयोग के लिये कोई योजना है कि पांच वर्ष के बाद इस बिजली की खपत कैसे की जायेगी ? आपने इस आयव्ययक में औद्योगिक विकास के लिये १० करोड़ नियत किये हैं, पर क्या औद्योगीकरण की कोई योजना आप के समक्ष है ? विदेशी ऋण उद्योगों के विकास के हेतु लिये गये हैं या कच्चे माल को पैदा करने के लिये ? क्या उद्योगों को विकसित कर के हम अपनी आवश्यकता के पूंजी माल स्वयं तैयार करने जा रहे हैं या अमरीकी या अंग्रेज़ व्यवसायियों द्वारा भारत में ही बनाये जाने वाले माल का प्रयोग करते रहेंगे ?

मेरे राज्य त्रावनकोर-कोचीन में अकाल और बेकारी बढ़ रही है । आपने सारे देश को भिखारी बना दिया है । जैसा मेरे नेता ने बताया अलैप्पी कोचीन और क्विलोन में ५५,००० आदमी बेकार हैं । प्रधान मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे राज्य की सहायता करें । राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की इस बात से हम सब को हर्ष हुआ था कि वह हमें सहयोग देंगे । वह भारत के ही प्रधान मंत्री नहीं बल्कि विश्व के बड़े व्यक्तियों में से हैं । वह महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हैं । पर आज सारा देश उन की ओर देख रहा है कि क्या वह जनसाधारण की सहायता करेंगे या नहीं । उन का अभिप्राय यह नहीं था कि हम सरकार का विरोध न करें और अपनी आंखें बन्द कर लें । किसी दल से क्या जनता से भी ऐसी आशा नहीं की जा सकती है । हम लोग शांति और देश के लिये उभय-सामान्य कार्यक्रम में इन को सहयोग देंगे हम सरकार का विरोध करने के लिये नहीं बल्कि जनता को सुविधा देने के कार्यक्रम में उन को सहयोग देने आये हैं । जैसा मेरे नेता ने बताया जब तक हम इस सदन में हैं हम अकाल और निर्धनता को उत्पन्न करने में नहीं बल्कि अकाल दूर करने और सुंदर सामाजिक ढांचा खड़ा करने में सरकार को सहयोग देंगे ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरनाकुलम) माननीय वित्त मंत्री जी ने यह आयव्ययक एक हफ्ता पहले उपस्थित किया था और समाचार-पत्रों तथा जनता में इस की खूब आलोचना हो चुकी है और सदन में इस पर विस्तार से विचार हो चुका है । स्वभावतः इस का मिला जुला स्वागत हुआ है । कुछ लोगों ने इसे नौकरशाही का आयव्ययक बताया है और कुछ लोगों ने कुछ और ।

कोई दूसरा वित्त मंत्री भी इस की अपेक्षा और कुछ नहीं कर सकता था । श्री शिवा राव के इस आयव्ययक को साहसपूर्ण कहने पर विरोधी दल द्वारा आपत्ति की गयी है । वित्त मंत्री शायद खाद्य सहायता दे कर नाम कमा लेते पर राष्ट्र का कल्याण वह खतरे में नहीं डाल सकते थे । राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में ही उन्होंने कह दिया था कि वह खाद्य-सहायता नहीं दे पायेंगे । पर उन को यह कहते सुन कर कि नये कर भी नहीं लगेंगे लोगों को ढाढ़स हुआ था । उन्होंने स्वयं कहा था कि 'यदि बोझ कुछ असह्य हो तो भी वह हमें किसी दूसरे के लिये नहीं अपने तथा अपनी सन्तान के लिये स्वयं ही उठाना होगा । विरोधी दल के सदस्य उन के संयुक्त हिंदू परिवार के एक अच्छे प्रबन्धकर्त्ता जैसे आचरण पर आपत्ति करते हैं । पर यदि कुछ तंगी है तो मैं उन से और विशेषतः साम्यवादी दल वालों से रूस की क्रांति और उसकी पंचवर्षीय और दस वर्षीय योजनाओं के इतिहास की ओर दृष्टिपात करने को कहूंगा । क्या वहां

[श्री ए० एम० टामस]

तंगी नहीं हुई ? तो फिर क्या दोष है जो घोर वित्तीय कठिनाई के समय भी वित्त मंत्री जी देश के करोडों भूखे लोगों को खिलाने के लिये खाद्य आयात करते हैं ?

श्रीमती ऑनी मस्करीन : बढ़े-चढ़े भाव पर ।

श्री ए० एम० टामस : भाव कुछ भी हो सब से पहली बात हमें अपना पेट भरना है ।

श्री पुन्नूस (अल्लप्पी) : इसी कारण खाद्य-सहायता हटायी गयी है ।

श्री वैलायुधन: इसी कारण अकाल पड़ा हुआ है ।

श्री ए० एम० टामस : इस सरकार का लक्ष्य जीवन-स्तर का उन्नयन और देश के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग करना है । इसी उद्देश्य से यह पंच-वर्षीय योजना बनाई गई है जिस के बारे में श्री वैलायुधन और उन के नेता ने कहा था कि उन्हें इस से कोई मतभेद नहीं है । तब भी मेरे माननीय मित्रगण उसे कार्यान्वित नहीं होने देना चाहते । आखिर दशाब्दि से अधिक समय से हमारे जीवन का अंग बने रहने वाले इन राशन कार्डों को तो हटाना ही चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आक्षेपों का उत्तर देते समय और रखी गयी मांगों के उत्तर में दो बार वस्तुतः भयोत्पादक आंकड़े प्रस्तुत करने का उन को अवसर मिला है । देश की जनता की वास्तविक आवश्यकता संयुक्त खाद्य नीति और समान त्याग की मांग है । योजना आयोग के प्रतिवेदन में सारांशतः कहा गया है :

> "कुछ राज्यों में समाहार की साधारण नीति स्वीकृत होने पर भी इस का कार्यान्वित करना कठिन है और अखिल भारतीय नीति के अनुकूल नहीं है ।"

आज कल खाद्य नीति में आवश्यक आयातों और वितरण के सुप्रबन्ध के साथ साथ पर्याप्त समाहार का होना अत्यावश्यक है । इस विषय में मेरा निवेदन है कि सारे देश को एक साथ लिया जाये और केन्द्र का नियंत्रण सुदृढ़ रहे तथा इस विषय में भाग्य-शाली क्षेत्र भाग्यहीन क्षेत्रों का ध्यान रखें । संविधान का अनुच्छेद ३६९ बताता है कि संसद् को समवर्ती सूची वाले विषयों (राज्यों के व्यापार-वाणिज्य तथा सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कपास, बिनौला, कागज, खाद्यान्न, तिलहन, कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक आदि के उत्पादन, रसद और वितरण) पर विधान निर्माण की शक्ति है । इसलिये खाद्यान्नों के उत्पादन, सम्भरण और वितरण के बारे में केन्द्र बिलकुल शक्तिहीन नहीं है । इसलिये कम भाग्यशाली लोगों को भिखारी न समझा जाना चाहिये । मेरे राज्य को ही लें । कुमारी ऑनी मस्करीन ने कुछ बातें कही हैं जो आहत गर्व का ही फल है ।

कुमारी ऑनी मस्करीन : क्यों ?

श्री ए० एम० टामस : अत्युक्तियों को छोड़ भी दिया जाये तब भी इस में कुछ तथ्यांश है । श्री वैलायुधन और कुमारी मस्करीन ने कुछ आंकड़े दिये हैं । वित्तीय एकीकरण से पहले त्रावनकोर-कोचीन राज्य को काली, मिर्च, चाय, नारियल-जटा और रबड़ के सामान तथा काजू पर निर्यात-शुल्क से बहुतसी आय होती थी । सारे भारत की सन् १९५०-५१ की कुल निर्यात आय के ५९७ करोड़ रुपयों में त्रावनकोर-कोचीन की आय ५० करोड़ या ८ प्रति शत थी । सन् १९५०-५१ में काली मिर्च पर अर्जित कुल विदेशी विनिमय २०·०४ करोड़ में से

१६·३ करोड़ का भाग इस राज्य का था और जिस में ११ करोड़ संयुक्त राज्य अमरीका से मिला था । केन्द्रीय सरकार अब कुछ ऐसे पदार्थों पर निर्यात शुल्क लगाती है जिन पर त्रावनकोर-कोचीन का एकाधिकार था । काली मिर्च और चाय ऐसे पदार्थ हैं । इन में चाय पर आयात शुल्क चार आना प्रति पौंड है और केन्द्रीय राजस्व को यहां से १,१७,७६,७६९ रुपये मिलते हैं काली मिर्च पर यह मूल्यानुसार ३० प्रति शत (अधिकतम १५० रुपया प्रति हंड्रेडवेट) है, जिस से ३,२०,५६,६५० रुपये मिलते हैं । कुछ दिन पहले इस राज्य ने केन्द्र से वरीयता की मांग की थी जैसा कि पटसन के बारे में आसाम, बिहार और बंगाल आदि के साथ की जाती है । यद्यपि संविधान में ऐसा कुछ विशेष उपबन्ध नहीं है फिर भी राज्य की तंगी को देख आशा है, वित्त मंत्री जी इसे काफ़ी अनुदान देने पर विचार करेंगे ।

कुमारी मस्करीन की अधिकांश बातें अप्रसंगोचित थीं । उदाहरण के लिये केन्द्र ने त्रावनकोर-कोचीन को तीन करोड़ रुपये का अनुदान दिया है । क्या यह विशेषता देना नहीं कहा जा सकता ? यह ठीक है कि यह उस राशि का एकांश ही है जिस का यह राज्य नैतिक रूप से और न्यायतः अधिकारी है । यहां पर करापात ९·९ प्रति व्यक्ति आता है जब कि पड़ौसी राज्य मैसूर में ७·२४ प्रति व्यक्ति ही है । सभी सम्भव स्रोतों से कर लिया जा रहा है और केवल बिक्री कर ही रह जाता है जिसे अब बढ़ाने की कौन कहे उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट अभियोगों के दृष्टि में रखते हुये इस को घटाने के ही उपाय सोचने होंगे ।

तो निर्यात शुल्क जो इस राज्य की राजकोषीय नीति का आवश्यक अंग था अब केन्द्र के हाथ में है । पर इस वित्तीय एकीकरण को स्वीकार करते समय मिलने वाली ७५ प्रति शत खाद्य-सहायता इस के लिये विवश करने वाली एक विशेष बात थी कृष्णमाचारी-प्रतिवेदन के पृष्ठ १३ पर यह कहा गया है :

> "नियत तिथि से संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप त्रावनकोर राज्य बढ़ी हुई ७५ प्रतिशत खाद्य-सहायता का अधिकारी हो जायेगा, जैसा कि प्रान्तों के विषय में है । यह केन्द्र से मिलने वाली सब प्रकार की सारी आर्थिक सहायतायें अंतर्कालीन एकीकरण की उक्त योजना से स्वतन्त्र रूप में मिलेंगी ।"

तो मेरा निवेदन है कि 'जैसा कि प्रान्तों के विषय में है' इन शब्दों पर विशेष प्राविधिक जोर दिया गया है, और राज्य के साथ बहुत सख्ती कर के उसे प्रान्तों के समानान्तर ला दिया गया है ।

किसान-मजदूर-प्रजा दल और साम्यवादी दल के नेताओं ने 'जमीन किसानों को दिये जाने' की बात कही है । तो क्या संविधान पर हस्ताक्षर होने के बाद तत्काल ही अस्थायी संसद् ने उत्तर प्रदेश आदि में ऐसे विधानों के बनने में सहायता देने के लिये संविधान में एक संशोधन नहीं किया था ? वर्तमान विधि के अनुसार त्रावनकोर-कोचीन राज्य में एक भी कृषक से जमीन छीनी नहीं जा सकती (**कुछ माननीय सदस्य**: हमें संदेह है) । इन केन्द्रीय विधानों के अलावा केन्द्रीय सरकार को एक विशद विधान बनाने की नीति अपनानी चाहिये । यदि जमीन की समस्या सुलझ जाये, तो मेरे इन माननीय मित्रों के सिद्धान्त पनप नहीं सकते । इस आन्दोलन को समाप्त करने की सब से सुन्दर रीति संविधान

[श्री ए० एम० टामस]

के अनुच्छेद ३७१ को लगाने और परामर्श-दाताओं की नियुक्ति करने में नहीं, बल्कि सभी राज्यों और विशेषतः भाग 'ख' में के राज्यों में विशद भूमि विधान बनाने में सहायता देना है ।

सरदार लालसिंह (फ़िरोजपुर—लुधियाना) : चुनाव में खड़े होने से कुछ दिन ही पहले कृषि संचालक के पद से सेवा-निवृत्त होने के कारण मैं राजनीति के लिये बिल्कुल नया हूं । स्वभावतः वक्तृता की अपेक्षा कोरे तथ्यों और आंकड़ों से मेरा अधिक वास्ता रहा है । कुछ सरकारी सदस्यों ने विरोधी दल से सहयोग का अनुरोध किया था । उनके विचार ठीक हैं, क्योंकि ऐसे संकट-काल में शरणार्थी समस्या, खाद्य समस्या, विस्फोटक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और देश की सामान्य अशान्ति की दृष्टि में देश के सर्वाधिक हित की मांग है कि सरकारी और विरोधी सभी सदस्यों में पारस्परिक सहयोग और आदान-प्रदान हों । हम सरकार को उचित श्रेय दें और आवश्यक हो तो रचनात्मक आलोचना करें । पर यह एकांगी बात नहीं है । सरकारी बहुमत को भी आलोचना सुनने के लिये विशेष उदार बनना चाहिये ।

कृषि समस्या को लेने से पहले मैं पटियाला संघ और पंजाब की शांति और व्यवस्था विषयक स्थिति को लूंगा । लूट, डकैती, चोरी और राहजनी के इतने मामले रोज होते हैं कि किसी भी सरकार को शर्म नहीं तो भारी खेद तो होगा ही । ऐसा तो अंग्रेजी नौकरशाही और निरंकुश महाराजा के शासन काल में भी नहीं होता था । पहले लोग रात में भी बेधड़क चलते थे, पर आज अंग्रेजी राज्य के जाने के ४-५ वर्ष बाद ही प्रजातन्त्र राज्य में सूरज डूबने के बाद बाहर निकलना खतरनाक हो गया है । स्वयं मैं जब एक बार लुधियाना से बड़ी सड़क पर जगरांवा की ओर जा रहा था, तो शाम को, क़रीब ७-३० बजे पुलिस ने मुझे रोक कर बताया कि डाकुओं का जत्था सामने कहीं है और बिना सशस्त्र पहरेदारों के आगे जाना सुरक्षापूर्ण नहीं था । ध्यान रहे कि यह क्षेत्र बीरान नहीं है, बल्कि बहुत घना बसा हुआ है, और गत ५०-१०० वर्ष में वहां कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी । ऐसी वहां पर शांति और व्यवस्था की स्थिति है । हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

पुनर्वास के बारे में शरणार्थी अब हताश होते जा रहे हैं । आज वह अपनी बात कह नहीं पाते, पर उन की पूंजी समाप्त होने पर वह कहे बिना नहीं रहेंगे ।

तीसरी बात इस सीमान्त के महत्वपूर्ण राज्य की बड़ी गम्भीर साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में है । इतना मनमुटाव और कड़वापन पहले कभी नहीं था ।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये दोषी कौन है ?

सरदार लालसिंह : एक दूसरे को दोष देने से कोई लाभ नहीं, तथ्यों का सामना तो करना ही होगा । विरोधी सरकार को दोष देते हैं और सरकार विरोधियों की बात हंसी में टाल देती है । हम यहां कारण खोज निकालने और उन्हें दूर कर के वातावरण में सुधार करने के लिये आये हैं । तो पंजाब की साम्प्रदायिक स्थिति बड़ी गम्भीर है और उदारता और स्वतन्त्र विचारों वाले नेतृत्व की आवश्यकता है । संकुचित विचार और सक्षम प्रशासन एक साथ नहीं हो सकते ।

खाद्य समस्या के विषय में मैं पंचवर्षीय योजना और 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दो-

लन के वह छिद्र बताने का प्रयत्न करूंगा, जिन से हमारी आशाओं पर तुषारपात होने का डर है, जैसा कि पिछली योजनाओं पर हुआ है। समय कम होने से मैं भारतीय कृषि की कुछ बुनियादी बातें ही कहूंगा। हम साधारणतः नारों के पीछे चलते हैं और पक्ष-विपक्ष पर विचार नहीं करते। मैं सरकार के दोष नहीं निकालता, पर वर्तमान स्थिति की व्याख्या करने में कोई हानि नहीं है। पिछले ५-६ वर्षों में हम खाद्य-उत्पादन बढ़ाने का गर्व नहीं कर सकते, और सरकार को यदि कुछ श्रेय है, तो बस खाद्य का आयात बढ़ाने का ही है। सन् १९४४ में भारत ने १५.८ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया था। सन् १९४५ में १८.८ लाख टन, सन् १९४७ में २६ लाख टन, सन् १९४९ में ३७ लाख टन और सन् १९५१ में ४७ लाख टन, और इस वर्ष ५०-६० टन लाख आयात होने जा रहा है, जो १७ करोड़ मन और रुपयों में, २५०-३०० करोड़ रुपयों का होगा। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष १ जनवरी से २६ मार्च तक १२,६४,३६० टन का आयात हो चुका है। यह एक कृषिप्रधान और निर्धन देश के लिये भारी रक़में हैं और वित्तीय दिवाला निकाले बिना और अपनी अक्षमता के लिये दुनिया के सामने काला मुख दिखाये बिना वह इसे नहीं चुका सकता।

एक माननीय सदस्य: तो कुछ रास्ता बताइये।

सरदार लालसिंह : हां, पर पहले बीमारी तो पूरी तरह जान लेनी चाहिये। इस की विस्तार से चर्चा तो मैं कटौती प्रस्तावों के समय करूंगा, पर एक वैज्ञानिक के रूप में स्थिति की व्याख्या करना मेरा कर्त्तव्य है।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से कोई विशेष लाभ नहीं होने जा रहा है। योजना आयोग के प्रतिवेदन में पृष्ठ ७६ पर कहा गया है कि यद्यपि सन् १९४९-५० में अन्न उगाने वाला क्षेत्र युद्ध पूर्व काल के निकटतम समय का क्षेत्र (लगभग १६७० लाख एकड़) ही रहा है, पर उपज ४६१.६ लाख से कम हो कर ४२१ लाख टन ही रह गयी है। अर्थात् प्रति एकड़ उपज ६१९ पौंड से कम हो कर ५६५ पौंड ही रह गयी है। हमारी प्रति एकड़ उपज दुनिया की तुलना में वैसे ही कम है। उदाहरण के लिये हमारी चावल की औसत उपज स्पेन की उपज की कुल १७ प्रति शत, इटली की उपज की २० प्रतिशत, जापान की २७ प्रति शत और संयुक्त राज्य अमरीका की कुल ४३ प्रतिशत ही है। हमारी गेहूं की औसत उपज मिस्र की ४० प्रति शत, जापान की ४५ प्रतिशत, और इटली की ४६ प्रतिशत ही है। मक्का की हमारी उपज इटली की ३९ प्रति शत, मिस्र की ४२ प्रतिशत और अमरीका की ५० प्रति शत ही है। यह शायद दुनिया में न्यूनतम हैं। और इन कम उपज से भी विशेष चिन्ता न होती यदि भारत में अपेक्षतया अधिक कृषियोग्य भूमि प्राप्त रहती। पर दुर्भाग्य से भारत में कुल कृषियोग्य भूमि प्रति व्यक्ति ३/४ एकड़ ही आती है और जंगल आदि मिला कर प्रति व्यक्ति १ एकड़ आती है, जो विद्वानों द्वारा एक व्यक्ति के लिये बिलकुल न्यूनतम मानी जाती है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारे पास कृषि योग्य भूमि प्रति व्यक्ति ब्राज़ील की ५ प्रति शत, रूस की १० प्रति शत और संयुक्त राज्य अमरीका की १४ प्रति शत है। मैं ने आस्ट्रेलिया और कनाडा के बड़े क्षेत्रफलों और कम जनसंख्या वाले देशों को तो छोड़ ही दिया है और आस्ट्रेलिया में तो भूमि भारत से प्रति व्यक्ति १०० गुनी अधिक आती है।

हमारे दूध उत्पादन की दशा तो और भी बुरी है। हमारे पास चार करोड़ गायें

[सरदार लालसिंह]

और १९५ लाख भैंसें हैं, पर प्रति गाय प्रति वर्ष दूध केवल ४१३ पौंड ही होता है, जब कि नीदरलैंड में यह औसत ८,००० पौंड, आस्ट्रिया में ७,२०० पौंड, जापान में ५,५८८ पौंड और हिन्देशिया में ४,१३६ पौंड होता है। अर्थात् यहां की १० गायें हिन्देशिया की एक गाय के बराबर और २० गायें नीदरलैंड की १ गाय के बराबर दूध देती हैं।

जब कि हमारी उपज बढ़ नहीं बल्कि घट रही है, हमारी जन संख्या दिन प्रति दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है। योजना आयोग का अनुमान है कि खाद्यान्न का घाटा सन् १९५६ में १३.६ औंस की अधपेट ख़ुराक़ के आधार पर ६९ लाख टन और १६ औंस के आधार पर १५८ लाख टन तक पहुंच जायेगा। तो १५८ लाख टन की कौन कहे, क्या कोई देश वित्तीय दृष्टि से दिवालिया बने बिना ६९ लाख टन का आयात कर सकता है और कुछ खाद्य-सहायता दे सकता है, जो २० प्रति शत दर से भी ७० से १६० करोड़ रुपये तक होगी, और जब उस देश का कुल राजस्व ४०० करोड़ रुपये ही है? तो खाद्य सहायता देना तो असम्भव है ही, मैं समझता हूं कि यदि हम अपने देश के भविष्य को किसी दूसरे देश के पास बंधक नहीं रख देना चाहते, यदि हम अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वाधीनता बनाये रखना चाहते हैं और भूख के कारण बढ़ने वाली अराजकता को रोकना चाहते हैं, तो हमें आयातों को रोक कर खाद्य-उत्पादन बढ़ाना ही होगा। लोग पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों को मारे बिना भूखों न मरेंगे।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को यदि अधिक कुछ कहना हो, तो वह उसे आगे कभी कह लें।

सरदार लालसिंह : जी हां, श्रीमान्, बात यह है कि हमारे सिर पर भारी बोझ के अलावा भारत जैसे देश के लिये, जो अपने उद्योगों का भी कुछ गर्व नहीं कर सकता, यह हीनता की ही बात होगी, कि वह अन्न की भीख मांगें। तभी तो एक विदेशी पत्र ने कहा था कि यदि भारत अपना खाद्य स्वयं पैदा नहीं करता और चूहों तथा सुअरों की तरह जनसंख्या बढ़ाये जाता है, तो उस को खिलाना संयुक्त राष्ट्र संघ का काम नहीं। ऐसी निन्दा सहने की अपेक्षा तो मैं अपने देशवासियों का भूखों मर जाना अच्छा समझता हूं। अतः राजनीतिज्ञों से मेरी प्रार्थना है कि खाद्य को दलबन्दी से ऊपर रख कर आत्म निर्भरता के लिये पूरा पूरा प्रयत्न करें।

श्री तिम्मया (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे अवसर देने के लिये आप को धन्यवाद देता हुआ मैं अनुसूचित जाति वालों की आर्थिक दशा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देश से अस्पृश्यता को प्रायः दूर कर देने के लिये और अनुसूचित जातियों के सुधार के लिये हम कांग्रेस सरकार के आभारी हैं। थोड़ी बहुत अस्पृश्यता रह भी गयी हो, पर विदेशी शासन के प्रभाव के कारण फैली हुई अशिक्षा के दूर होने तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

स्वाधीनता के बाद पैदा हुई अनेकों समस्याओं के फलस्वरूप व्यस्त होने के कारण सरकार अनुसूचित जातियों की ओर अधिक ध्यान न दे सकी और इन की आवश्यकताओं और पिछड़ेपन के कारण अपनाये गये उपाय अपर्याप्त रहे। मेरा सुझाव है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम को प्रत्येक राज्य में लागू कराया जाये और अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये जहां ज़मीन मिल सके वहां उन को जमीन और वित्तीय सहायता दे कर उन की कृषि बस्तियां बसायी जायें, क्योंकि इन के पिछड़े रहते देश की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। इन के

लिये प्रयत्न करने वाले राज्यों को आर्थिक सहायता दे कर यह काम जल्दी पूरा कराया जाये। इस विषय में शायद मैसूर ने सर्वाधिक कार्य किया है और यदि उसे सहायता दी जाये, तो वह अनुसूचित जातियों के लिये कुटीर उद्योगों को बढ़ाने में काम आयेगी ।

अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में मद्य-निषेध पर भी मुझे कुछ कहना है। चुनाव पर कई दलों ने कहा था कि मद्य-निषेध को हटा कर वह देश के आर्थिक संकट को दूर करेंगे। पर कांग्रेस ने महात्मा गांधी के आदर्श को अपना कर आर्थिक हानि पर ध्यान दिये बिना साहस पूर्वक इसे हटाया है और निश्चय ही इस से अनुसूचित जातियों को बहुत लाभ हुआ है। आशा है, सारे देश में इसे लागू कर दिया जायेगा ।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों की भरती के बारे में राज्यों को स्वविवेकानुसार यह अधिकार दिया गया है कि उन की जनसंख्या के अनुसार अनुपात निश्चित कर दे। मेरा केन्द्र से अनुरोध है इन को सुरक्षित रखने पर ध्यान रखे, क्योंकि यह लोग अत्यधिक सीधे सच्चे हैं और देश और समाज की सदा सेवा करते रहने पर भी ये अत्याचार के शिकार रहे हैं। अतः केन्द्रीय सरकार से इन पर विशेष सहानुभूति दिखाने का अनुरोध है ।

इन की शिक्षा के लिये आयव्ययक में १७ लाख रुपये रखने के लिये मैं वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं, यद्यपि यह रकम बहुत कम है। पिछले साल आवेदन करने वालों में से १/८ छात्रों को ही वृत्ति मिल सकी थी। यदि आप सभी आवेदकों को छात्रवृत्ति दे दें, तो यह अशिक्षा का निवारण करने में सहायक होगी। अतः मैं समझता हूं कि १ करोड़ नियत किया जाना आवश्यक है। विदेशों में अध्ययन करने के लिये दी गई छात्रवृत्तियों की भी यही दशा है, यद्यपि इस के लिये भी विशेषतः विज्ञान और डाक्टरी के लिये अनुसूचित जाति के उपयुक्त छात्रों की संख्या कम नहीं है।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

अतः केन्द्रीय सरकार से अनुसूचित जाति के छात्रों की भी विदेशी छात्रवृत्तियां देने के लिये मेरा अनुरोध है ।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के चुनाव में विशेषतः मैसूर से कोई अनुसूचित जाति वाला नहीं लिया गया है। आशा है इस पर भी उचित विचार किया जायेगा ।

मैसूर की अकाल स्थिति सरकार और सम्बन्धित मंत्री के ध्यान में लायी जा चुकी है और यद्यपि मैसूर सरकार साहस और वीरता पूर्वक सब कुछ कर रही है तो भी उस की सहायता करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है ।

अन्त में मुझे यही कहना है कि केन्द्र को चाहिये कि अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने और विशेषतः उनकी शिक्षा के लिये मैसूर राज्य को अधिक धन दे जिस से कि वह सारे देश के लिये इस दिशा में एक आदर्श रख सके ।

अध्यक्ष महोदय : अब ५-६ मिनट रहे हैं, जिन में कोई भाषण पूरा नहीं हो सकता। सदन चाहे तो अगला कार्य प्रारम्भ किया जाये। चूंकि कोई चुनाव नहीं होना है, पांच मिनट पहले आरम्भ करने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय : दो प्रस्ताव रख गये हैं ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"श्री एम० अनन्त शायनम् अय्यंगार इस सदन के उपाध्यक्ष चुने जायें ।"

श्री यू० एस० मल्लय्या : (दक्षिणी कनडा—उत्तर) : श्रीमान्, मैं इस का अनुमोदन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

दूसरे प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं । हां यदि बाद में यह देखा जाय कि नाम-निर्देशन अवैध था या दोषपूर्ण था तो दूसरा काम आ सकता है, अस्तु । मैं नहीं समझता कि इस पर कोई भाषण आवश्यक है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री एम० अनन्त-शायनम् अय्यंगार को इस सदन का विधिवत् निर्वाचित उपाध्यक्ष घोषित करता हूं ।

मैं इस अवसर पर उन को बधाई देता हूं । मैं नहीं समझता कि मुझे और कुछ प्रशंसा करनी चाहिये, क्योंकि यह आत्मश्लाघा और पारस्परिक प्रशंसा कही जायेगी, पर श्री अय्यंगार केन्द्रीय धारा सभा के बहुत पुराने सदस्य हैं और अनेकों रूपों में काम करते रहे हैं । पुराने समय में वह विरोधी दल के प्रमुख सदस्य रहे हैं और अब नये शासन के समर्थक हैं । वह आंक समिति के महत्वपूर्ण काम के अतिरिक्त विभिन्न प्रवर-समितियों में कार्य कर चुके हैं । जैसा हम ने उन को उपाध्यक्ष के रूप में काम करते देखा है, वह कभी थकते नहीं हैं और उन का ज्ञान अपार है । यद्यपि उन का स्वास्थ्य जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है और इस विषय में साधारण निरीक्षण से कुछ नहीं कहा जा सकता । मैं ने अकेले में उन को समझाया है और फिर चेतावनी देता हूं कि वह अधिक काम न करें क्योंकि हम उन से बहुत समय तक काम लेना चाहते हैं और माननीय सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि उन के स्वास्थ्य पर दया रखें । अन्त में मेरी आकांक्षा है कि उन को सफलता मिले । उन्होंने केवल मेरी ही सहायता नहीं की है, बल्कि इस सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् की महान् परिपाटियों के अक्षुण्ण रखने में सभी की सहायता की है ।

प्रधान मंत्री तथा सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्री अनन्तशायनम् अय्यंगार को बधाई देने और उन का स्वागत करने में मैं आप के साथ हूं । उन का चुना जाना नयी बात नहीं, क्योंकि बहुत समय से वह हमारे साथी रहे हैं और हम जानते हैं कि उन से क्या आशा होनी चाहिये । एक दो व्यक्तियों को छोड़ कर उन का इस सदन से सर्वाधिक सम्बन्ध रहा है, और इसलिये उनको बहुत अनुभव है । आप की अनुपस्थिति में वह अत्यन्त योग्यता और सुहास के साथ कार्य चलाते रहे हैं । मैं उन का बारम्बार स्वागत करता हूं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं भी नये उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करता हूं और मेरा विश्वास है कि उन का यह निर्विरोध चुनाव उन की सर्वप्रियता का द्योतक है । जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा योग्यता के साथ साथ उन में सुहास का पुट भी है और अपने अनुभव के बल पर वह सदन का वातावरण बदल देते हैं । उन की स्थिति कुछ कठिन है, क्योंकि कभी कभी एक दल के सदस्य के रूप में बोलने और कुछ पक्षपात करने के साथ ही फिर दो मिनट बाद आप के पद पर बैठने के कारण उन को डा० जैकिल और श्री हायड दोनों का कार्य करना पड़ता है । फिर भी सभी के लिये संतोषप्रद रूप में वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं । मैं उन के

सद्भाग्य और सफलता की कामना करता हूं ।

१ म० प०

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपती) : मैं प्रस्तावक और अनुमोदक समेत सदन के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं । निर्विरोध रूप में सदन ने अपना विश्वास मुझे दिया है जिस के लिये मैं उसका कृतज्ञ हूं । श्रीमान् आप के सहायक के रूप में काम करने में मुझे बहुत हर्ष होता रहा है और आप की बतायी समितियों के सभापति पद का कार्य करने और सदन का कार्य चलाने में और वैसे भी मैं ने आप से बहुत कुछ सीखा है । आशा है आप वैसी ही कृपा बनाये रखेंगे ।

उपस्थित सदस्यों से मुझे कहना है कि स्वयं मुझे शुरू में सब से पीछे स्थान मिला था और दो वर्ष बाद और अगली पंक्ति में आ गया, पर आज श्रीमान्, आप की अनुमति से मुझे एक सब से आगे का स्थान मिला हुआ है । यह मेरी योग्यता से नहीं, बल्कि काल क्रम से मिल गया है । मुझे सदस्यों की कठिनाइयों का अनुमान है । १४१ सदस्यों के उस सदन में अध्यक्ष महोदय की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ती थी, और मेरी बात वह अनसुनी कर देते थे । आज ५०० सदस्यों वाले सदन में स्थिति और भी कठिन हो गयी है । इस पर यदि मैं घंटी बजाऊं, तो सदस्य अधीर न हों और मुझे क्षमा करें । ऐसे समय पर मैं अपने भाषण जेब में रख लेता था । मेरे दिये गये भाषणों से न दिये गये भाषण संख्या में अधिक हैं । मैं सदस्यों को सलाह दूंगा कि वह अपने ऐसे भाषण जनता पर प्रभाव डालने के लिये तत्काल समाचार पत्रों के पास भेज दें । पिछले ७-८ दिनों के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि अनेक उत्साही युवकों के आ जाने से यह सदन अत्यधिक आशापूर्ण हो गया है, यद्यपि मुझे सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् के बारे में यह कहने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्रीमान्, अन्त में अपना चुनाव होने तक बीच के ५-६ दिनों के लिये मुझे इस पद पर बिठाने के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने आप के विचार बिना समझे दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया था, पर इस बीच अपने सारे दोषों को छिपा कर और अपने गुणों को सामने रख मुझे लोगों का विश्वास प्राप्त करने में सफलता हुई, जो एक तरह से आप की ही सफलता है । यदि समयानुसार अब मैं उतना अच्छा न रह सकूं, तो वह मुझे क्षमा करेंगे । इस निर्विरोध चुनाव द्वारा मेरे नेता आप और नये पुराने सभी सदस्यों ने मुझे अपना जो अमूल्य विश्वास दिया है, वह मुझे स्वस्थ और समर्थ बनायेगा ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार २ जून, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी